DGTR
व्यापार उपचार महानिदेशालय

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

व्यापार उपचार उपाय | रक्षोपाय जांच

भारत में
सोडा ऐश
के आयातों से संबंधित
रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच



सोडा ऐश का सांकेतिक चित्रण

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 22/01/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: नवंबर, 2026

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. क्यूआर (ओआई)-001/2026)

विषय: भारत में "सोडा ऐश" के आयातों से संबंधित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच के अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड और टाटा केमिकल्स लिमिटेड की ओर से अल्काली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) द्वारा भारत में "सोडा ऐश" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों पर चार वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय लगाए जाने की मांग करते हुए रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ,(जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9क के तहत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया गया था।

2. आवेदक ने आरोप लगाया कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप और ऐसी परिस्थितियों में, जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का कारण बनती हैं या गंभीर क्षति

का खतरा पैदा करती हैं, संबद्ध सामानों को भारत में काफी अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर कि नियम 5(3) की अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिसूचना संख्या 22/01/2026-डीजीटीआर दिनांक 16 मार्च 2026 द्वारा वर्तमान जांच शुरू की।

ख. <u>प्रकिया</u>

3. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

ख.1 जांच की शुरुआत और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना

4. नियम 6(1) और 6(2) के अनुसार, जांच शुरुआत अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, और एक प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार को, निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी।
5. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, निर्यातक देशों की सरकारों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार और उद्योग को उपलब्ध कराई गई थी, और सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी।

ख.2 डब्ल्यूटीओ के लिए अधिसूचना

6. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.1 (क) के अनुसार, भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2026 को रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति को जांच शुरूआत अधिसूचित की।

ख.3 प्रश्नावलियां और उत्तर

7. नियम 6(4) के अनुसार, ज्ञात विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों और निर्यातक देशों की सरकारों को प्रश्नावलियां जारी की गई थी। ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां जारी की गई थी। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 37 दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं मांगी गईं, जो नियम 6(4) के तहत प्राप्ति की मानी गई

तारीख से तीस दिन है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, पर्याप्त कारण बताए जाने पर प्रतिक्रिया दायर करने का समय बढ़ाया गया।

8. उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, उनकी एसोसिएशनों और निर्यातक देशों की सरकारों ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण किया। निम्नलिखित द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दायर किए गए थे:

श्रेणी	पक्षकार
घरेलू उत्पादक	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड; जीएचसीएल लिमिटेड; निरमा लिमिटेड; आरएसपीएल लिमिटेड; टाटा केमिकल्स लिमिटेड
उत्पादक/निर्यातक	बाशकिर सोडा कंपनी जेएससी (रूस); ईटीआई सोडा यूरेटिम पाज़ार्मा नाक्लियात वे इलेक्ट्रिक उरेटिम सनायी वे टिकारेट ए.एस. (तुर्की); कज़ान सोडा इलेक्ट्रिक उरेटिम ए.एस. (तुर्की); तुर्की एसअईएसई वे कैम फैब्रिकल्स ए.एस. (तुर्की); टाटा केमिकल्स मगदी लिमिटेड (केन्या); डब्ल्यूई सोडा व्योमिंग एलपी (यूएसए); सिसेकम व्योमिंग एलएलसी (यूएसए); सोल्वे केमिकल्स इंटरनेशनल एसए (आर्थिक हित प्रश्नावली)।
आयातक/प्रयोक्ता	एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड; ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होमकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स; बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड; हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड; पीजीपी ग्लास लिमिटेड; सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; सिसेकम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; सिएन्स्को स्पेशलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; करनीत एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड; सुदर्शन मिन्चेम लिमिटेड

ख.4 प्रयोक्ताओं से सूचना और जनहित

9. नियम 6(5) के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उनकी एसोसिएशनों को जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना जन हित में होगा।

10. उत्पाद के लिए प्रशासनिक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के विचार मांगे गए थे। विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा अपने विचार दिए, जिन पर खंड I में विचार किया गया है।

ख.5 मौखिक सुनवाई और लिखित अनुरोध

11. नियम 6(6) के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को वर्चुअल मोड में मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हें 5 अगस्त 2026 तक लिखित अनुरोध और 12 अगस्त 2026 तक प्रत्युत्तर दायर करने करने के लिए कहा गया था। मौखिक अनुरोधों को केवल उसी सीमा तक ध्यान में रखा गया है जहां तक कि उन्हें बाद में लिखित रूप में दायर किया गया था।

12. घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और उनकी एसोसिएशनों और दो निर्यातक देशों की सरकारों से लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर भी प्राप्त हुए। कई पक्षकारों ने एक ही वकील के माध्यम से समान अनुरोध दायर किए। सभी अनुरोधों पर संगत और साक्ष्य द्वारा समर्थित सीमा पर विचार किया गया है। एक से अधिक पक्षकार द्वारा दोहराए गए तर्कों का एक बार सार किया जाता है और उस मुद्दे के तहत हल किया जाता है, जहां तक उनका संबंध है। केन्या में प्रयोक्ताओं की एक एसोशिएशन और एक उत्पादक से प्राप्त विशेष देशों के कोटा से संबंधित पत्र भी रिकॉर्ड में लिए गए हैं; उनमें किए गए अनुरोधों को खंड-ढ में हल किया गया है।

13. नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे।

ख.6 आयात आंकड़े

14. जांच की अवधि के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए थे। प्राधिकृत अधिकारी ने आयात के विश्लेषण के लिए विचाराधीन उत्पाद को अन्य प्रविष्टियों से अलग करने के बाद इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ख.7 सत्यापन और उपलब्ध तथ्य

15. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की गई और इन जांच परिणामों के लिए संगत, व्यवहार्य और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापित किया गया।

16. जहां तक जांच के लिए आवश्यक कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, प्राधिकृत अधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है।

ख.8 गोपनीय सूचना

17. इन जांच परिणामों में, **** गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियम 7 के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं। गोपनीयता के दावों की जांच खंड ड. में की गई है।*

ख.9 जांच की अवधि

18. जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2020 से सितंबर 2025 है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24, अप्रैल-दिसंबर 2024 और जनवरी-सितंबर 2025 शामिल हैं; अंतिम को सबसे हाल की अवधि (एमआरपी) के रूप में उल्लिखित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 को 31 दिसंबर 2024 पर विभाजित किया गया है क्योंकि संबद्ध सामानों पर न्यूनतम आयात कीमत 30 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू थी, ताकि न्यूनतम आयात कीमत से पहले और उसके दौरान की अवधियों को अलग से जांचा जा सके। दो नौ महीने की अवधि को वार्षिक रूप से केवल वित्तीय वर्षों के साथ रखने के लिए दर्शाया गया है; आयातों में वृद्धि के संबंध में जांच परिणाम समान अवधियों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं (खंड छ)।

ख.10 समय सीमा और सिफारिश

19. ये जांच परिणाम नियम 9(1) के अनुसार, जांच शुरुआत होने की तारीख (16 मार्च 2026) के आठ महीने के भीतर जारी किए जाते हैं।

20. प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश नियमावली के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद तथा समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुएं</u>

21. विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, "डाइसोडियम कार्बोनेट" है, जिसे आमतौर पर "सोडा ऐश" (Na_2CO_3) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सफेद, क्रिस्टलीय, पानी में घुलनशील पदार्थ है जो दो रूपों में उत्पादित होता है, हल्का और घना, जो थोक घनत्व में भिन्न होता है। उत्पाद प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश और सभी प्रकार और रूपों की सोडा ऐश को कवर करता है। इसका आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उप-शीर्ष 2836 20 के तहत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **प्राकृतिक सोडा ऐश को बाहर रखना:** भारतीय उत्पादक केवल सिंथेटिक सोडा ऐश बनाते हैं, क्योंकि भारत में ट्रोना या प्राकृतिक ब्राइन भंडार नहीं है। प्राकृतिक सोडा ऐश कच्चे माल और प्रक्रिया में भिन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उत्पादन करने में लगभग आधी लागत आती है और सिंथेटिक सोडा ऐश के लगभग एक-तिहाई सीओ 2 का उत्सर्जन होता है। प्रयोक्ता अपने उत्सर्जन-कमी (स्कोप 3) लक्ष्यों के लिए इस पर निर्भर करते हैं। लो ऐश मेटलर्जिकल कोक (2024) और पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (2023) रक्षोपाय जांच परिणामों ने उन श्रेणियों को बाहर रखा जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग नहीं करता या जिन्होंने कोई उछाल नहीं

(ii) **गुणवत्ता:** घने प्राकृतिक सोडा ऐश में अधिक सुसंगत घनत्व और अशुद्धता प्रोफ़ाइल होती है। सिंथेटिक सोडा ऐश में 0.1 - 0.3% सोडियम क्लोराइड होता है, जो भट्टी के अपवर्तक को प्रभावित करता है। वैकल्पिक रूप से, फ्लोट ग्लास के लिए प्राकृतिक सोडा ऐश को सामान्य कोटा के अतिरिक्त एक अलग कोटा मिलना चाहिए।

(iii) **विशेषता वाला हल्का सोडा ऐश:** एक प्रयोक्ता ने अनुरोध किया कि वह विशेषीकृत उत्पाद बनाता है, जिनमें से अधिकांश चिकित्सा उपयोग के लिए हैं, जिनका निर्यात किया जाता है। इसे कुछ अशुद्धियों, घनत्व और कण आकार की सख्त

सीमाओं के साथ हल्की सोडा ऐश की आवश्यकता होती है। भारतीय उत्पादक इन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं या माप भी नहीं करते हैं। इस ग्रेड, और अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत आयात को बाहर रखा जाना चाहिए।

(iv) **ग्रेड द्वारा अलग मांग:** घने और हल्के ग्रेड, और प्राकृतिक और सिंथेटिक मार्गों की अलग मांग है, जिसे प्राधिकृत अधिकारी को कारण, सार्वजनिक हित और कोटा प्रशासन के विश्लेषण में ध्यान में रखना चाहिए, भले ही क्षेत्र परिवर्तित न हो।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) प्राकृतिक और कृत्रिम सोडा ऐश की रासायनिक संरचना, विशेषताएं, प्रयोग और प्रशुल्क वर्गीकरण समान हैं, और उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है। जो प्रयोक्ता प्राकृतिक सोडा ऐश का आयात करते हैं वे घरेलू उद्योग से भी खरीदते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दो बार दोनों को समान वस्तु माना है (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 जनवरी 2021 और 29 सितंबर 2025)।

(ii) रक्षोपाय जांच में ऐसे सामान शामिल होते हैं जो "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी" होते हैं, जो पाटनरोधी की तुलना में एक व्यापक मानक है। घरेलू उद्योग हल्की और घनी सोडा ऐश का उत्पादन करता है और पहले से ही विशेषता वाले हल्का सोडा ऐश को बाहर रखने की मांग करने वाले प्रयोक्ताओं को हल्की सोडा ऐश की आपूर्ति करता है (रिकॉर्ड में दस्तावेज)।

ग.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

22. नियम 2(1)(ड.) "समान सामान" को जांच के तहत सामान के समान या सभी मामलों में समान या उनके अभाव में, निकटता से समान विशेषताओं वाले सामान के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम की धारा 9क (4)(ख) घरेलू उद्योग को "समान सामानों या सीधे प्रतिस्पर्धी सामानों" के उत्पादकों के संदर्भ में परिभाषित करती है। रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 2.1 भी घरेलू उद्योग को संदर्भित करता है जो "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों" का उत्पादन करता है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या भारत में उत्पादित सामान आयातित सामानों के समान हैं, या कम से कम सीधे प्रतिस्पर्धी हैं।

23. **प्राकृतिक सोडा ऐश:** प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश अलग-अलग मार्गों से उत्पादित किया जाता है, और भारतीय उत्पादक केवल सिंथेटिक सोडा ऐश बनाते हैं। तथापि, अंतिम उत्पाद समान शुद्धता सीमा का समान रासायनिक, Na_2CO_3, समान हल्के और घने रूपों में, समान प्रशुल्क शीर्ष के तहत वर्गीकृत और समान अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है: कांच, डिटर्जेंट, सिलिकेट और रसायन। जो प्रयोक्ता यह दावा करते हैं वे स्वयं दोनों खरीदते हैं। उनमें से कई ने पूरी अवधि के दौरान मुख्य रूप से घरेलू सोडा ऐश खरीदा है, और जो प्राकृतिक सोडा ऐश की ओर बढ़े हैं, उन्होंने घरेलू उद्योग से सिंथेटिक सोडा ऐश खरीदना जारी रखा है। डिटर्जेंट उत्पादक ओं के एक एसोसिएशन ने उल्लेख किया है कि उसके सदस्य केवल हल्के सिंथेटिक सोडा ऐश का प्रयोग करते हैं। सभी आयात प्राकृतिक सोडा ऐश नहीं हैं: प्रश्नावली के उत्तरों से पता चलता है कि रूसी और तुर्की की कुछ आपूर्ति सिंथेटिक है।

24. लागत संबंधी तर्क आयात कीमतों से नहीं बनता है। प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले देशों से और सिंथेटिक सोडा ऐश के उत्पादन करने वाले देशों से आयात की भारित औसत सीआईएफ कीमत निम्नानुसार थी:

अवधि	प्राकृतिक-उत्पादक देश* (रु./एमटी)	सिंथेटिक-उत्पादक देश** (रु./एमटी)	अंतर
2020-21	16,034	15,221	+5.3%
2021-22	15,986	17,604	-9.2%
2022-23	31,602	35,178	-10.2%
2023-24	23,031	25,572	-9.9%
अप्रैल-दिस. 24 (ए)	17,980	19,677	-8.6%
जन.-सित. 25 (ए)	20,108	21,198	-5.1%

** यूएसए, तुर्की और केन्या ** रूस, यूरोपीय संघ, ईरान/यूएई और चीन*
जन.गण. स्रोत: डीजीसीआई एंड एस लेनदेन-वार आंकड़े

25. आयात आंकड़े सिंथेटिक सोडा ऐश से प्राकृतिक को अलग नहीं करता है, इसलिए तालिका में आपूर्ति करने वाले देशों का समूहीकरण अनुमानित है, और तुलना का उपयोग केवल यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि क्या प्राकृतिक सोडा ऐश

एक अलग कीमत क्षेत्र बनाता है। दोनों समूहों की कीमतें पूरे वर्ष एक साथ चलती रहीं और हर वर्ष लगभग 10% या उससे कम भिन्न होती रहीं। 2021-22 से आगे, प्राकृतिक-उत्पादक देशों से आयात की कीमत हर अवधि में सिंथेटिक-उत्पादक देशों से आयात की तुलना में कम थी। इसलिए खरीदारों ने कम कार्बन तीव्रता के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है, और प्राकृतिक सोडा ऐश ने कीमत पर प्रतिस्पर्धा की है। उत्पादन की लागत में जो भी अंतर हो, इसने एक अलग कीमत क्षेत्र नहीं बनाया है: दोनों प्रकार एक ही ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कार्बन तीव्रता उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है, उत्पाद से नहीं, और इसकी भौतिक विशेषताओं या प्रयोगों को नहीं बदलती है। भारत में कोई विनियमन नहीं है, और कोई खरीदार विनिर्देश या निर्यात अनुबंध, प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। दो के बजाय एक ग्रेड को संभालने की सुविधा एक परिचालन प्राथमिकता है और सामान को अलग नहीं बनाती है, क्योंकि घरेलू उद्योग हल्के और घने सोडा ऐश दोनों की आपूर्ति करते हैं। गुणवत्ता के संबंध में एक प्रयोक्ता के दावे परीक्षण आंकड़े द्वारा समर्थित नहीं हैं जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सिंथेटिक सोडा ऐश फ्लोट ग्लास के लिए अनुपयुक्त है; भारत में फ्लोट ग्लास उत्पादकों ने दोनों का उपयोग किया है।

26. किसी भी स्थिति में, भले ही प्राकृतिक सोडा ऐश को "समान" नहीं माना जाता है, यह धारा 9क (4) (ख) के अभिप्राय से सिंथेटिक सोडा ऐश के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी है। उल्लेखित जांच परिणामों में अपवाद उन उत्पादों से संबंधित थे जिनका घरेलू उद्योग बिल्कुल भी निर्माण नहीं करता था, या जिनके लिए घरेलू आपूर्ति मांग से कम थी। यहां घरेलू उद्योग हल्की और घनी सोडा ऐश बनाता है और एमआरपी में लगभग 6.7 लाख एमटी अप्रयुक्त क्षमता थी। प्राकृतिक सोडा ऐश का भी संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और केन्या से भारी मात्रा में आयातों का हिस्सा है, जो अधिकांश है। इसको बाहर करने, या इसके लिए एक अलग अतिरिक्त कोटा, उपाय से अधिकांश बढ़े हुए आयात को हटा देगा और इसे अप्रभावी बना देगा। खंड-I में पाई गई गंभीर क्षति का खतरा मुख्य रूप से इन कम कीमत वाली आपूर्ति से उत्पन्न होता है; एक उपाय जो उन्हें बाहर छोड़ देता है, इसे हल नहीं करेगा।

27. **विशेष हल्का सोडा ऐश :** एक प्रयोक्ता ने अशुद्धियों, घनत्व और कण आकार पर सख्त सीमाओं के साथ हल्के सोडा ऐश के एक ग्रेड को बाहर करने की मांग की। निम्नलिखित कारणों से अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है:

(क) **विनिर्देश सुसंगत नहीं है:** प्रयोक्ता के अपने अनुरोध एक ही मापदंडों के लिए अलग-अलग सीमाएँ देते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और घनत्व शामिल हैं। किसी उत्पाद को तब तक बाहर नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे ठीक से परिभाषित न किया जाए।

(ख) **गैर-उपलब्धता सिद्ध नहीं है:** भारतीय उत्पादकों के साथ दायर पत्राचार सीमित है, और दर्शाता है कि एक भारतीय उत्पादक कई निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा कर सकता है। प्रयोक्ता द्वारा दायर दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि वह एक भारतीय उत्पादक से मानक हल्की सोडा ऐश खरीदता है।

(ग) **बाहर रखना लागू नहीं किया जा सकता था:** एक आपूर्तिकर्ता की आंकड़ा तालिका द्वारा परिभाषित ग्रेड, सीमाओं के साथ जो स्वयं अलग-अलग बताती है, केवल प्रत्येक खेप के प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा सीमा पर पहचाना जा सकता है।

(घ) **उद्धृत दृष्टांतों को अलग किया जा सकता है:** उनके विपरीत, जिस उत्पाद को बाहर रखा जाना है, वह एक अलग उत्पाद नहीं है, जो भारत में अनुपलब्ध है और विवरण द्वारा पहचाना जा सकता है; यह वही रसायन है, उसी प्रकाश रूप में और उसी प्रशुल्क लाइन के तहत भारत में बनाए गए सोडा ऐश के रूप में, और केवल ट्रेस अशुद्धियों की सीमाओं में भिन्न है।

28. प्रयोक्ता के आयात कम हैं और ज्यादातर उन सामानों में प्रयोग के लिए अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत किए जाते हैं जिनका वास्तविक रूप से निर्यात किया जाता है। इसलिए इसकी चिंता को कोटा (खंड त, शर्त (vi)) के बाहर ऐसे आयात को रखकर हल किया जाता है, और बिना विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित किए प्रयोक्ताओं द्वारा किसी भी अन्य आयात को देश के कोटे के भीतर किया जा सकता है।

29. **ग्रेड:** हल्के और घने सोडा ऐश का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है, और दोनों को पहले की जांच की तरह क्षेत्र में शामिल किया गया है। किसी भी पक्षकार ने मांग, आयात या कीमतों पर ग्रेड-वार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। ग्रेड एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक ही उत्पादक द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए खतरे, कारण और सार्वजनिक हित का विश्लेषण किया गया है, और कोटा पूरे उत्पाद के लिए लागू होता है। प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र जैसा कि जांच की शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान नियम 2(1)(ड.) के अभिप्राय से समान वस्तु हैं और किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 9क (4)(ख) के अभिप्राय से सीधे प्रतिस्पर्धी सामान है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) आवेदन-पत्र में यह प्रकट नहीं किया गया कि दो आवेदकों, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड, के संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध उत्पादक हैं जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उन निर्यातों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) केन्या में उत्पादक टाटा केमिकल्स लिमिटेड की एक समूह कंपनी है और उसके केन्या से लगभग सभी आयात हैं। जो उत्पादक स्वयं आयात से जुड़े हैं, वे उन आयातों से क्षति का दावा नहीं कर सकते। प्राधिकृत अधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा बन सकते हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

31. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) टाटा केमिकल्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड की संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध कंपनियां हैं जिन्होंने भारत को निर्यात किया है। न तो अधिनियम और न ही नियमावली में निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध उत्पादकों को बाहर रखने का प्रावधान है।

(ii) संबद्ध कंपनियों द्वारा या उनसे किए गए सभी आयात, आयात आंकड़ों में शामिल हैं और इस उपाय के अधीन होंगे।

घ.3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

32. **आवेदक:** आवेदन-पत्र संबद्ध सामानों के पांच भारतीय उत्पादकों की ओर से अल्काली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया था:

- डीसीडब्ल्यू लिमिटेड
- जीएचसीएल लिमिटेड
- निरमा लिमिटेड
- आरएसपीएल लिमिटेड
- टाटा केमिकल्स लिमिटेड

इन पांच उत्पादकों को "आवेदक" कहा गया है।

33. **कानूनी ढांचा**

- **अधिनियम की धारा 9क (4)(ख)** "घरेलू उद्योग" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

 - समग्र रूप से, भारत में समान सामानों या सीधे प्रतिस्पर्धी सामानों की; या

 - जिसका ऐसे सामान का सामूहिक उत्पादन भारत में उन सामानों के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

- **नियम 5(1)** के अनुसार आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया जाना चाहिए।

- **रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 4.1 (ग)** उसी प्रभाव का है, जिसमें "प्रमुख अनुपात" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।
- **कोई संख्यात्मक सीमा नहीं:** न तो अधिनियम, न ही नियम और न ही करार इसे निर्धारित करता है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 के विपरीत, उनमें समर्थन के न्यूनतम स्तर की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
- **मात्रात्मक और गुणात्मक सामग्री:** "प्रमुख अनुपात" का अर्थ है कुल घरेलू उत्पादन का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात। यह पर्याप्त होना चाहिए कि इसमें शामिल उत्पादक पूरे उद्योग का प्रतिनिधित्व करें। अनुपात जितना अधिक होगा, क्षति के आकलन में विकृति का जोखिम उतना ही कम होगा। आंकड़े कवरेज को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आंकड़ों को उद्योग की स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

34. **भारत में उत्पादन:** सबसे हाल की अवधि (एमआरपी) के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन इस प्रकार था:

उत्पादक	स्थिति	भारतीय उत्पादन में हिस्सा (एमआरपी)
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड	आवेदक	लगभग 98% (36,91,985 एमटी)
ट्यूटीकोरिन अल्काली केमिकल्स और उर्वरक लिमिटेड	गैर-आवेदक	लगभग 2% (58,430 एमटी)
कुल		37,50,415 एमटी

35. आवेदकों का भारतीय उत्पादन में लगभग 98% हिस्सा है। जांच की पूरी अवधि के दौरान उनका हिस्सा इसी क्रम का था। इसलिए मात्रात्मक रूप से उनका सामूहिक उत्पादन कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। यह गुणात्मक रूप से भी प्रतिनिधिकारक है:
 - इनमें एक को छोड़कर सभी भारतीय उत्पादक शामिल हैं।

- वे हल्का और घनी सोडा ऐश दोनों बनाते हैं।
- वे सभी प्रमुख प्रयोक्ता क्षेत्रों की आपूर्ति करते हैं।

इसलिए आवेदकों का आंकड़े संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन की स्थिति को समग्र रूप से दर्शाते हैं। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (खंड ठ) द्वारा दी गई सूचना से यह भी पता चलता है कि सोडा ऐश का उत्पादन भारत में छह कंपनियों, पांच आवेदकों और तूतीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है और आवेदकों का 2024-25 में भारतीय उत्पादन में लगभग 98% हिस्सा है।

36. **निर्यातकों से संबद्ध उत्पादक:** रिकॉर्ड निम्नलिखित सिद्ध करता है:
 - टाटा केमिकल्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड के संयुक्त उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान अमेरिका से भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया था।
 - केन्या में उत्पादक, टाटा केमिकल्स लिमिटेड की एक समूह कंपनी का केन्या से लगभग सभी आयातों में हिस्सा है।

37. प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

(क) **संविधि में संबद्ध-पक्षकार कों अलग न रखना**: पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 (i) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख), निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध उत्पादकों, या जो स्वयं आयातक हैं, को बाहर करने की अनुमति देता है। रक्षोपाय करार की धारा 9क (4) (ख), नियमावली या अनुच्छेद 4.1 (ग) में कोई संबद्ध प्रावधान मौजूद नहीं है। अंतर जानबूझकर किया गया है। रक्षोपाय सभी स्रोतों से बढ़ते आयातों को हल करता है (अनुच्छेद 2.2; नियम 11), जिसमें यह ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या उनका उचित रूप से व्यापार किया जाता है। अत:, किसी विदेशी निर्यातक के साथ संबंध घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर नहीं करता।

(ख) **घरेलू प्रचालनों तक सीमित क्षति के आंकड़े:** जांच किए गए क्षति के आंकड़े भारत में संबद्ध सामानों के लिए आवेदकों के उत्पादन, बिक्री और वित्तीय परिणामों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ भी संबद्ध विदेशी उत्पादकों के परिणामों को प्रतिबिंबित नहीं दर्शाता है।

(ग) **आयात आंकड़ों में संबद्ध पक्षकार के आयात शामिल हैं:** संबद्ध उत्पादकों से आयात का विश्लेषण किए गए आयात आंकड़ों को शामिल किया जाता है और अन्य आयातों की तरह ही इस उपाय के अधीन होगा। संबद्ध कंपनियों से आयात, चाहे वह बढ़ रहा हो या गिर रहा हो, कुल आयात का हिस्सा है, जिस पर खंड-I में गंभीर क्षति होने का खतरा आंका गया है। वे भारत में घरेलू उद्योग के प्रचालन के लिए खतरे को कम नहीं करते हैं।

(घ) **आवेदन-पत्र में गैर-प्रकटन:** आवेदन-पत्र में संबंध का प्रकटन नहीं किया गया। हालाँकि, संगत तथ्य अब रिकॉर्ड में हैं और उन सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध थे, जिन्होंने उन पर टिप्पणी की है। इस चूक से आवेदकों के आधार या जांच किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

38. **निष्कर्ष:** यह आवेदन-पत्र नियम 5(1) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि पांच आवेदक, जिनका सामूहिक उत्पादन भारत में संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 98%) है, अधिनियम की धारा 9क (4)(ख) और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 (ग) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं। इन जांच परिणामों में उन्हें "घरेलू उद्योग" के रूप में उल्लिखित किया गया है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

39. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। विशेष रूप से: (क) 2022-23 के लिए कीमत कटौती को केवल "नकारात्मक" के रूप में दिखाया गया था; (ख) उत्पादन की उत्पादक-वार लागत (अनुबंध 6.1 (ख)) को सार्थक रेंज या रुझानों के बिना पूरी तरह से संपादित किया गया था; (ग) निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के कथित प्रभाव के लिए कोई समर्थक आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे; और (घ) अनुबंध 3.3 पर बाजार रिपोर्ट का कोई सार प्रदान नहीं किया गया था, और आवेदक द्वारा बार-बार प्रयासों और उसके पुन: अपलोडिंग के बावजूद अनुबंध 3.5 सेतु पोर्टल से डाउनलोड नहीं किया जा सका।

(ii) घरेलू उद्योग के अगोपनीय आंकड़ों को क्षमता, उत्पादन, कैप्टिव खपत, बिक्री और मालसूची के समेकन के साथ अनुक्रमित श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) प्राधिकृत अधिकारी को उप-शीर्ष 2836 20 के तहत लेनदेन-वार आयात आंकड़े और प्रयोग किए गए किसी भी अन्य कोड को सत्यापित करना चाहिए, विचाराधीन उत्पाद को अन्य प्रविष्टियों से अलग करना चाहिए, निर्यातक देश से अलग-अलग मूल देश की पहचान करनी चाहिए, पाटनरोधी जांच में यूएई के माध्यम से माल के रूटिंग को हल करना, जहां उचित हो, आय और पुन: निर्यात से बाहर करना, और पृथक्करण की विधि का प्रकटन करना।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

40. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) आयात आंकड़े को अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित करने पर घरेलू उद्योग को कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) यह आरोप कि 2022-23 के कीमत कटौती का प्रकटन नहीं किया गया था, गलत है। आवेदक ने स्पष्ट रूप से प्रकटन किया कि 2022-23 में कीमत कटौती नकारात्मक थी, और शेष अवधियों के लिए आंकड़े सूचीबद्ध रूप में और रेंज के रूप में प्रस्तुत किए गए थे।

(iii) उत्पादन की कंपनी-वार लागत में व्यवसाय-संवेदनशील सूचना शामिल है, जिसमें कच्चे माल की खपत, उत्पादन की लागत और प्रत्येक आवेदक कंपनी की लाभप्रदता शामिल है। इसके प्रकटन से संबंधित कंपनियों के वाणिज्यिक हितों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और तद्नुसार गोपनीयता का दावा किया गया है।

(iv) आवेदक ने संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री, आयात मात्रा, मांग, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार, उत्पादकता और मालसूची के संबंध में वास्तविक आंकड़ों का प्रकटन किया है, जो दावा की गई क्षति के आधार को समझने और उस पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना प्रदान करता है। प्रयोक्ताओं पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के प्रभाव के संबंध में, आवेदक ने सोडा ऐश पर पाटनरोधी जांच परिणामों और इसके लिखित अनुरोधों पर विश्वास किया, जिसमें प्रस्तावित कोटा के बाद आवश्यक क्षमता उपयोग की गणना शामिल है।

(v) अनुबंध 3.3 में एक तृतीय-पक्षकार बाजार रिपोर्ट के उद्धरण शामिल हैं, जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक अधिकृत नहीं है। अनुबंध 3.5 भारत की प्रशुल्क रियायतों की अनुसूची है, जो सार्वजनिक पटल पर है।

(vi) अत्यधिक गोपनीयता का आरोप लगाने वाले प्रयोक्ता ने अपने संयंत्र के स्थान, आयात मात्रा और कीमतों पर गोपनीयता का दावा किया है।

ड.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

41. **कानूनी ढांचा:** नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से

स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) प्राधिकृत अधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार प्राधिकृत अधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेंगे कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

42. नियम 7 रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 के अनुरूप है। गोपनीय उपचार केवल "कारण दिखाए जाने पर" दिया जाना है, और कारण का मूल्यांकन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाना चाहिए, न कि केवल पक्षकार के दावे पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अगोपनीय सार में सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए, ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने हितों का बचाव कर सकें (ईसी - फास्टनर्स (चीन), अपीलीय निकाय, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के संबंधित प्रावधानों पर)। गोपनीय सूचना पर जांच परिणामों में विश्वास किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके आधार पर तर्क इस तरह से निर्धारित किया गया हो कि हितबद्ध पक्षकार समझ सकें।

43. **गोपनीयता के दावे:** सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर नियम 6 (7) के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे। गोपनीयता के किए गए दावे इस प्रकार थे:

(क) घरेलू उद्योग ने अपने बिक्री मूल्य, बिक्री कीमत, बिक्री की लागत, कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी, मूल्यह्रास, ब्याज, नियोजित पूंजी और नियोजित पूंजी पर आय, वास्तविक कीमत कटौती, अपनी कैप्टिव खपत,

प्रत्येक आवेदक का कंपनी-वार आंकड़े, जिसमें क्षमता, उत्पादन, बिक्री, उत्पादन की लागत और लाभप्रदता शामिल है, और अनुबंध 3.3 पर बाजार रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया।

(ख) प्रतिभागी निर्यातकों ने अपने संबद्ध पक्षकारों, कीमत समायोजन, लागत और लाभ से संबंधित सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया।

(ग) आयातकों ने अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आपूर्तिकर्ता सूची, बीजक और एंट्री बिलों, प्रकार, स्रोत और अवधि के अनुसार उनके आयात की मात्रा और मूल्य और उनके ग्राहकों के नामों पर गोपनीयता का दावा किया।

(घ) प्रयोक्ताओं ने घरेलू स्तर पर आयात या खरीद किए गए उत्पाद की मात्रा और मूल्य, एंट्री बिलों, उनके आपूर्तिकर्ताओं के नाम और संपर्क विवरण, भुगतान की शर्तें, उनकी संस्थापित क्षमता और रोजगार, उनके उत्पादों की लागत में विचाराधीन उत्पाद की हिस्सेदारी, उनके ग्राहकों के नाम और उनके कारखानों और उत्पादों के विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया।

44. प्राधिकृत अधिकारी ने इनमें से प्रत्येक दावे की जांच की है। ऊपर सूचीबद्ध प्रकार की सूचना व्यवसाय-संवेदी है: इसका प्रकटन किसी प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा या उस पक्षकार को आपूर्ति करने वाले व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिससे उस पक्षकार ने प्राप्त किया। अत: कारण दर्शाया गया है, और दावों को इस हद तक स्वीकार किया गया है कि सूचना वास्तव में गोपनीय पाई गई है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना, जिसमें भारत की रियायतों की अनुसूची और प्रकाशित कंपनी के परिणाम शामिल हैं, को गोपनीय नहीं माना गया है, न ही आयात आंकड़े को गोपनीय माना गया है। इन जांच परिणामों में, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग, घरेलू और निर्यात बिक्री, मालसूची, रोजगार और उत्पादकता, और मांग और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग के आंकड़े पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हैं; इन जांच परिणामों के अगोपनीय रूपांतर में, कैप्टिव खपत, कीमतों, लागत और लाभप्रदता के संबंध में उनके आंकड़े सूचीबद्ध रूप में या रेंज में निर्धारित किए गए हैं, जो उनके सार की उचित समझ के लिए पर्याप्त है।

45. **विशिष्ट आपत्तियां**: हितबद्ध पक्षकारों की विशिष्ट आपत्तियों को निम्नानुसार हल किया गया है:

(क) ***2022-23 के लिए कीमत कटौती***: घरेलू उद्योग ने प्रकटन किया कि 2022-23 में कीमत कटौती नकारात्मक थी। चूंकि आयात की पहुंच कीमत आयात आंकड़े से प्राप्त होती है, अत: वास्तविक कीमत कटौती का प्रकटन घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत प्रकट करेगा। प्रत्येक अवधि के लिए कीमत कटौती, जिसमें 2022-23 भी शामिल है, इन जांच परिणामों के अगोपनीय रूपांतर के खंड I में एक रेंज के रूप में दिखाया गया है, जो पक्षकारों को इसे समझने और टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) ***उत्पादक-वार उत्पादन लागत:*** प्रत्येक घटक के उत्पादन की लागत उसकी कच्ची सामग्री की खपत, लागत और मार्जिन को प्रकट करती है, और इसका प्रकटन उस घटक को उसके प्रतिस्पर्धियों सहित अन्य घटकों के संबंध में गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। यह दावा स्वीकार किया जाता है। इन जांच परिणामों में विश्लेषण घरेलू उद्योग के समग्र आंकड़ों कं संबंध में किया गया है, जिसकी लागत, कीमतों और मुनाफे की प्रवृत्तियाँ इन जांच परिणामों के अगोपनीय रूपांतर के खंड I में सूचीबद्ध रूप में प्रकट की गई हैं। कोई भी निर्धारण केवल उत्पादक-वार आंकड़े पर निर्भर नहीं करता है।

(ग) ***निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर प्रभाव संबंधी आंकड़े***: यह आपत्ति साक्ष्य की पर्याप्तता से संबंधित है न कि गोपनीयता से। प्रयोक्ताओं पर इस उपाय के प्रभाव की जांच रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर खंड ठ में की गई है, जिसमें भारतीय क्षमता, कोटा का स्तर, अनुमानित मांग, प्रयोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के विचार शामिल हैं।

(घ) ***अनुबंध 3.3 और 3.5:*** अनुबंध 3.3 में लाइसेंस के तहत तीसरे पक्षकार द्वारा प्रकाशित बाजार रिपोर्ट के उद्धरण शामिल हैं, जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक अधिकृत नहीं है। इसके गोपनीय उपचार का अच्छा कारण दिखाया गया है। यूरोपीय संघ में सोडा ऐश की मांग से संबंधित इन जांच परिणामों में इसके आधार पर आंकड़े, खंड ज में निर्धारित किए गए हैं। रियायतों की

अनुसूची 3.5 भारत की प्रकाशित अनुसूची है; इसे पोर्टल पर फिर से उपलब्ध कराया गया था और यह गोपनीय नहीं है।

(ड.) ***प्रयोक्ताओं द्वारा दावा की गई गोपनीयता:*** संयंत्र स्थान, आयात मात्रा और व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं की कीमतें व्यवसाय-संवेदी हैं, और दावा स्वीकार किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी ने इन आंकड़ों पर इस तरह से विश्वास नहीं किया है कि उन्हें प्रकटन की आवश्यकता है; आयात का विश्लेषण डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़ों पर आधारित है।

(च) ***आयात आंकड़े:*** यह अनुरोध आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता से संबंधित है न कि गोपनीयता से है। जैसा कि खंड-च में निर्धारित किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है, जो विचाराधीन उत्पाद के तहत प्रविष्टियों को हटाने के लिए सामानों के विवरण के आधार पर अलग किया गया है, और आयात को घोषित मूल देश के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात से आयात के पृथक्करण और उपचार की विधि को खंड च और खंड ड में स्पष्ट किया गया है।

46. **निष्कर्ष:** प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट हैं कि स्वीकार किए गए गोपनीयता के दावे नियमावली के नियम 7 और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 के तहत मान्य हैं, और यह कि सूचना के अगोपनीय रूपांतर और इन जांच परिणामों के अगोपनीय रूपांतर में सूचीबद्ध आंकड़े, विश्वास में प्रस्तुत सूचना के पदार्थ की उपयुक्त समझ के लिए पर्याप्त हैं। विश्वास में दी गई किसी भी सूचना को नजरअंदाज नहीं किया गया है।

च. <u>विविध मुद्दे</u>

च.1 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **डब्ल्यूटीओ में अधिसूचना:** रक्षोपाय समिति को "तत्काल" आवश्यक रूप से अनुच्छेद 12.1 (क) (कोरिया - डेयरी; अमेरिका - गेहूं ग्लूटेन; यूक्रेन - यात्री कारें)

के रूप में सूचित नहीं किया गया था। परामर्शों से संबंधित अनुच्छेद 8 और 12.3 के तहत दायित्वों को पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) **आवेदन-पत्र की उपलब्धता:** आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(iii) **कानूनी आधार:** यह जांच सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के तहत की जानी चाहिए थी, और आवेदन-पत्र में जांच शुरुआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है।

(iv) **व्यापार उपचार का बार-बार सहारा:** घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद पर बार-बार व्यापार उपचार की मांग की है, जो आयात के असमान उपचार के बराबर है और गैट 1994 के अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रीय उपचार के असंगत है।

(v) **घरेलू उद्योग का स्थान और आपूर्ति विश्वसनीयता:** घरेलू उद्योग गुजरात में केंद्रित है, जो अन्य क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं से दूर है। प्रयोक्ताओं को अधिसूचित करने से अधिक लंबे समय तक बंदी, टर्बाइन टूटने और ट्रकों की कमी का सामना करना पड़ा, और उन्हें लगातार आपूर्ति या उल्लिखित नहीं किया गया था।

(vi) **आयात आंकड़ों की सटीकता:** रूस के एक निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उसने अकेले 2022-23 में रूस के लिए दिखाए गए 21,563 एमटी की तुलना में भारत को अधिक निर्यात किया। आवेदन-पत्र में आयात आंकड़ों में वे सामान शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं और सामान के देश से मूल देश को अलग नहीं करते हैं।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) 24 अप्रैल 2026 (जी/एसजी/एन/6/आईएनडी/51) को डब्ल्यूटीओ को जांच की शुरुआत अधिसूचित की गई थी। जांच की शुरूआत करने से पहले साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच की गई थी। मात्रात्मक प्रतिबंध एक सीमा माप है, जिसके लिए अनुच्छेद 19 अपवाद प्रदान करता है।

(ii) प्रयोक्ताओं ने आपूर्ति की कोई विफलता नहीं दिखाई है। विश्वास में दायर किए गए घरेलू उद्योग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रयोक्ताओं को आपूर्ति हर तिमाही में जारी रही।

(iii) घरेलू उद्योग को लेनदेन-वार आंकड़ों के उपयोग, विचाराधीन उत्पाद के पृथक्करण या यूएई के माध्यम से भेजे गए सामान के सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके अपने आंकड़े प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित थे।

च.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

(i) **डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना:** भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2026 (जी/एसजी/एन/6/आईएनडी/51) को रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.1 (क) के तहत रक्षोपाय समिति को जांच की शुरुआत अधिसूचित की। अनुच्छेद 12.1 (क) रक्षोपायों समिति के प्रति सदस्य का दायित्व है; यह जांच करने के लिए नियमावली की आवश्यकता नहीं है, और इसका समय इन जांच परिणामों में साक्ष्य या निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है। निर्यातक देशों की सरकारों को भी नियम 6(2) के तहत सीधे जांच शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था। निर्यातक देशों की सरकारों को भाग लेने का अवसर मिला, और उनमें से दो ने अनुमत समय के भीतर अनुरोध दायर किए। अनुच्छेद 12.1 (ख), 12.1 (ग) और 12.2 के तहत अधिसूचनाएं केंद्रीय सरकार के इन जांच परिणामों और किसी भी निर्णय का पालन करेंगी। परामर्श और रियायतों से संबंधित करार के अनुच्छेद 8 और 12.3 के तहत दायित्व किसी भी उपाय को लागू करने से पहले केंद्र सरकार के लिए मामले हैं।

(ii) **आवेदन-पत्र की उपलब्धता:** नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर निर्यातक देशों की सरकारों, ज्ञात निर्यातकों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार को प्रदान किया गया था, और सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। नियम 6(3) के लिए किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को केवल लिखित अनुरोध पर एक प्रति देने की आवश्यकता होती है; प्राधिकृत अधिकारी ने सभी पक्षकारों के लिए पोर्टल पर इसे रखकर इससे भी अधिक काम किया।

(iii) **कानूनी आधार:** यह जांच अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के तहत की जाती है, जो मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपायों को नियंत्रित करती है, और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के तहत नहीं, जो रक्षोपाय दायित्वों को नियंत्रित करता है। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है कि आवेदन-पत्र में पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव था: नियम 5 (3) द्वारा आवश्यक रूप से जांच से पहले साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच की गई थी, और ये जांच परिणाम जांच में एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित हैं।

(iv) **व्यापार उपचार का बार-बार सहारा:** प्रत्येक आवेदन-पत्र की धारा 9क की आवश्यकताओं के विरुद्ध अपने औचित्य के आधार पर जांच की जाती है। यूएसए और तुर्की से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क क्रमशः दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में समाप्त हो गया, और जनवरी 2021 के अंतिम जांच परिणामों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। 29 सितंबर 2025 की अंतिम जांच परिणामों के निष्कर्षों साथ समाप्त होने वाली पाटनरोधी जांच के परिणामस्वरूप शुल्क नहीं लगाया गया। गैट 1994 के अनुच्छेद VI और के अनुच्छेद में व्यापार उपचार जांच का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। एक सुरक्षा उपाय पाटनरोधी से एक अलग स्थिति को हल करता है: सभी स्रोतों से आयात में वृद्धि, भले ही वे उचित रूप से व्यापारित हों। गैट 1994 का अनुच्छेद आंतरिक करों और विनियमों को नियंत्रित करता है। गैट 1994 के अनुच्छेद VI और XIX में व्यापार उपचार जांचों का स्पष्ट रूप से प्रावधान है। सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि है, यह ध्यान न देते हुए कि क्या उनका उचित रूप से व्यापार किया गया है। गैट 1994 का अनुच्छेद III आंतरिक करों और विनियमों को नियंत्रित करता है। गैट 1994 के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार के तहत सीमा पर मात्रात्मक प्रतिबंध एक आंतरिक उपाय नहीं है, और आवेदन-पत्र में विवरण कि घरेलू उद्योग लगभग पूरी घरेलू मांग को पूरा कर सकता है, इसे ऐसा नहीं बनाता है।

(v) **घरेलू उद्योग का स्थान और आपूर्ति विश्वसनीयता:** घरेलू उद्योग पूरी अवधि में गुजरात में स्थित रहा है, इसलिए इसका स्थान 2022-23 के बाद इसकी स्थिति में परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकता है। बंद होने, टूटने, ट्रकों की कमी और आपूर्ति के संबंध में प्रयोक्ताओं के दावों का बड़े पैमाने पर तिथियों, मात्राओं या पत्राचार द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास में दायर किए गए रिकॉर्ड

प्रयोक्ताओं को आपूर्ति में किसी भी विफलता को नहीं दर्शाते हैं। आपूर्ति में अलग-अलग देरी, यहां तक कि जहां वे हुईं, सभी स्रोतों से आयात में वृद्धि की व्याख्या नहीं करती है। घरेलू उद्योग में एमआरपी (खंड-1) में लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन अप्रयुक्त क्षमता थी, इसलिए आयात में वृद्धि घरेलू आपूर्ति की कमी के कारण नहीं हुई थी। अस्थायी संयंत्र की खराबी निरंतर-प्रक्रिया उद्योगों की एक सामान्य विशेषता है और इसकी जांच धारा ञ में की गई है।

(vi) **आयात आंकड़ों की परिशुद्धता**: डीजीसीआईएंडएस निकासी की तारीख तक आयात को रिकॉर्ड करता है, जबकि एक निर्यातक शिपमेंट की तारीख तक बिक्री को रिकॉर्ड करता है। तीन प्रतिनिधिकारक वर्षों 2020-21 से 2022-23 तक, डीजीसीआईएंडएस ने रूस से 1,61,266 एमटी रिकॉर्ड किया, जो उसी अवधि के लिए निर्यातक के अपने आंकड़ों के समान क्रम का है; अलग-अलग वर्षों में अंतर समय का है। प्राधिकृत अधिकारी ने सभी देशों के लिए डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है, जो सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एकमात्र सुसंगत स्रोत है, न कि आवेदन-पत्र में आंकड़ों के संबंध में। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत नहीं आने वाली प्रविष्टियों को हटाने के लिए सामानों के विवरण के आधार पर लेन-देन-वार आंकड़ों को अलग किया गया था, और आयातों के लिए घोषित मूल देश को जिम्मेदार ठहराया गया है। ईरानी और यूएई मूल के रूप में घोषित आयात को तालिकाओं में एक साथ दिखाया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों और सितंबर 2025 के पाटनरोधी जांच परिणामों में नोट किया गया कि ईरानी मूल के सामान यूएई के माध्यम से भेजे जाते हैं; घोषित मूल देश का प्रयोग विकासशील देश के परीक्षण और कोटा के आवंटन के लिए किया गया है। घरेलू उद्योग के आंकड़े, प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर, प्रति वर्ष 26,215 - 61,142 एमटी द्वारा लेनदेन-वार आंकड़ों से अधिक हैं, क्योंकि प्रकाशित आंकड़ों में प्रविष्टियां शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। इन जांच परिणामों में निष्कर्ष इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि किस श्रृंखला का उपयोग किया जाता है।

छ. बढ़े हुए आयात

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **कोविड-पूर्व स्तरों में वापसी:** आधार वर्ष 2020-21 से 2022-23 कोविड-प्रभावित गर्त हैं। 2017-18 में आयात 7,72,622 एमटी था, 2018-19 में 8,36,994 एमटी और 2019-20 में 8,47,704 एमटी (या अन्य आधार पर 9,20,306 एमटी)। 2019-20 से मापी गई, 2023-24 में वृद्धि केवल 13-23% है।

(ii) **एक कदम, फिर प्लेट्यु:** आयात 2023-24 में एक बार बढ़ा, और उसके बाद मोटे तौर पर बराबर था: एमआरपी केवल 0.5 प्रतिशत 2023-24 से अधिक है। कुछ स्रोत बढ़े और अन्य गिर गए, जो एक उछाल के बजाय पुनर्वितरण है। निर्धारण की तारीख तक वृद्धि दो साल से अधिक पुरानी है और "हाल की" नहीं है (अर्जेंटीना - फुटवियर, एबी; यूक्रेन - यात्री कारें, पैनल)। 2024-25 और 2025-26 के लिए पूर्ण-वर्ष के आंकड़े एक गिरावट दर्शाते हैं जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए (यूएस - स्टील रक्षोपाय, एबी)।

(iii) **वार्षिकीकरण:** मौसमीकरण के कारण और क्योंकि यह न्यूनतम आयात कीमत से पहले और उसके दौरान के महीनों को मिलाता है, दो नौ महीने की अवधि का वार्षिकीकरण असुरक्षित है। बारह महीने अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 का उपयोग किया जाना चाहिए (भारत - लौह और इस्पात उत्पाद, पैनल)।

(iv) **सापेक्ष वृद्धि:** आयात की हिस्सेदारी 2023-24 में 25% से घटकर 23% हो गई, जबकि घरेलू घरेलू उद्योग का हिस्सा बढ़ गया। आयातों ने मांग में वृद्धि को पूरा किया है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) 2022-23 की तुलना में 2023-24 में आयात में लगभग 80% की वृद्धि हुई, और आधार वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि हुई, और न्यूनतम आयात कीमत सहित उस स्तर पर बनी रही। यदि वे बढ़े हुए स्तर पर बने रहते हैं तो अवधि के अंत में आयात

में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है (यूएस - लाइन पाइप; यूएस - लैम्ब; फेरो-अलॉय पर यूरोपीय संघ का रक्षोपाय, 2025)।

(ii) कोविड से पहले के वर्ष पाटनरोधी शुल्क और पाटित आयातों से प्रभावित थे। दो नौ महीने की अवधि न्यूनतम आयात कीमत से पहले और उसके दौरान की अवधि को अलग करती है। जांच की अवधि के बाद गिरावट लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग में अस्थायी व्यवधान को दर्शाती है।

छ.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

47. अधिनियम की धारा 9क (1) में यह अपेक्षित है कि सामानों का आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में किया जाए, जो नियम 2(1)(ग) के तहत पूर्ण या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हो सकता है, जिसमें क्षति हो सकती है या गंभीर क्षति का खतरा हो सकता है (नियम 5(1); रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 2.1)। यह वृद्धि हाल की, अचानक, तेज और पर्याप्त रूप से , मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से पर्यात होनी चाहिए (अर्जेंटीना - फुटवियर, एबी)। इस प्रवृत्ति की जांच, पूरी अवधि में की जानी चाहिए, जिसमें इसके भीतर की प्रवृत्तियां भी शामिल हों, न कि केवल इसके अंतिम बिंदुओं की तुलना करके। रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 2.1 एक ऐसे उत्पाद के बारे में बात करता है जिसे ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में "आयात किया जा रहा है"। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या हाल के समय में आयात का स्तर बढ़ा हुआ है, न कि क्या वे अवधि के अंतिम महीनों में भी बढ़ रहे थे।

48. **निरपेक्ष रूप:** संबद्ध सामानों का आयात इस प्रकार था:

देश	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिस. 24 (ए)	जन.सित. 25 (ए)
यूएसए	एमटी	1,95,753	81,801	88,133	2,02,846	1,62,725	3,85,453
टर्की	एमटी	85,013	1,04,450	1,05,809	3,56,363	3,55,189	2,85,292

देश	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिस. 24 (ए)	जन.सित. 25 (ए)
ईरान/यूएई	एमटी	1,20,908	78,689	54,953	78,373	1,43,911	1,35,893
रूस	एमटी	87,836	51,867	21,563	1,31,803	1,42,162	58,593
ईयू	एमटी	1,02,295	98,893	67,658	70,200	44,663	60,643
केन्या	एमटी	83,236	1,16,716	79,604	90,380	63,684	55,620
चीन जन.गण.	एमटी	11,670	261	94,725	46,808	10,789	30,529
अन्य	एमटी	5,210	534	5,207	3,223	280	0
कुल	**एमटी**	**6,91,922**	**5,33,211**	**5,17,653**	**9,79,996**	**9,23,404**	**10,12,024**
पूर्व अवधि में परिवर्तन	%	-	-22.9%	-2.9%	89.3%	-5.8%	9.6%

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़े (ए) = वार्षिकीकृत

49. 2021-22 और 2022-23 में आयात में गिरावट आई और फिर 2023-24 में 4,62,343 एमटी, या 89% की वृद्धि हुई, जो 5,17,653 एमटी से 9,79,996 एमटी तक पहुंच गई। यह वृद्धि उस वर्ष भारतीय खपत में हुई वृद्धि से तीन गुना से अधिक थी, और यह उस समय हुई जब भारतीय उत्पादन में गिरावट आई थी। अप्रैल-दिसंबर 2024 में आयात में थोड़ी कमी आई और एमआरपी में फिर से बढ़कर 10,12,024 एमटी (वार्षिक) हो गई, जो इस अवधि में उच्चतम स्तर है। एमआरपी के स्तर में न्यूनतम आयात मूल्य के पहले महीने जनवरी 2025 में 1,92,643 एमटी की मंजूरी शामिल है, जिसका कुछ हिस्सा पहले अनुबंधित या भेजे गए सामान से संबंधित होने की संभावना है। जनवरी 2025 को भी एक तरफ रखने पर, फरवरी-सितंबर 2025 में आयात 5,66,375 एमटी, या 8,49,562 एमटी वार्षिक था, जो 2022-23 से 64% अधिक था।

50. **संदर्भ अवधि:** पक्षकारों ने पहले के वर्षों के साथ आयात की तुलना की। 2016-17 में कुल आयात 6,88,860 एमटी था, 2017-18 में 7,72,622 एमटी और 2018-19 में 8,36,994 एमटी था (19 जनवरी 2021 के अंतिम जांच परिणाम)। 2019-20 के लिए, घरेलू उद्योग और कुछ अन्य पक्षकारों ने स्रोत का हवाला दिए बिना 8,47,704 एमटी का उपयोग किया; अन्य ने 9,20,306 एमटी का उपयोग किया, जो अप्रैल-दिसंबर 2019 वार्षिक है। 2023-24 में आयात इन वर्षों के उच्चतम से 6-16% अधिक है, और एमआरपी में आयात 10-19% अधिक है। 2017-18 से 2019-20 में मांग का आयात हिस्सा 22-25% था, जो एमआरपी में हिस्सेदारी के बराबर था। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि उन वर्षों में स्थितियां काफी भिन्न थीं। अधिकांश स्रोतों से आयात पर पाटनरोधी शुल्क दिसंबर 2018 और मार्च 2019 तक लागू था, और तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात अप्रैल-दिसंबर 2019 की अवधि में पाटित पाए गए थे। घरेलू क्षमता काफी कम थी: आरएसपीएल का 5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का संयंत्र केवल 2019-20 में उत्पादन शुरू हुआ, और जीएचसीएल ने 2018-19 में अपनी क्षमता का विस्तार किया। उन वर्षों के साथ तुलना करने पर जब भारतीय उद्योग छोटा था, यह नहीं दर्शाती है कि वर्तमान स्तर का आयात वर्तमान बाजार के लिए सामान्य है। धारा 9क के तहत संगत प्रश्न यह है कि क्या हाल की अवधि में आयात में वृद्धि हुई है, जांच की अवधि में समग्र रूप से जांच की गई है। उनके पास है: 2023-24 में आयात और बाद की दो अवधियों में 9,71,808 एमटी का औसत, जो तीन पूर्ववर्ती वर्षों के औसत से 67% अधिक है।

51. **वार्षिकीकरण और वैकल्पिक तुलना:** दो नौ महीने की अवधि को अलग रखा गया है क्योंकि न्यूनतम आयात कीमत 30 दिसंबर 2024 से लागू थी: अधिसूचना संख्या 46/2024-25 दिनांक 30 दिसंबर 2024 द्वारा, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 30 जून 2025 तक 20,108 रु. प्रति एमटी से नीचे सीआईएफ मूल्य पर सोडा ऐश के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाई गई बारह महीने की अवधि न्यूनतम आयात कीमत से पहले तीन महीने को इसके तहत नौ महीने के साथ मिला देगी। वृद्धि के जांच परिणाम वार्षिकीकरण पर निर्भर नहीं करते हैं: यह समान नौ महीने की अवधि और नीचे दिखाए गए कैलेंडर वर्षों के वास्तविक आंकड़ों पर समान रूप से निर्भर करती है,

और वार्षिकीकरण का उपयोग केवल दो नौ महीने की अवधि को तुलनीय आधार पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। भारत में मामले के विपरीत - लौह और इस्पात उत्पाद, जांच की वर्तमान अवधि में संदर्भ बिंदुओं के रूप में चार पूर्ण वित्तीय वर्ष हैं। समान नौ महीने की अवधि और कैलेंडर वर्षों की तुलना नीचे दी गई है, जो इस्पात फ्लैट उत्पाद रक्षोपाय जांच में की गई तुलना के लिए निर्यातकों के एक समूह के अनुरोध को भी पूरा करती है। यह परिणाम अन्य तुलनाओं पर भी समान है: पूर्णता के लिए, अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के बारह महीनों में 9,94,839 एमटी का आयात दर्ज किया गया, जो 2023-24 (9,79,996 एमटी) के स्तर पर था और 2022-23 से 92% अधिक था; और अप्रैल-सितंबर 2025 (4,52,556 एमटी) में आयात अप्रैल-सितंबर 2024 (4,56,732 एमटी) के स्तर पर था। इसलिए जांच परिणाम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हाल के महीनों को कैसे समूहीकृत किया गया है।

अवधि	**अप्रैल-सित. 20**	**जन.सित. 21**	**जन.सित. 22**	**जन.सित. 23**	**जन.सित. 24**	**जन.सित. 25**
कुल (एमटी)	3,18,109	4,84,071	3,78,741	6,06,935	7,03,381	7,59,018
वार्षिकीकृत (एमटी)	6,36,218	6,45,428	5,04,988	8,09,247	9,37,841	10,12,024
अवधि	**अप्रैल-दिस. 20**	**जन. दिस. 21**	**जन.सित. 22**	**जन. दिस 23**	**जन. दिस 24**	**जन. दिस 25**
कुल (एमटी)	5,13,542	5,79,643	4,80,839	9,02,108	9,39,202	7,59,018
वार्षिकीकृत (एमटी)	6,84,723	5,79,643	4,80,839	9,02,108	9,39,202	10,12,024

स्रोत: रिपोर्ट की तारीख के अनुसार डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़े। देशवार आंकड़े रिकॉर्ड में हैं। पहले कॉलम (अप्रैल-सितंबर 2020) में छह महीने शामिल हैं, क्योंकि जांच की अवधि अप्रैल 2020 में शुरू होती है।

52. चाहे समान नौ महीने की अवधि या कैलेंडर वर्षों की तुलना की जाए, आयात 2023 से तेजी से बढ़ा है और उस स्तर पर बना हुआ है, सबसे हाल की अवधि उच्चतम है।

53. **अभिनवता:** जांच की अवधि के अंत में आयात में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वृद्धि हाल की हो और आयात बढ़े हुए स्तर पर जारी रहे। जांच की अवधि में पिछले ढाई वर्षों में 2023-24 में वृद्धि हुई, और जांच की शुरुआत से साढ़े पांच महीने पहले, सितंबर 2025 में समाप्त होने वाले एमआरपी के माध्यम से इसे बनाए रखा गया। यह कोई अलग-थलग वृद्धि नहीं है: 2022-23 के बाद की प्रत्येक अवधि 2022-23 से कम से कम 78% अधिक है। निर्यातकों के एक समूह द्वारा उद्धृत 2025-26 के लिए पूर्ण-वर्ष के आंकड़े में जांच की अवधि के बाद के छह महीने शामिल हैं। उन महीनों में निम्न स्तर 31 दिसंबर 2025 तक न्यूनतम आयात कीमत के निरंतर संचालन के साथ मेल खाता है और उसके बाद, 2026 में लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग मार्गों के व्यवधान के साथ, जिसे घरेलू उद्योग ने अस्थायी बताया। अक्टूबर-नवंबर 2025 (1,42,727 एमटी, लगभग 8.56 लाख एमटी वार्षिक) के लिए रिकॉर्ड पर लेन-देन-वार आंकड़े भी 2022-23 के स्तर से ऊपर आयात दर्शाते हैं। ये आंकड़े जांच की अवधि के बाद आते हैं और केवल पुष्टिकरण के रूप में नोट किए जाते हैं; जांच परिणाम उन पर आधारित नहीं है। यहां तक कि निर्यातकों द्वारा उद्धृत 2025-26 के लिए 8,94,668 एमटी के स्तर पर भी, आयात उसी प्रकाशित आंकड़े (5,77,480 एमटी) पर 2022-23 स्तर से लगभग 55% अधिक था। वे यह नहीं दिखाते कि जांच की अवधि में पाई गई वृद्धि समाप्त हो गई है। स्रोतों के बीच पुनर्वितरण कुल को नहीं बदलता है: संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान/यूएई से आयात बढ़ गया जबकि तुर्की और रूस से आयात गिर गया, और कुल उच्च स्तर पर बना रहा।

54. **सापेक्ष रूप:** भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात इस प्रकार थे:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसं. 24 (ए)	जन.सित. 25 (ए)
कुल आयात	**एमटी**	**6,91,922**	**5,33,211**	**5,17,653**	**9,79,996**	**9,23,404**	**10,12,024**
भारतीय उत्पादन	एमटी	29,40,058	34,94,563	36,51,583	34,33,099	36,46,006	37,50,415
आयात/उत्पादन	%	24%	15%	14%	29%	25%	27%
भारतीय खपत	एमटी	36,03,876	38,60,417	39,19,622	40,65,693	42,86,973	45,00,479
आयात/खपत	%	19%	14%	13%	24%	22%	22%

भारतीय खपत = भारत में भारतीय उत्पादकों की बिक्री (कैप्टिव खपत सहित) + आयात। यह भारतीय उत्पादन और आयात से भिन्न है क्योंकि उत्पादन का कुछ हिस्सा निर्यात किया जाता है और मालसूची में परिवर्तन के कारण है।

55. 2023-24 में उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयात लगभग दोगुना हो गया और अधिक बना रहा। 2022-23 और एमआरपी के बीच, खपत में 5,80,857 एमटी की वृद्धि हुई, जिसमें से आयात में 4,94,371 एमटी (85%) शामिल था, तथापि घरेलू उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता थी। इसलिए यह तर्क कि आयात केवल मांग में वृद्धि को पूरा करता है, सही नहीं है।

56. प्राधिकृत अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन उत्पाद को भारत में बढ़ी हुई मात्रा में, पूर्ण रूप से और घरेलू उत्पादन के सापेक्ष आयात किया जा रहा है, और यह वृद्धि हाल ही में, अचानक, तेज और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए काफी अधिक है। एमआरपी में आयात अवधि के उच्चतम स्तर पर था, और यह खंड । के खतरे के विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है।

ज. <u>अप्रत्याशित घटनाएं और गैर दायित्वों का प्रभाव</u>

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **पूर्वानुमानीयता:** तुर्की और अमेरिका में क्षमता वृद्धि की घोषणा वर्षों पहले की गई थी (2021 और 2022 में विस्तार की घोषणा की गई थी)। मांग और

क्षमता में परिवर्तन एक वस्तु बाजार की सामान्य विशेषताएं हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ, लेकिन वृद्धि 2023-24 में आई, और अंतर की व्याख्या नहीं की गई है। वैश्विक मांग 2023 में 2.7% और 2024 में 8% बढ़ी।

(ii) **कोई तार्किक संबंध नहीं:** यूरोपीय संघ और यूके को तुर्की के निर्यात में 2023 में 5,46,601 एमटी की गिरावट आई, जबकि भारत को निर्यात में केवल 2,32,280 एमटी की वृद्धि हुई, और यूरोपीय संघ को तुर्की के निर्यात में 2024 और 2025 में सुधार हुआ जबकि भारत को निर्यात में गिरावट आई। 2024 में भारत को अमेरिकी निर्यात में गिरावट आई जबकि कुल अमेरिकी निर्यात में वृद्धि हुई। रूस के मुख्य बाजार सीआईएस में हैं। चीन जन.गण. से आयात में उछाल के दौरान गिरावट आई। घटनाओं से मूल "ब्रिज " की आवश्यकता है (कोरिया - डेयरी; अमेरिका - इस्पात सुरक्षा; भारत - लोहा और इस्पात उत्पाद)। रूस या इंडोनेशिया के लिए विशेष रूप से कोई घटना नहीं दर्शाई गई है।

(iii) **दायित्व:** यह आवेदन-पत्र विशिष्ट दायित्व की पहचान नहीं करता है। भारत की बाध्य दर (एक प्रयोक्ता के अनुसार 40%) लागू दर 7.5% से कहीं अधिक है, जो नीतिगत स्थान को दर्शाता है, न कि बाधा को। अनुच्छेद I, XI , और XVI के संदर्भ सामान्य हैं।

ज.2 घरले उद्योग के अनुरोध

(i) घटनाओं के संघर्ष से निर्यातकों ने भारत में अपनी मात्राएं भेजी, जोकि बढ़ती हुई मांग के साथ कुछ बाजारों में एक है: रूस-यूक्रेन संघर्ष और परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट और यूरोप में मांग में संकुचन; यूरोपीय संघ द्वारा जनवरी 2023 से रूसी सोडा ऐश के आयात पर प्रतिबंध (परिषद विनियमन (ईयू) 2022/1904); तुर्की द्वारा अपने यूरोपीय बाजार का नुकसान; मेक्सिको की अमेरिकी सोडा ऐश की मांग में गिरावट, ऐसे समय में जब 2023 में नई

अमेरिकी क्षमता शुरू हुई; और वैश्विक अधिशेष क्षमता (भारत - लौह और इस्पात उत्पाद, पैनल)।

(ii) निर्यातकों ने भारत में अपनी कीमतें कम कर दीं जबकि अपने पारंपरिक बाजारों में कीमतें बढ़ा दीं। अनुच्छेद 2 के तहत भारत की प्रशुल्क रियायतें, और गैट 1994 के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 11 ने इसे प्रतिक्रिया देने से रोक दिया।

ज.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

57. नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित गैट 1994 के अनुच्छेद XIX: 1(क) में यह अपेक्षित है कि बढ़ी हुई आयात अप्रत्याशित घटनाओं का परिणाम हो, और इसके अलावा यह आवश्यक है कि वे प्रशुल्क रियायतों सहित गैट 1994 के तहत उपबंधित दायित्वों के प्रभाव से उत्पन्न हों। जब दायित्वों को पूरा किया गया था (अर्जेंटीना-फुटवियर, एबी; कोरिया-डेयरी, एबी) तो घटनाएं अप्रत्याशित रही होंगी, और जांच परिणामों को कारण सहित स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे उनसे आयातों में कैसे वृद्धि हुई(यूएस-स्टील रक्षोपाय, एबी)। सामान्य व्यापार चक्रों में क्षमता या मांग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनकी सीमा, समय और संयोजन अप्रत्याशित हो सकता है (भारत-लौह और इस्पात उत्पाद, पैनल)। संगत दायित्व उरुग्वे दौर में बातचीत किए गए और 1995 से लागू भारत की रियायतों की अनुसूची के तहत हैं।

58. **यूरोपीय बाजार का संकुचन:** रूस-यूक्रेन संघर्ष ने यूरोप में ऊर्जा लागत बढ़ा दी और कांच और अन्य प्रयोक्ताओं उद्योगों से मांग कम कर दी। यूरोपीय संघ में सोडा ऐश की मांग, 2023 के लिए 6,394 हजार मीट्रिक टन अनुमानित थी, 6,022 हजार मीट्रिक टन थी; 2024 के लिए यह 6,033 हजार मीट्रिक टन अनुमानित के मुकाबले 5,797 हजार मीट्रिक टन थी (रासायनिक बाजार विश्लेषण, अनुबंध 3.3 आवेदन-पत्र के लिए)। तुर्की ने 2022 में यूरोपीय संघ को 20,29,236 एमटी और 2023 में 16,19,055 एमटी का निर्यात किया, जिसकी कीमत 285 अम.डा/एमटी से बढ़कर 316 अम.डा/एमटी हो गई। इसी अवधि में, भारत को इसका निर्यात 1,14,481 एमटी से बढ़कर 3,46,761 एमटी हो गया, जिसकी कीमत 296 अम.डा/एमटी से घटकर 217 अम.डा/एमटी हो गई। यूरोप को रूसी निर्यात 52,299 एमटी से 119 एमटी तक गिर

गया, जबकि भारत को 21,614 एमटी से 1,16,879 एमटी तक बढ़ गया, जिसकी कीमत 384 अम.डा/एमटी से गिर 299 अम.डा/एमटी हो गई।

59. **नई अमेरिकी क्षमता और मैक्सिकन बाजार का नुकसान:** एक अमेरिकी उत्पादक ने 2023 में दो चरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.2 मिलियन एमटी क्षमता जोड़ी, जनवरी में अपने एक संयंत्र को फिर से शुरू किया और वर्ष की अंतिम तिमाही में विस्तार किया। उसी वर्ष, मेक्सिको, मुख्य अमेरिकी निर्यात बाजार में मांग गिर गई। मेक्सिको को अमेरिकी निर्यात 2022 में 15,71,421 एमटी से गिरकर 2023 में 13,98,748 एमटी हो गया, जबकि भारत को अमेरिकी निर्यात 66,643 एमटी से बढ़कर 2,24,974 एमटी हो गया, जिसकी कीमत 330 अमेरिकी डॉलर/एमटी से गिरकर 241/एमटी अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि मेक्सिको की कीमत 243 अमेरिकी डालर/एमटी से बढ़कर 276 अमेरिकी डालर/एमटी हो गई। भारत को अमेरिका का निर्यात 2025 (वार्षिकीकृत) में फिर से बढ़कर 4,17,085 एमटी हो गया, जबकि मेक्सिको को निर्यात और गिरकर 12,19,127 एमटी (वार्षिकीकृत) हो गया।

60. **विश्व व्यापार में भारत की स्थिति:** भारत को छोड़कर, विश्व में सोडा ऐश का आयात वर्ष 2022 के 1,35,08,141 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023 में 1,23,42,047 मीट्रिक टन रह गया, अर्थात लगभग 9% की कमी आई। इसके विपरीत, भारत का आयात 5,32,704 मीट्रिक टन से बढ़कर 9,68,788 मीट्रिक टन हो गया और विश्व आयात में भारत की हिस्सेदारी 3.8% से बढ़कर 7.3% हो गई। उस समय: भारत उन कुछ बड़े बाजारों में से एक था जहां मांग बढ़ रही थी। जांच अवधि के दौरान भारत में मांग में प्रतिवर्ष लगभग 5% की वृद्धि हुई।

61. **आकलन:** प्राधिकृत अधिकारी ने पक्षकारों की आपत्तियों की जांच की है। पहला, रूस-यूक्रेन संघर्ष और उसके बाद उत्पन्न ऊर्जा संकट, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में मांग में संकुचन हुआ तथा यूरोप को रूसी आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई, उसी वर्ष अमेरिका में नई क्षमता चालू होने और मैक्सिको में मांग घटने के साथ घटित हुए। यह उचित रूप से अपेक्षित नहीं किया जा सकता था कि भारत द्वारा अपनी शुल्क रियायतों पर बातचीत करते समय ये घटनाक्रम इस प्रकार एक साथ घटित होंगे।यह तथ्य कि क्षमता विस्तार की अलग-अलग परियोजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी

गई थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्यातकों के पारंपरिक बाजारों में संकुचन के साथ इन परियोजनाओं का एक ही समय पर घटित होना भी पूर्वानुमेय था। दूसरा, घटनाओं का समय इस निष्कर्ष के अनुरूप है: यूरोप में संकुचन और अमेरिका में नई क्षमता का परिचालन, दोनों वर्ष 2023 में प्रभावी हुए, और इसी वर्ष भारत में आयात बढ़ा।तीसरा, मूल देश के आधार पर भी यह संबंध स्पष्ट होता है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच तुर्की, रूस और अमेरिका से आयात में कुल मिलाकर 4,75,507 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जो कुल आयात में हुई 4,62,343 मीट्रिक टन की वृद्धि से भी अधिक थी। केवल तुर्की और अमेरिका का योगदान 3,65,267 मीट्रिक टन, अर्थात कुल वृद्धि का 79% था। तुर्की और अमेरिका के निर्यातकों ने अपने पारंपरिक बाजारों में कीमतें बढ़ाते हुए भारत के लिए अपनी कीमतें घटाईं, जो निर्यात मात्रा को अन्य बाजारों की ओर मोड़े जाने की स्थिति में अपेक्षित है।यह तथ्य कि निर्यात का यह मोड़ खोई गई मात्रा के बराबर-बराबर नहीं था, अथवा भारत ही एकमात्र गंतव्य नहीं था, इस संबंध को समाप्त नहीं करता। चौथा, बाद में यूरोप को तुर्की के निर्यात में हुई बहाली से भारत का आयात फिर घटकर पहले के स्तर पर नहीं आया। आयात उच्च स्तर पर बने रहे और उनकी आपूर्ति में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ती गई। वर्ष 2023 और 2024 में वैश्विक मांग में वृद्धि से ये निष्कर्ष अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि संबंधित घटनाक्रम निर्यातकों के विशिष्ट बाजारों से जुड़े हैं, न कि विश्व के औसत बाजार से। चीन जनवादी गणराज्य को आयात में वृद्धि का कारण नहीं माना गया है, क्योंकि वर्ष 2023-24 में चीन जनवादी गणराज्य से आयात घटा था। चीन जनवादी गणराज्य के आयात पर खंड I (क्षति की आशंका) में विचार किया गया है। पांचवां, ये घटनाक्रम जांच अवधि के दौरान भी प्रभावी रहे। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ की मांग अनुमानित स्तर से नीचे रही और वर्ष 2025 में मैक्सिको को अमेरिका का निर्यात और घटा, जबकि भारत को उसका निर्यात बढ़ा (पैराग्राफ 58 और 59)।

62. प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि आयात में वृद्धि कई अप्रत्याशित घटनाक्रमों के एक साथ घटित होने के परिणामस्वरूप हुई। इनमें रूस-यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप यूरोप में मांग में संकुचन तथा यूरोपीय बाजार में रूसी आपूर्ति की पहुंच समाप्त होना, और मैक्सिको में मांग घटने के समय अमेरिका में नई क्षमता का परिचालन शुरू होना शामिल हैं।

63. **गैट संबंधी दायित्वों का प्रभाव:** भारत ने गैट 1994 के अनुच्छेद II के अंतर्गत अपनी रियायतों की अनुसूची (अनुसूची XII; आवेदन का अनुलग्नक 3.5) में विचाराधीन वस्तुओं पर सीमा शुल्क की बाध्यकारी दर 40% निर्धारित की है। अनुच्छेद XI:1 आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद I के अनुसार

किसी भी सीमा उपाय को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के आधार पर लागू करना आवश्यक है।पक्षकारों का तर्क है कि 40% की बाध्यकारी दर और 7.5% की लागू दर के बीच अंतर के कारण भारत के पास प्रत्युत्तर देने की गुंजाइश थी। घरेलू उद्योग ने वर्ष 1995 में 115% की आधार दर का उल्लेख किया; हालांकि, अनुसूची में बाध्यकारी दर 40% है।तथापि, बाध्यता की प्रकृति समस्या के स्वरूप में निहित है। आयात में वृद्धि मात्रा के रूप में हुई है और इसके स्रोत अनेक हैं। न्यूनतम आयात कीमत लागू होने के बावजूद आयात में वृद्धि जारी रही। बाध्यकारी दर की सीमा के भीतर शुल्क बढ़ाने से अपने आप ऐसी आयात वृद्धि का समाधान नहीं होता, जो न्यूनतम आयात कीमत लागू रहने पर भी जारी रही। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद XI:1 भारत को अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अनुमत स्थितियों को छोड़कर आयात की मात्रा सीमित करने से रोकता है।अनुशंसित उपाय अनुच्छेद XI:1 के अंतर्गत भारत के दायित्व को निलंबित करता है और इसलिए अनुच्छेद XIX के अर्थ में एक रक्षोपाय उपाय है। यह तथ्यात्मक रूप से दर्शाना आवश्यक है कि भारत ने संबंधित दायित्व ग्रहण किए हैं। इन दायित्वों और शुल्क रियायत के माध्यम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई, जिसके कारण अन्य बाजारों से मोड़ी गई निर्यात मात्रा भारत में आई; साथ ही, इन दायित्वों ने आयात में वृद्धि पर भारत की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को सीमित किया (भारत - लौह एवं इस्पात उत्पाद, पैनल)। अतः दायित्वों के प्रभाव से संबंधित आवश्यकता पूरी होती है।

झ. <u>गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का खतरा</u>

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **मात्रा संबंधी संकेतकों में सुधार:** पूरी अवधि के दौरान क्षमता में 7%, उत्पादन में 27% और घरेलू बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग 71% से बढ़कर 85% हो गया, रोजगार 4,596 से बढ़कर 4,913 हो गया तथा प्रतिदिन उत्पादकता 8,333 मीट्रिक टन से बढ़कर 10,549 मीट्रिक टन हो गई। वर्ष 2023-24 और एम आर पी के बीच उत्पादन में 9%, बिक्री में 16% और रोजगार में 10% की वृद्धि हुई तथा घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 73% से बढ़कर 76% हो गई। विस्तार कर रहा प्रभुत्वशाली उद्योग गंभीर क्षति से ग्रस्त नहीं माना जा सकता (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)।

(ii) **लाभ:** घरेलू उद्योग ने पूरी अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया। लाभ में गिरावट की तुलना वर्ष 2022-23 से की जा रही है, जो एक असाधारण वर्ष

था, जब लाभ लगभग तीन गुना हो गया था। वर्तमान स्थिति केवल सामान्य स्तर पर वापसी है। एम आर पीमें कर-पूर्व लाभ वर्ष 2020-21 के लाभ के लगभग बराबर है। जीएचसीएल के प्रकाशित परिणामों में निवेश पर 21-31% आय दर्शाया गया है। पाटनरोधी मामलों में प्रयुक्त 22% आय यहां लागू मानक नहीं है।

(iii) **कीमत प्रभाव:** नियम 8 के परंतुक के अंतर्गत कीमत प्रभावों पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क संबंधी कार्यवाहियों में विचार किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कीमत न्यूनीकरण कम था या नकारात्मक था तथा पहुंच कीमतों, बिक्री कीमतों और लागतों में वैश्विक वस्तु बाजार चक्र के अनुरूप समान रूप से परिवर्तन हुआ।

(iv) **पाटनरोधी जांच परिणाम:** 29 सितंबर 2025 के पाटनरोधी जांच परिणामों में पाई गई महत्वपूर्ण क्षति, जो एक अलग अवधि और चार देशों से संबंधित थी, गंभीर क्षति, जो कि अधिक उच्चतर मानक है, को स्थापित नहीं कर सकती।

(v) **आशंका:** वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और चीन की क्षमता से संबंधित दावे अटकलों पर आधारित हैं। प्रकटन के बिना जांच अवधि के बाद के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने वर्ष 2023-24 में अपनी बाजार हिस्सेदारी के 11 प्रतिशत अंक गंवा दिए। अप्रैल 2024 से अपनी बिक्री की मात्रा बनाए रखने के लिए उसे कीमतों में उतनी तेजी से कटौती करनी पड़ी, जितनी तेजी से उसकी लागतों में कमी नहीं आई थी। एम आर पीमें कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अपने न्यूनतम स्तर पर हैं तथा मालसूची में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के आंतरिक पत्राचार से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 में उसे अपनी बिक्री की मात्रा को निर्यात बाजारों की ओर मोड़ना पड़ा।

(ii) वर्ष 2022-23 से पहले घरेलू उद्योग का लाभ वर्तमान लाभ से काफी अधिक था। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान लाभ ₹***/मीट्रिक टन था। वर्तमान में नई क्षमता में निवेश पर आय व्यवहार्य नहीं है। विदेशों में अतिरिक्त क्षमता और अन्य बाजारों में मांग की धीमी गति से एक स्पष्ट

और आसन्न आशंका उत्पन्न होती है। इसमें वर्ष 2026 तक चीन जनवादी गणराज्य में जोड़ी गई या प्रस्तावित लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता शामिल है। जांच अवधि के बाद चीन जनवादी गणराज्य से आयात में भी वृद्धि हुई।

झ.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

64. अधिनियम की धारा 9क(1) केंद्र सरकार को उस स्थिति में रक्षोपाय उपाय लागू करने का अधिकार देती है, जब किसी वस्तु का भारत में इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता है कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती है अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका होती है। गंभीर क्षति का अर्थ घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र रूप से महत्वपूर्ण ह्रास है, जबकि गंभीर क्षति की आशंका का अर्थ गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न खतरा है (धारा 9क(4))। ये परिभाषाएं रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1(क) और 4.1(ख) के अनुरूप हैं।

65. यह निर्धारित करते समय कि क्या बढ़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका है, प्राधिकृत अधिकारी के लिए नियम 8(क) और अनुच्छेद 4.2(क) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वह घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करे। इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:(i) संबंधित उत्पाद के आयात में पूर्ण और सापेक्ष रूप में वृद्धि की दर और मात्रा;(ii) बढ़े हुए आयातों द्वारा प्राप्त घरेलू बाजार की हिस्सेदारी; और(iii) बिक्री, (iv) उत्पादन, (v) उत्पादकता, (vi) क्षमता उपयोग, (vii) लाभ और हानि तथा (viii) रोजगार के स्तर में परिवर्तन।इनमें से प्रत्येक कारक का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए (अर्जेंटीना - फुटवियर (ईसी), अपीलीय निकाय)। कोई एक कारक निर्णायक नहीं है; निर्धारण उद्योग की समग्र स्थिति के आकलन पर आधारित होता है।

66. गंभीर क्षति का मानक अत्यंत उच्च और कठोर है तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षति के मानक से अधिक उच्च है (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)। गंभीर क्षति की आशंका स्पष्ट रूप से आसन्न होनी चाहिए। इसका निर्धारण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल आरोपों, अटकलों या दूरस्थ संभावना पर (अनुच्छेद 4.1(ख))। इसमें यह स्थापित किया जाना चाहिए कि निकट भविष्य में गंभीर क्षति होने की अत्यधिक संभावना है।हाल के अतीत से संबंधित आंकड़े विशेष

रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन संपूर्ण जांच अवधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)। गंभीर क्षति की आशंका का निर्धारण अपने आप में रक्षोपाय उपाय लागू करने के लिए पर्याप्त आधार है (अधिनियम की धारा 9क(1); रक्षोपाय संबंधी करार का अनुच्छेद 2.1)।

नियम 8(क) और अनुच्छेद 4.2(क) में सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन

(i) आयात में वृद्धि की दर और मात्रा: जैसा कि खंड छ में निष्कर्ष निकाला गया है, वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आयात में कमी आई, लेकिन वर्ष 2023-24 में इनमें 4,62,343 मीट्रिक टन, अर्थात 89% की वृद्धि हुई। आयात 5,17,653 मीट्रिक टन से बढ़कर 9,79,996 मीट्रिक टन हो गए।इसके बाद से आयात बढ़े हुए स्तर पर बने रहे: अप्रैल-दिसंबर 2024 में 9,23,404 मीट्रिक टन और एम आर पी में 10,12,024 मीट्रिक टन (दोनों वार्षिकीकरण के आधार पर) रहे, जो वर्ष 2020-21 के स्तर से 46% अधिक हैं।घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात का अनुपात वर्ष 2022-23 के 14% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 29% हो गया और एम आर पीमें 27% रहा।उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आयात में वृद्धि अचानक और तीव्र थी तथा यह वृद्धि निरंतर बनी रही है।

(ii) बढ़े हुए आयातों द्वारा प्राप्त घरेलू बाजार की हिस्सेदारी: भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग तथा उसमें घरेलू उद्योग और आयात की हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**अप्रैल-दिसंबर 2024 (क)**	**जनवरी-सितंबर 2025 (क)**
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	28,88,304	32,85,523	33,43,539	30,27,267	33,05,139	34,30,025
अन्य भारतीय उत्पादक	मी.ट.	23,651	41,683	58,430	58,430	58,430	58,430
आयात	मी.ट.	6,91,922	5,33,211	5,17,653	9,79,996	9,23,404	10,12,024
मांग	**मी.ट.**	**36,03,876**	**38,60,417**	**39,19,622**	**40,65,693**	**42,86,973**	**45,00,479**

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 2024 (क)	जनवरी-सितंबर 2025 (क)
घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी	%	80%	85%	85%	74%	77%	76%
आयात की हिस्सेदारी	%	19%	14%	13%	24%	22%	22%

*घरेलू उद्योग की बिक्री में स्व-उपभोग के लिए किए गए अंतरण शामिल हैं। अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार है।*मांग = भारत में भारतीय उत्पादकों की बिक्री (स्व-उपभोग सहित) + आयात।

67. जांच अवधि के दौरान मांग में 25% तथा वर्ष 2022-23 से एम आर पी के बीच 15% की वृद्धि हुई। मांग में आयात की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के 13% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 24% हो गई और एम आर पी में 22% रही।वर्ष 2022-23 से एम आर पी के बीच मांग में हुई 5,80,857 मीट्रिक टन की वृद्धि में से 4,94,371 मीट्रिक टन, अर्थात 85%, की पूर्ति आयातों द्वारा की गई। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के 85% से घटकर वर्ष 2023-24 में 74% हो गई और एम आर पी में बढ़कर 76% हो गई। फिर भी यह वर्ष 2022-23 के स्तर से 9 प्रतिशत अंक कम थी, जबकि घरेलू उद्योग के पास पूरी अवधि के दौरान अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध थी। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग के पास अब भी बाजार का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा बना हुआ है।

68. **क्षमता, उत्पादन, बिक्री और मालसूची:** घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)	जनवरी-सितंबर 25 (ए)
स्थापित क्षमता	मी.ट.	40,89,200	40,89,200	41,89,200	41,89,200	43,62,500	43,62,500

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)	जनवरी-सितंबर 25 (ए)
उत्पादन	मी.ट.	29,16,407	34,52,880	35,93,153	33,74,669	35,87,576	36,91,985
क्षमता उपयोग	%	71%	84%	86%	81%	82%	85%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	23,64,267	27,44,305	28,36,651	25,38,567	28,19,658	29,46,562
स्व-उपभोग	मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	103	97	93	93	92
निर्यात बिक्री	मी.ट.	1,66,753	2,35,368	1,73,987	3,69,216	3,20,868	1,61,448
अंतिम मालसूची	मी.ट.	1,55,080	1,01,801	2,20,500	2,11,539	1,77,090	2,42,848
औसत मालसूची	मी.ट.	2,08,026	1,28,441	1,61,151	2,16,019	1,92,869	2,09,969

(iii) बिक्री: स्व-उपभोग के लिए किए गए अंतरण सहित घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2023-24 में 9.5% की गिरावट आई, जब आयात में वृद्धि हुई थी। इसके बाद बिक्री में सुधार हुआ। यह सुधार लागत में हुई कमी से अधिक कीमतों में कटौती करके प्राप्त किया गया।

(iv) उत्पादन: वर्ष 2023-24 में उत्पादन में 6.1% की गिरावट आई। एम आर पी में उत्पादन बढ़कर 36,91,985 मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) हो गया, जो पूरी अवधि का सर्वोच्च स्तर था। यह वर्ष 2022-23 से 2.8% और वर्ष 2020-21 से 27% अधिक था।

(v) उत्पादकता: प्रतिदिन उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप परिवर्तन हुआ। यह वर्ष 2022-23 में 10,266 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023-24 में 9,642 मीट्रिक टन रह गया और एम आर पी में बढ़कर 10,549 मीट्रिक टन हो गया, जो पूरी अवधि का

सर्वोच्च स्तर था (नीचे (vii) की तालिका)। यह कारक गंभीर क्षति का संकेत नहीं देता है।

(vi) क्षमता उपयोग: स्थापित क्षमता वर्ष 2024 में 41,89,200 मीट्रिक टन से बढ़कर 43,62,500 मीट्रिक टन हो गई। क्षमता उपयोग वर्ष 2022-23 के 86% से घटकर वर्ष 2023-24 में 81% रह गया और एम आर पी में बढ़कर 85% हो गया। एम आर पीमें अप्रयुक्त क्षमता लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष 2023-24 में आई गिरावट काफी हद तक दूर हो गई है। यह कारक एम आर पीमें गंभीर क्षति का संकेत नहीं देता, लेकिन अप्रयुक्त क्षमता उद्योग की संवेदनशीलता को दर्शाती है।

69. **मालसूची:** वर्ष 2023-24 में औसत मालसूची में 34% की वृद्धि हुई। अप्रैल 2024 से बिक्री की मात्रा में सुधार हुआ, लेकिन यह केवल नीचे चर्चा की गई कीमतों में कटौती के माध्यम से संभव हुआ। एम आर पी में अंतिम मालसूची पूरी अवधि के उच्चतम स्तर पर था।

70. **कीमतें:** आयात की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत तथा कीमत कटौती निम्नानुसार थे:

विवरण	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)**	**जनवरी-सितंबर 25 (ए)**
आयातों की पहुंच कीमत	₹/मी.ट.	16,948	18,078	36,059	25,896	20,144	22,100
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचकांक*	*100*	*124*	*196*	*156*	*136*	*129*
बिक्री की लागत	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचकांक*	*100*	*123*	*164*	*152*	*136*	*134*

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)	जनवरी-सितंबर 25 (ए)
कीमत कटौती	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	0-20%	10-30%	(0-20%)	0-20%	10-30%	0-20%

71. कीमत प्रभाव, अनुच्छेद 4.2(क) के अंतर्गत उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले प्रासंगिक कारक हैं। वर्ष 2022-23 से एम आर पी तक आयात की पहुंच कीमत में 39% और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 34% की गिरावट आई, जबकि उसकी बिक्री लागत में केवल 18% की कमी हुई।न्यूनतम आयात कीमत लागू रहने के दौरान भी, वर्ष 2022-23 को छोड़कर प्रत्येक अवधि में आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रहीं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकारात्मक कीमत कटौती को दर्शाते हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को अपनी लागत में हुई कमी की तुलना में कीमतों में अधिक तेजी से कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा।

(vii) लाभ और हानि: घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, रोजगार और उत्पादकता निम्नानुसार थी:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)	जनवरी-सितंबर 25 (ए)
कर-पूर्व लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचकांक*	*100*	*130*	*352*	*177*	*140*	*108*
नकद लाभ	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचकांक*	*100*	*125*	*307*	*170*	*141*	*121*

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर 24 (ए)	जनवरी-सितंबर 25 (ए)
पीबीआईटी	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचकांक*	*100*	*120*	*292*	*152*	*120*	*93*
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचकांक*	*100*	*113*	*251*	*119*	*93*	*71*
कर्मचारी	सं.	4,596	4,638	4,467	4,461	4,830	4,913
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.ट.	8,333	9,865	10,266	9,642	10,250	10,549

72. वर्ष 2022-23 के असाधारण स्तरों से सामान्य स्थिति में लौटने के बाद, वर्ष 2023-24 के पश्चात प्रत्येक अवधि में कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ, ब्याज और पीबीआईटी तथा नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई। पीबीआईटी तथा नियोजित पूंजी पर आय जांच अवधि के अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। कर-पूर्व लाभ और नकद लाभ भी कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 को छोड़कर किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में न्यूनतम स्तर पर हैं। नियोजित पूंजी पर आय घटकर पूरी अवधि के अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया, जो कोविड-19 से प्रभावित आधार वर्ष से भी कम है। वर्ष 2023-24 के बाद आई गिरावट को केवल वर्ष 2022-23 के असाधारण स्तर से सामान्य स्थिति में लौटने के रूप में नहीं समझाया जा सकता। घरेलू उद्योग ने बताया कि नई क्षमता की लागत लगभग ***₹/मीट्रिक टन है और उसके व्यवहार्य होने के लिए लगभग ***₹/मीट्रिक टन का ब्याज और पी बी आई टी आवश्यक होगा। इस अनुमान का सत्यापन नहीं किया गया है और इस पर भरोसा नहीं किया गया है।

(viii) रोजगार: वर्ष 2023-24 तक रोजगार लगभग 4,460-4,640 के स्तर पर मोटे तौर पर स्थिर रहा और अतिरिक्त क्षमता चालू किए जाने के साथ एम आर पीमें बढ़कर 4,913 हो गया, जो पूरी अवधि का उच्चतम स्तर है। यह कारक गंभीर क्षति का संकेत नहीं देता है।

हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच

73. **पाटनरोधी जांच के परिणाम:** प्राधिकृत अधिकारी ने 29 सितंबर 2025 के पाटनरोधी जांच परिणामों पर भरोसा नहीं किया है। इस खंड में मूल्यांकन वर्तमान जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर और गंभीर क्षति के मानक के अनुरूप स्वतंत्र रूप से किया गया है।

74. **कीमत प्रभाव:** नियम 8(क) के अंतर्गत "उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों" का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जिसमें लाभ और हानि भी शामिल हैं। कीमतें ऐसा ही एक कारक हैं, क्योंकि वे लाभ निर्धारित करती हैं।नियम 8 का परंतुक बढ़े हुए आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई क्षति से संबंधित है और यह गंभीर क्षति के मूल्यांकन से कीमत प्रभावों को बाहर नहीं करता है। यहां इन पर केवल उद्योग की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए विचार किया गया है, न कि अनुचित कीमत निर्धारण के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए।

75. **मात्रा संबंधी संकेतक:** मात्रा संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है और प्राधिकृत अधिकारी ने उन्हें पूरा महत्व दिया है। तथापि, उन्हें बाजार और कीमतों में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में पढ़ा जाना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 से एम आर पी तक मांग में 5,80,857 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री में 86,486 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जो मांग में हुई इस वृद्धि का 15% है; जबकि आयात ने 4,94,371 मीट्रिक टन, अर्थात 85% वृद्धि की पूर्ति की।इसलिए, वर्ष 2023-24 के बाद सुधार होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के स्तर से अभी भी 9 प्रतिशत अंक कम है और एम आर पी में उसकी अप्रयुक्त क्षमता लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन थी। अप्रैल 2024 से बिक्री की मात्रा में सुधार केवल कीमतों में कटौती करके हासिल किया गया। वर्ष 2022-23 से एम आर पी तक बिक्री कीमत में 34% की गिरावट आई, जबकि बिक्री लागत में 18% की कमी हुई।

76. **लाभ:** प्राधिकृत अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2022-23 एक असाधारण वर्ष था और इसे मानक के रूप में नहीं लिया गया है। तथापि, अन्य वर्षों के सापेक्ष मापने पर गिरावट वास्तविक है। एम आर पी में कर-पूर्व लाभ (₹***/मीट्रिक टन) कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 को छोड़कर अवधि के प्रत्येक अन्य वर्ष से कम है।नियोजित पूंजी पर आय घटकर ***% रह गयी, जो वर्ष 2020-21 के ***% से भी कम है (सूचकांक 100 की तुलना में 71), क्योंकि नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई, जबकि लाभ में गिरावट आई। वर्ष 2023-24 के बाद प्रत्येक अवधि में कर-पूर्व लाभ,

नकद लाभ, ब्याज और कर-पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा नियोजित पूंजी पर आय, सभी में गिरावट आई।घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान उसने ₹***/मीट्रिक टन का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया था, जो एम आर पी के स्तर से काफी अधिक था। पक्षकारों द्वारा उद्धृत अलग-अलग घटक कंपनियों के प्रकाशित परिणाम, उनकी सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करने वाले कंपनी-स्तरीय आंकड़े हैं। इनमें असाधारण मदें भी शामिल हैं और बाद की तिमाहियों के लिए ये जांच अवधि के बाद की अवधियों को भी समाहित करते हैं। इसलिए, ये परिणाम समग्र रूप से घरेलू उद्योग के सोडा ऐश कारोबार के परिणामों को नहीं दर्शाते। अभिलेख पर उपलब्ध कंपनी-वार आंकड़े, जो गोपनीय हैं, पक्षकारों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते।

गंभीर क्षति का समग्र मूल्यांकन

77. प्राधिकृत अधिकारी ने नियम 8(क) और अनुच्छेद 4.2(क) में सूचीबद्ध प्रत्येक कारक के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन किया है और उन पर समग्र रूप से विचार किया है। आयात संबंधी कारक, वृद्धि की दर और मात्रा तथा बाजार में आयात की हिस्सेदारी और लाभ, क्षति का संकेत देते हैं।वर्ष 2023-24 में गिरावट के बाद घरेलू बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ तथा एम आर पी में, ये अपने उच्चतम स्तर पर या उसके निकट पहुंच गए। रोजगार भी पूरी अवधि के उच्चतम स्तर पर था। घरेलू उद्योग प्रत्येक अवधि में लाभ अर्जित करता रहा, उसने जांच अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि की और भारतीय बाजार की लगभग तीन-चौथाई मांग की पूर्ति जारी रखी।

78. प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर विचार किया है कि उसे गंभीर क्षति हो रही है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के इन तर्कों पर विचार किया गया कि उसने केवल कीमतों का त्याग करके बिक्री की मात्रा बनाए रखी और निवेश के लिए उसका आय अब अपर्याप्त है। ये तर्क इस सीमा तक प्रमाणित होते हैं कि लाभप्रदता और आय में गिरावट आई है वह लगातार बनी रही और बिक्री की मात्रा में सुधार के साथ कीमत एवं लागत के बीच का अंतर भी कम हुआ। तथापि, गंभीर क्षति के अत्यंत उच्च मानक तथा मात्रा संबंधी कारकों के मजबूत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जांच अवधि के अंत में ये तथ्य घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र रूप से महत्वपूर्ण गिरावट सिद्ध नहीं करते हैं।

79. तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान धारा 9क

के अर्थ में गंभीर क्षति हुई है। इसलिए, गंभीर क्षति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया जाता है।

80. तथापि, प्राधिकृत अधिकारी उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर यह पाते हैं कि:(क) घरेलू उद्योग ने वर्ष 2023-24 में बढ़े हुए आयातों के कारण बाजार की अपनी पर्याप्त हिस्सेदारी खो दी और उसकी केवल आंशिक रूप से भरपाई कर पाया, जबकि मांग में हुई वृद्धि का 85% आयातों ने पूरा किया;(ख) वर्ष 2023-24 के बाद प्रत्येक अवधि में उसका कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी तथा नियोजित पूंजी पर आय घटा है। एम आर पी में पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय पूरी अवधि के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए, जो कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 के स्तर से भी कम थे; (ग) बिक्री की मात्रा में सुधार कीमतों में लागत की तुलना में अधिक कटौती करके हासिल किया गया; और(घ) अवधि के अंत में उसकर अंतिम मालसूची पूरी अवधि के उच्चतम स्तर पर थी, निर्यात न्यूनतम स्तर पर था और उसकी लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता अप्रयुक्त थी।ये जांच परिणाम स्थापित करते हैं कि वर्ष 2022-23 से घरेलू उद्योग की स्थिति में लगातार गिरावट आई है और जांच अवधि के अंत में वह संवेदनशील स्थिति में था। इन्हें आगे ले जाकर उस गंभीर क्षति के खतरे की जांच में शामिल किया जाता है, जो इसके बाद आती है।

गंभीर क्षति का खतरा

81. दृष्टिकोण: प्राधिकृत अधिकारी ने यह जांच की है कि क्या बढ़े हुए आयातों से गंभीर क्षति होने का खतरा है, अर्थात क्या गंभीर क्षति का होना स्पष्ट रूप से आसन्न है। यह जांच पैराग्राफ 80 में निर्धारित जांच अवधि के अंत में घरेलू उद्योग की स्थिति से शुरू होती है। इसमें आयातों के संभावित स्तर, बाजार हिस्सेदारी और कीमत; प्रमुख निर्यातक स्रोतों की क्षमता, अधिशेष और निर्यातोन्मुखता; भारतीय बाजार का आकर्षण; मालसूची; तथा नियम 8(क) में सूचीबद्ध कारकों पर इनके संभावित प्रभाव पर विचार किया गया है। यह जांच अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

82. **घरेलू उद्योग की स्थिति:** पैराग्राफ 80 में दिए गए कारणों से, जांच अवधि के बाद की अवधि में प्रवेश करते समय घरेलू उद्योग की आय घट रही थी, कीमत और लागत के बीच का अंतर कम हो गया था, अंतिम मालसूची पूरी अवधि के उच्चतम स्तर पर था और निर्यात में गिरावट आ रही थी।सितंबर 2025 तक के अठारह महीनों में नियोजित पूंजी पर आय में लगभग दो-पांचवें हिस्से की गिरावट आई और प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ में 39% की कमी हुई। ऐसी स्थिति में उद्योग की क्षमता सीमित होती है कि वह कीमतों में और गिरावट या बिक्री की मात्रा में और

कमी को अपनी स्थिति में समग्र रूप से महत्वपूर्ण गिरावट आए बिना सहन कर सके।

83. **आयातों का संभावित स्तर और बाजार हिस्सेदारी:** वर्ष 2023-24 से आयात लगभग 9.2 लाख से 10.1 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (वार्षिकीकृत) के बीच बने हुए हैं, जो वर्ष 2022-23 के स्तर से लगभग दोगुने हैं। यह स्थिति न्यूनतम आयात कीमत लागू रहने के दौरान भी बनी रही। चीन जनवादी गणराज्य से आयात, जो वर्ष 2023-24 में वृद्धि का कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं था, अप्रैल-दिसंबर 2024 से एम आर पी तक 10,789 मीट्रिक टन से बढ़कर 30,529 मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) हो गया। वर्ष 2022-23 से भारतीय मांग में हुई वृद्धि का 85% आयातों ने पूरा किया है।प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष है कि किसी उपाय के अभाव में आयातों के कम-से-कम बढ़े हुए स्तर पर बने रहने और बाजार में उनकी हिस्सेदारी में और वृद्धि होने की संभावना है।

84. **निर्यातक स्रोतों की क्षमता, अधिशेष और निर्यातोन्मुखता:** घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वर्ष 2025 तक चीन जनवादी गणराज्य में लगभग 7.8 लाख मीट्रिक टन की नई क्षमता चालू की गई और वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन क्षमता निर्धारित थी। जिन रिपोर्टों से ये आंकड़े लिए गए हैं, उन्हें अभिलेख पर पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था और प्राधिकृत अधिकारी ने इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है।तथापि, अभिलेख से यह स्थापित होता है कि वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.2 लाख मीट्रिक टन की नई क्षमता से उत्पादन शुरू हुआ (खंड एच); चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश का निर्यात वर्ष 2024 में लगभग 12.2 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 21.9 लाख मीट्रिक टन हो गया (आवेदन का अनुलग्नक 3.4); और अमेरिकी उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तरों से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 तथा एम आर पी में उत्पादन बढ़ गया।एक विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बाजार रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य के नेतृत्व में वैश्विक अधिशेष आपूर्ति के कारण कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ रहा था। प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष है कि निर्यातक देशों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है, जो उनके घरेलू बाजारों और पारंपरिक निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं से अधिक है।

85. **भारतीय बाजार का आकर्षण:** जांच अवधि के दौरान भारतीय मांग में प्रति वर्ष लगभग 5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ में वर्ष 2024 की मांग अनुमानित स्तर से कम रही और वर्ष 2023 में भारत को छोड़कर विश्व आयातों में लगभग 9% की

गिरावट आई (खंड एच)। अन्य बाजारों से विस्थापित हुई आपूर्ति भारत की ओर मोड़े जाने के कारण वर्ष 2023 में विश्व आयातों में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई (खंड एच)।प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष है कि भारत अधिशेष आपूर्ति का एक प्रमुख गंतव्य है और आगे भी बने रहने की संभावना है।

86. **कीमतों का परिदृश्य:** एम आर पी में न्यूनतम आयात कीमत ने आयातों की पहुंच कीमत को सहारा दिया। इस दौरान आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट आई। न्यूनतम कीमत की सीमा प्रभावी रही: आयात ₹20,416 प्रति मीट्रिक टन की औसत सीआईएफ कीमत पर हुए, जो ₹20,108 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम सीमा से केवल 1.5% अधिक थी। यह न्यूनतम आयात कीमत लागू होने से पहले की ₹18,609 प्रति मीट्रिक टन कीमत की तुलना में था। न्यूनतम आयात कीमत 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई। चीन जनवादी गणराज्य के निर्यात कीमत वर्ष 2024 में 241 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2025 में 182 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गए (आवेदन का अनुलग्नक 3.4), जो एम आर पी में भारत में आयातों की पहुंच कीमत से काफी कम थे।कीमत की न्यूनतम सीमा हटने के बाद, यह अपेक्षा की जा सकती है कि आयात वैश्विक अधिशेष को प्रतिबिंबित करने वाली कीमतों पर आएंगे। घरेलू उद्योग ने पूरी अवधि के दौरान आयातों की कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें निर्धारित की हैं। यदि आयात कीमतें केवल अप्रैल-दिसंबर 2024 के स्तर पर लौट आती हैं,जब पहुंच कीमत ₹20,144 प्रति मीट्रिक टन थी, जबकि एम आर पीमें यह ₹22,100 प्रति मीट्रिक टन थी और लागत एम आर पी के स्तर पर बनी रहती है, तो घरेलू उद्योग का प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ तेजी से घट जाएगा, जिससे उसके शेष लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा और नियोजित पूंजी पर आय भी उसी अनुपात में घट जाएगी। अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि ऐसा कितनी तेजी से हो सकता है: जब वर्ष 2023-24 में आयात कीमतों में गिरावट आई, तो घरेलू उद्योग का प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ एक ही वर्ष में आधा रह गया।

87. **मालसूची:** एम आर पी के अंत में घरेलू उद्योग का अंतिम मालसूची पूरी अवधि के उच्चतम स्तर पर था। बाजार संबंधी उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आयात देश की आवश्यकता से काफी अधिक थे और वर्ष 2025 के अंत तक भारत में मालसूची में 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हो सकती थी। बाजार में इस स्तर का मालसूची आने वाले महीनों में घरेलू उद्योग की बिक्री और कीमतों पर दबाव डालेगा।

88. **घरेलू उद्योग पर संभावित प्रभाव:** इन तथ्यों के आधार पर, निकट भविष्य में घरेलू उद्योग को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विश्व कीमतों में गिरावट वाले बाजार में न्यूनतम कीमत की सीमा हटने से कीमतें कम होंगी और अधिशेष आपूर्ति बढ़ते हुए ऐसे बाजार में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें आयातों की हिस्सेदारी पहले से ही 22% है, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा घटेगी। वर्ष 2022-23 से कीमत और लागत के बीच का अंतर काफी कम हो गया है तथा नियोजित पूंजी पर आय पूरी अवधि के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। यदि कीमतों में जांच अवधि के दौरान देखी गई सीमा तक और गिरावट आती है, तो घरेलू उद्योग का शेष लाभ का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। बिक्री मात्रा में कमी से बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में हुआ सुधार उलट जाएगा तथा नई क्षमता के साथ जोड़े गए रोजगार पर भी खतरा उत्पन्न होगा।

89. **आसन्नता:** गंभीर क्षति का होना स्पष्ट रूप से आसन्न है, न कि कोई दूरस्थ संभावना। 31 दिसंबर 2025 को न्यूनतम आयात कीमत का समाप्त होना एक तथ्य है, न कि कोई अनुमान। अधिशेष क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और जांच अवधि के दौरान विश्व कीमतों में गिरावट भी हो चुकी थी।जांच अवधि के बाद आयातों के न्यूनतम स्तर में, जिसका कारण घरेलू उद्योग ने वर्ष 2026 में लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जाने वाले जहाजरानी मार्गों में व्यवधान बताया है, ऊपर वर्णित आपूर्ति-मांग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता और न ही इससे भारत की ओर निर्देशित निर्यात क्षमता कम होती है।

90. **हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया:** हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि वैश्विक अधिशेष और चीन की क्षमता संबंधी दावे काल्पनिक हैं तथा जांच अवधि के बाद की जानकारी का प्रकटन किए बिना उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।प्राधिकृत अधिकारी ने पहले से स्थापित क्षमता, जांच अवधि के दौरान दर्ज कीमतों और निर्यात की मात्रा, निर्यातकों के प्रश्नावली संबंधी उत्तरों तथा एक विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बाजार रिपोर्ट पर भरोसा किया है। न्यूनतम आयात कीमत की समाप्ति अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य है। जांच अवधि के बाद की अवधि से संबंधित जानकारी का उल्लेख केवल इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए किया गया है और खतरे का निर्धारण उस जानकारी पर आधारित नहीं है। इसलिए, खतरे के काल्पनिक होने संबंधी तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

91. **खतरे पर निष्कर्ष:** घरेलू उद्योग ने जांच अवधि का अंत बिगड़ती हुई और संवेदनशील स्थिति में किया। आयात वर्ष 2022-23 के स्तर से लगभग दोगुने स्तर

पर थे और उनकी कीमतों पर केवल न्यूनतम आयात कीमत के कारण नियंत्रण था, जो अब समाप्त हो चुकी है। प्रमुख निर्यातक देशों ने पर्याप्त अधिशेष क्षमता जोड़ी है, निर्यात कीमतों में गिरावट आई है और भारत अधिशेष आपूर्ति का एक प्रमुख गंतव्य है।प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष है कि निकट भविष्य में घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र रूप से महत्वपूर्ण गिरावट आने की अत्यधिक संभावना है। इसलिए, प्राधिकृत अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों से अधिनियम की धारा 9क तथा रक्षोपाय उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है।

ञ. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण</u>

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **समयगत संयोग का अभाव:** हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि आयातों में वृद्धि और कथित क्षति के बीच समयगत संयोग नहीं है, क्योंकि जब घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और रोजगार बेहतर हो रहे थे, तब आयात अपने उच्चतम स्तर पर थे। जहां समयगत संयोग का अभाव हो, वहां कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए ठोस विश्लेषण आवश्यक है (अर्जेंटीना - फुटवियर (ईसी), अपीलीय निकाय)।आवेदन में गैर-आरोपण की आवश्यकता को केवल एक-पंक्ति के कथनों के माध्यम से संबोधित किया गया है, जिसमें अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करके और उनमें भेद करके नहीं दर्शाया गया है (अमेरिका - व्हीट ग्लूटेन, अपीलीय निकाय; अमेरिका - लाइन पाइप, अपीलीय निकाय)।

(ii) **अन्य कारक:** हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के निष्पादन, विशेषकर उसके लाभ में किसी भी गिरावट का कारण आयातों के बजाय अन्य कारक हैं, अर्थात्:

(क) घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता का विस्तार और इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि;

(ख) प्राकृतिक सोडा ऐश की तुलना में सिंथेटिक (सोल्वे) प्रक्रिया की अंतर्निहित लागत संबंधी प्रतिकूलता तथा चूना-पत्थर की आपूर्ति में बाधाएं;

(ग) वर्ष 2023 और 2024 में घरेलू उद्योग के संयंत्रों में खराबियां, जिनसे घरेलू आपूर्ति की उपलब्धता कम हुई;

(घ) वर्ष 2023-24 में निर्यात बढ़ाने का घरेलू उद्योग का अपना निर्णय;

(ङ) घरेलू उद्योग द्वारा स्व-उपभोग;

(च) पश्चिमी भारत में स्थित उत्पादकों को अन्य क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति करने में मालभाड़े संबंधी प्रतिकूलता तथा सामान्य रूप से परिवहन लागत; और

(छ) फ्लैट ग्लास तथा सौर ग्लास क्षेत्रों में कमजोर अधोवर्ती मांग; तथा

(ज) वर्ष 2022-23 के असाधारण वर्ष के बाद कीमतों का सामान्य स्तर पर लौटना तथा वैश्विक कमोडिटी चक्र के अनुरूप घरेलू और आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव।

(iii) **न्यूनतम आयात कीमत और पाटनरोधी कार्यवाहियां:** संबद्ध वस्तुओं पर न्यूनतम आयात कीमत तथा पाटनरोधी कार्यवाहियों के माध्यम से जिस क्षति का पहले ही समाधान किया जा चुका है, उसे अलग करके देखा जाना चाहिए और उसका आरोपण बढ़े हुए आयातों पर नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) मांग-आपूर्ति अंतर: आयातों ने मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच के उस अंतर को पूरा किया, जिसकी पूर्ति करने में घरेलू उद्योग सक्षम नहीं था। इसलिए, आयातों से क्षति नहीं हुई।

ञ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) बढ़े हुए आयातों ने भारतीय मांग में हुई वृद्धि की पूर्ति की, घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर बिक्री की और उसे अपनी लागत में हुई कमी से अधिक कीमतों में कटौती करने के लिए विवश किया। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता में गिरावट, आयातों में वृद्धि के साथ समयगत रूप से मेल खाती है।

(ii) कोई अन्य कारक इस गिरावट की व्याख्या नहीं करता। पूरी अवधि में मांग बढ़ी; लागत में कमी आई; प्रौद्योगिकी या उपभोग के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ; विदेशी और घरेलू उत्पादकों की ओर से कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक

व्यवहार या उनके बीच प्रतिस्पर्धा संबंधी कोई ऐसा कारक नहीं था; और विश्लेषण केवल घरेलू परिचालनों से संबंधित है, इसलिए निर्यात और स्व-उपभोग का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(ii) वही आयात, निर्यातक देशों में अधिशेष क्षमता तथा न्यूनतम आयात कीमत की समाप्ति के साथ मिलकर, आगे गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न करते हैं। वर्ष 2026 में आयातों का निम्न स्तर जहाजरानी मार्गों में अस्थायी व्यवधान को दर्शाता है, न कि अंतर्निहित स्थिति में किसी बदलाव को।

ञ.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

विधिक मानक

92. रक्षोपाय उपायों संबंधी करार के नियम 8(ख) और अनुच्छेद 4.2(ख) में प्रावधान है कि कोई निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक जांच वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संबंधित उत्पाद के बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध का अस्तित्व स्थापित न करे। साथ ही, जब बढ़े हुए आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक भी उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, तो ऐसी क्षति का आरोपण बढ़े हुए आयातों पर नहीं किया जाएगा (नियम 8 का परंतुक)।

93. यह आवश्यक नहीं है कि बढ़े हुए आयात ही क्षति या उसके खतरे का एकमात्र कारण हों। आवश्यक यह है कि बढ़े हुए आयातों और क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कारण और प्रभाव का वास्तविक तथा पर्याप्त संबंध हो (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)।अन्य कारकों के प्रभावों को बढ़े हुए आयातों के प्रभावों से अलग करके और उनमें भेद करके देखा जाना चाहिए, ताकि बढ़े हुए आयातों के क्षतिकारक प्रभावों की उचित पहचान की जा सके। प्राधिकारी को यह भी प्रदान करना होगा, एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण देना होगा कि आयातों को आरोपित प्रभाव अन्य कारकों के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)। करार में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विभिन्न कारकों के प्रभावों को किस पद्धति से अलग किया जाना चाहिए (अमेरिका - लैम्ब, अपीलीय निकाय)। आयातों में उतार-चढ़ाव और क्षति संबंधी कारकों के बीच संबंध (समयगत संयोग) तथा आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां इस विश्लेषण के केंद्रीय तत्व हैं।

94. वर्तमान मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण: प्राधिकृत अधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि बढ़े हुए आयातों से गंभीर क्षति होने का खतरा है और वर्तमान गंभीर क्षति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया है (पैराग्राफ 79 और 91)। इसलिए, यहां जांचा गया कारणात्मक संबंध बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के खतरे के बीच है।इसकी जांच दो चरणों में की गई है। पहले, यह जांच की गई है कि पैराग्राफ 80 में उल्लिखित घरेलू उद्योग की स्थिति में जांच अवधि के दौरान आई गिरावट, जिस पर गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण आधारित है, बढ़े हुए आयातों के कारण हुई थी या नहीं। दूसरे, यह जांच की गई है कि जिस गंभीर क्षति को स्पष्ट रूप से आसन्न पाया गया है, वह बढ़े हुए आयातों के कारण होगी या नहीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रत्येक अन्य कारक की दोनों चरणों में जांच की गई है।

समयगत संयोग

95. घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट वर्ष 2023-24 में शुरू हुई, जिस वर्ष आयातों में 89% की वृद्धि हुई थी। उस वर्ष मांग में 1,46,071 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्री में 3,16,272 मीट्रिक टन की गिरावट आई और उसकी बाजार हिस्सेदारी 11 प्रतिशत अंक कम हो गई, जबकि आयातों में 4,62,343 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई।घरेलू उद्योग का उत्पादन 6.1% घट गया, मालसूची निकालने के लिए उसके निर्यात दोगुने हो गए और प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ आधा रह गया। गिरावट उस समय भी जारी रही जब आयात बढ़े हुए स्तर पर बने रहे। वर्ष 2023-24 से एम आर पीके बीच प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ में और 39% तथा नियोजित पूंजी पर आय में लगभग दो-पांचवां हिस्सा गिरावट आई। इसी दौरान, वर्ष 2022-23 से एम आर पीतक मांग में हुई वृद्धि का 85% आयातों ने पूरा किया।

96. हितबद्ध पक्षकारों ने बताया कि वर्ष 2023-24 के बाद आयात उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और रोजगार में सुधार हुआ। प्राधिकृत अधिकारी ने वर्तमान गंभीर क्षति स्थापित न होने का निष्कर्ष निकालते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है (पैराग्राफ 77 से 79)।तथापि, गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण इन कारकों पर आधारित नहीं है। यह बाजार हिस्सेदारी में कमी, लागत की तुलना में कीमतों में अधिक गिरावट, लाभ और आय में लगातार कमी तथा मालसूची में वृद्धि पर आधारित है। इनमें से प्रत्येक कारक आयातों में वृद्धि और उनके उच्च स्तर पर बने रहने के साथ समयगत रूप से मेल खाता है।बिक्री की मात्रा में सुधार भी आयातों की कीमतों का मुकाबला करने के लिए कीमतों में कटौती

करके ही हासिल किया गया (पैराग्राफ 97)। इसलिए, आयातों में वृद्धि और उस गिरावट के बीच समयगत संयोग मौजूद है, जिस पर गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण आधारित है, और समयगत संयोग की आवश्यकता पूरी होती है।

प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां

97. आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित सोडा ऐश समान वस्तुएं हैं। इनका उपयोग कांच, डिटर्जेंट, रसायन तथा अन्य उपयोगकर्ता उद्योगों में एक ही ग्राहकों द्वारा परस्पर प्रतिस्थापनीय रूप से किया जाता है और इनकी बिक्री मुख्यतः कीमत के आधार पर होती है।वर्ष 2022-23 को छोड़कर प्रत्येक अवधि में आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रहीं। वर्ष 2021-22 में यह कीमत न्यूनीकरण 10-30% तक और अप्रैल-दिसंबर 2024 में 10-30% था।वर्ष 2023-24 से एम आर पी के बीच आयातों की पहुंच कीमत में 15% (₹25,896 प्रति मीट्रिक टन से ₹22,100 प्रति मीट्रिक टन तक)की गिरावट आई और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 17% की गिरावट आई, जबकि उसकी बिक्री लागत में 12% की कमी हुई।इस प्रकार के कमोडिटी बाजार में घरेलू उद्योग बिक्री की मात्रा तभी बनाए रख सकता है, जब वह आयातों की कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें निर्धारित करे। इसलिए, आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों और लाभ-मार्जिन का स्तर निर्धारित करती हैं। प्रतिस्पर्धा की ये परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी, कीमतों और लाभ को किस प्रकार प्रभावित किया।वर्ष 2022-23 से एम आर पी के बीच बाजार में हुई वृद्धि में से आयातों द्वारा प्राप्त बिक्री की मात्रा (4.94 लाख मीट्रिक टन), एम आर पीमें घरेलू उद्योग की अपनी अप्रयुक्त क्षमता (6.7 लाख मीट्रिक टन) से कम थी। घरेलू उद्योग अपने मौजूदा संयंत्रों से इस मात्रा की आपूर्ति कर सकता था।वर्ष 2022-23 से एम आर पी तक आयातों की पहुंच कीमत में 39% की गिरावट आने पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी 34% की गिरावट आई, जबकि उसकी बिक्री लागत में केवल 18% की कमी हुई। इस प्रकार, कीमत और लागत के बीच का अंतर ₹/मीट्रिक टन तक कम हो गया (कीमत में ₹/मीट्रिक टन की गिरावट की तुलना में लागत में ₹/मीट्रिक टन की गिरावट)। इसी अवधि में प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ में हुई पूरी गिरावट (₹/मीट्रिक टन) का कारण यही है।

बढ़े हुए आयातों और आसन्न गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

98. प्राधिकृत अधिकारी ने जिन तथ्यों के आधार पर यह पाया है कि गंभीर क्षति स्पष्ट रूप से आसन्न है (पैराग्राफ 82 से 89), वे आयातों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। ये

तथ्य हैं: आयातों का वर्ष 2022-23 के स्तर से लगभग दोगुने स्तर पर बने रहना; निर्यातक देशों में अधिशेष क्षमता, जो भारतीय बाजार तक केवल आयातों के माध्यम से पहुंच सकती है; न्यूनतम आयात कीमत की समाप्ति, जिससे आयात कीमतों पर न्यूनतम सीमा हट जाती है; प्रमुख निर्यातक देशों की निर्यात कीमतों में गिरावट; तथा भारतीय बाजार में आयातित सोडा ऐश का मालसूची।इसलिए, आसन्न गंभीर क्षति,अर्थात पहले से ही संवेदनशील स्थिति में मौजूद उद्योग की कीमतों में और गिरावट तथा बिक्री की मात्रा में कमी, बढ़े हुए आयातों के कारण होगी। नीचे जांचे गए अन्य कारकों में से किसी से भी निकट भविष्य में ऐसी क्षति होने की संभावना नहीं है।

गैर-आरोपण: अन्य कारक

99. प्राधिकृत अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रत्येक अन्य कारक के साथ-साथ प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में आए अन्य कारकों की जांच निम्नानुसार की है।

(क) **मांग और कथित मांग-आपूर्ति अंतर:** जांच अवधि के दौरान मांग में 25% की वृद्धि हुई और किसी भी अवधि में इसमें संकुचन नहीं हुआ। एम आर पी में घरेलू उद्योग के पास लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन अप्रयुक्त क्षमता थी, उसने 1.6 लाख मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) का निर्यात किया और उसके पास 2.4 लाख मीट्रिक टन का मालसूची था। इसलिए, घरेलू उद्योग सक्षम था कि आयातों द्वारा प्राप्त की गई मांग के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करने में सक्षम था। आयातों ने केवल उस अंतर को पूरा नहीं किया जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ था और मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट नहीं हो सकती। भविष्य की स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2024 में जोड़ी गई क्षमता से घरेलू उद्योग की मांग पूरी करने की क्षमता में वृद्धि होती है।

(ख) **क्षमता विस्तार और मूल्यह्रास:** जांच अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में 7% की वृद्धि हुई, जबकि मांग में 25% की वृद्धि हुई। अतः क्षमता विस्तार से घरेलू अधिशेष उत्पन्न नहीं हुआ। वर्ष 2022-23 से एम आर पीके बीच प्रति मीट्रिक टन मूल्यह्रास में ₹*** की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति मीट्रिक टन ब्याज में ₹*** की कमी आई। इस प्रकार, इन दोनों स्थिर प्रभारों में कुल मिलाकर लगभग ₹***/मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जो प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ में हुई गिरावट के 2% से भी कम है। क्षमता विस्तार से घरेलू उद्योग की

स्थिति में गिरावट की व्याख्या नहीं होती और इसके प्रभाव को बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित नहीं किया गया है।

(ग) **कच्चे माल और ऊर्जा की लागत, कृत्रिम उत्पादन प्रक्रिया तथा चूना पत्थर की आपूर्ति**: वर्ष 2022-23 से एम आर पी के बीच घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 18% की कमी आई। उसकी स्थिति में गिरावट इसलिए हुई क्योंकि उसकी बिक्री कीमत में 34% की कमी आई, न कि इसलिए कि उसकी लागत बढ़ गई थी। घरेलू उद्योग ने पूरी अवधि के दौरान कृत्रिम उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग किया है। इसलिए, कृत्रिम और प्राकृतिक सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर वर्ष 2022-23 के बाद उसकी स्थिति में आए बदलाव की व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि अवधि के दौरान चूना पत्थर की आपूर्ति ने उत्पादन को बाधित किया या लागत में वृद्धि की।घरेलू उद्योग की लागत संरचना प्रतिस्पर्धा की ऐसी परिस्थिति है, जिसके कारण वह कम कीमत वाले आयातों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह पैराग्राफ 80 में पाई गई संवेदनशीलता के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट या खतरे का कोई अलग कारण नहीं है।

(घ) संयंत्रों में खराबी: घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संयंत्र बंद रहने के अभिलेखों से पता चलता है कि अलग-अलग संयंत्रों में उत्पादन बंद रहने की घटनाएं हुईं, जिनमें से अधिकांश कुछ दिनों की थीं। वर्ष 2023-24 में एक संयंत्र में सबसे बड़ी बंदी कंप्रेसर से संबंधित थी। पक्षकारों द्वारा उद्धृत सार्वजनिक वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि इस संयंत्र ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के कुछ हिस्से में अपनी क्षमता से कम उत्पादन किया और एक अन्य उत्पादक का उत्पादन वर्ष 2023-24 की एक तिमाही में बाधित हुआ।इसी वर्ष घरेलू उद्योग ने अपना निर्यात 1,73,987 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3,69,216 मीट्रिक टन कर दिया, अर्थात निर्यात दोगुना हो गया। यह घरेलू बाजार में आपूर्ति करने में असमर्थता के दावे के अनुरूप नहीं है। ऐसी बंदियों से वर्ष 2023-24 में उत्पादन में कमी आई हो सकती है और उस प्रभाव को आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। तथापि, इनसे बाजार हिस्सेदारी में कमी, कीमतों में गिरावट या लाभ में कमी की व्याख्या नहीं होती और इनका खतरे के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ङ) **निर्यात निष्पादन:** क्षति का विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालनों से संबंधित है। निर्यात में वृद्धि वर्ष 2023-24 में निर्यात में वृद्धि घरेलू बिक्री में आयातों के कारण हुई कमी के बाद हुई, उससे पहले नहीं। एम आर पी में निर्यात घटकर 1,61,448 मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) रह गया। घरेलू परिचालनों में गिरावट का कारण निर्यात नहीं रहे हैं।

(च) **आबद्ध खपत:** वर्ष 2020-21 और एम आर पी के बीच स्व-उपभोग में लगभग 8% की कमी आई। इससे खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा कम नहीं हुई है और बाजार हिस्सेदारी तथा लाभप्रदता का विश्लेषण इससे प्रभावित नहीं होता है।

(छ) **स्थान, भाड़ा और परिवहन लागत:** घरेलू उद्योग के संयंत्रों के स्थान तथा अन्य क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए वहन किए जाने वाले भाड़े में अवधि के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। जो कारक स्थिर रहा हो, वह वर्ष 2023-24 में शुरू हुई गिरावट की व्याख्या नहीं कर सकता।

(ज) **अधोवर्ती मांग:** फ्लैट ग्लास और सौर ग्लास जैसे विशिष्ट खंडों में कमजोरी से उन उपयोगकर्ताओं की मांग प्रभावित हो सकती है, लेकिन सोडा ऐश की कुल मांग में 25% की वृद्धि हुई। विशिष्ट खंडों में कमजोरी से बढ़ते बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में आई उस गिरावट की व्याख्या नहीं होती, जिसमें कमी वाली हिस्सेदारी आयातों ने प्राप्त की।

(झ) **वर्ष 2022-23 के बाद कीमतों का सामान्य स्तर पर आना और वैश्विक कमोडिटी चक्र:** प्राधिकृत अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2022-23 एक असाधारण वर्ष था और उस वर्ष के बाद कीमतों तथा लाभ में आई गिरावट का एक हिस्सा असामान्य रूप से ऊंचे स्तरों से सामान्य स्तर पर लौटने को दर्शाता है। इस कारण, वर्ष 2022-23 को मानक आधार के रूप में उपयोग नहीं किया गया है और कीमतों के सामान्य स्तर पर लौटने के प्रभाव को बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। यही एक कारण है कि वर्तमान गंभीर क्षति का निर्धारण नहीं किया गया है।तथापि, गंभीर क्षति के खतरे का आधार बनी गिरावट कीमतों के सामान्य स्तर पर लौटने के काफी बाद तक जारी रही। वर्ष 2023-24 से एम आर पीके बीच प्रति मीट्रिक टन कर-पूर्व लाभ में 39% की कमी आई और नियोजित पूंजी पर आय में लगभग दो-पांचवां हिस्सा गिरावट आई, जबकि घरेलू उद्योग की कीमत में उसकी लागत से अधिक गिरावट हुई।जहां तक निर्यातक देशों में

अधिशेष क्षमता के कारण सोडा ऐश की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है, वहां तक यह गिरावट आयातों की कीमत और मात्रा के माध्यम से भारतीय बाजार तक पहुंचती है। यह बढ़े हुए आयातों से अलग कोई कारक नहीं है; बल्कि यही वह माध्यम है जिसके जरिए आयात घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हैं।

(ञ) **घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, व्यापार-प्रतिबंधात्मक व्यवहार, प्रौद्योगिकी, उपभोग का स्वरूप और अन्य उत्पाद:** विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा या उनके द्वारा अपनाई गई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक उपयोगकर्ता का यह दावा कि घरेलू उत्पादक आपसी सहमति से कीमतें निर्धारित करते हैं, साक्ष्य से समर्थित नहीं है। एकमात्र अन्य घरेलू उत्पादक की मांग में हिस्सेदारी 2% से कम है। प्रौद्योगिकी या उपभोग के स्वरूप में किसी बदलाव अवधि के दौरान उपभोग में किसी बदलाव का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और सोडा ऐश के अंतिम उपयोग भी समान बने रहे। जांचे गए आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, इसलिए घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन इस विश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है।

(ट) **न्यूनतम आयात कीमत**: न्यूनतम आयात कीमत 30 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रही और यह कोई शुल्क नहीं था। इसके लागू रहने के दौरान भी आयात बढ़े हुए स्तर पर बने रहे। जनवरी 2025 में हुई निकासी को अलग रखने पर भी, फरवरी-सितंबर 2025 के दौरान आयात 8,49,562 मीट्रिक टन (वार्षिकीकरण के आधार पर) रहे। इसका प्रभाव एम आर पी के आंकड़ों में दिखाई देता है, जिसमें आयातों की पहुंच कीमत बढ़ी, जबकि घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट आई। न्यूनतम आयात कीमत से क्षति नहीं हुई; बल्कि इसने एम आर पी के दौरान आयातों की कीमत को नियंत्रित रखा। 31 दिसंबर 2025 को इसकी समाप्ति उन तथ्यों में से एक(पैराग्राफ 86) है जिनके आधार पर गंभीर क्षति का खतरा पाया गया है और इससे कारणात्मक संबंध समाप्त नहीं होता। जहां तक न्यूनतम आयात कीमत ने एम आर पी में आयातों के प्रभाव को कम किया, उस राहत को ध्यान में रखा गया है और उसे आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित नहीं किया गया है।

(ठ) **पाटन और पाटनरोधी कार्यवाही**: 29 सितंबर 2025 के पाटनरोधी जांच परिणामों में उन चार स्रोतों को शामिल किया गया था, जिनसे आयातों में हुई

वृद्धि का एक हिस्सा संबंधित है। तथापि, कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए दोहरा उपचार का प्रश्न नहीं उठता। रक्षोपाय जांच का संबंध बढ़े हुए आयातों से है, भले ही उनका व्यापार निष्पक्ष रूप से किया गया हो या नहीं। बढ़े हुए आयात जिस कीमत पर आए, वह उनके प्रभाव का हिस्सा है, न कि कोई अलग कारक। प्राधिकृत अधिकारी ने यह नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट या गंभीर क्षति के खतरे का कोई हिस्सा आयातों में वृद्धि से अलग पाटन के कारण हुआ है। पाटनरोधी जांच के परिणामों पर भरोसा नहीं किया गया है।

(ङ) **वर्ष 2026 में नौवहन मार्गों में व्यवधान:** जांच अवधि के बाद, लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जाने वाले नौवहन मार्गों में व्यवधान के कारण भारत पहुंचने वाले आयातों की मात्रा में कमी आई। इस कारक ने घरेलू उद्योग पर आयातों का दबाव बढ़ाने के बजाय कम किया है। घरेलू उद्योग इसे अस्थायी बताता है; किसी भी स्थिति में, इससे निर्यातक देशों की आपूर्ति-मांग की स्थिति में बदलाव नहीं होता। इससे क्षति नहीं होती और न ही बढ़े हुए आयातों तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच का संबंध टूटता है।

कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

100. घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट वर्ष 2023-24 में आयातों में हुई वृद्धि और उनके बढ़े हुए स्तर पर बने रहने के साथ समयगत रूप से मेल खाती है; प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि आयातों ने यह गिरावट किस प्रकार उत्पन्न की; और वे तथ्य, जिनके कारण गंभीर क्षति गंभीर क्षति स्पष्ट रूप से आसन्न होने के तथ्य आयातों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करके और उनमें भेद करके देखने तथा वर्ष 2022-23 के बाद कीमतों के सामान्य स्तर पर लौटने, वर्ष 2023-24 में संयंत्रों के बंद रहने और घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार के प्रभावों को बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित न करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने के खतरे के बीच कारण और प्रभाव का वास्तविक तथा पर्याप्त संबंध है।तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी यह पाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है और अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को बढ़े हुए आयातों के कारण हुई क्षति के रूप में आरोपित नहीं किया गया है।

ट. <u>समायोजन योजना</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **योजना की पर्याप्तता:** हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि समायोजन योजना आयात प्रतिस्पर्धा के अनुरूप समायोजन की योजना नहीं है, बल्कि यह कंपनियों के नियमित व्यावसायिक उपायों का एक संग्रह है। इनमें से कई उपाय पहले से ही चल रहे थे और किसी भी संरक्षोपाय उपाय के बावजूद लागू किए जाते। योजना में आवश्यक निवेश, प्रगति मापने के लिए निर्धारित किए गए पड़ावों अथवा प्रस्तावित उपाय की अवधि के साथ इन उपायों के संबंध का उल्लेख नहीं है।

(ii) **संरचनात्मक नुकसान:** हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि भारत में प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन नहीं किया जा सकता और कृत्रिम उत्पादन प्रक्रिया की लागत संबंधी प्रतिकूलता स्थायी है। इसलिए, प्राकृतिक सोडा ऐश सहित आयातों पर प्रतिबंध समायोजन को सुगम नहीं बना सकता और इससे घरेलू उद्योग को केवल प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलेगा।

ट.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) घरेलू उद्योग ने नियम 5(2)(ख) के अंतर्गत आयात प्रतिस्पर्धा के अनुरूप समायोजन करने के लिए अपने प्रत्येक घटक द्वारा किए गए और नियोजित प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें अपेक्षित बचत भी शामिल है:

(क) **निरमा:** भावनगर में कोक ब्रिकेट संयंत्र (2027; ₹500-750 प्रति मीट्रिक टन की बचत); 20 मेगावाट सौर ऊर्जा (2026; ₹300-400 प्रति मीट्रिक टन की बचत); स्थानीय चूना पत्थर का अधिक उपयोग; और क्षमता उपयोग में वृद्धि।

(ख) **जीएचसीएल:** चूना पत्थर के आकार निर्धारण, हैंडलिंग और भट्ठी संचालन में सुधार; स्थानीय चूना पत्थर का अधिक उपयोग; तथा भट्ठी के ईंधन, भाप और अमोनिया की खपत में कमी (8-9% की बचत)।

(ग) **आरएसपीएल:** क्षमता का विस्तार; स्वयं के उपयोग के लिए नमक उत्पादन सुविधाएं; स्थानीय चूना पत्थर का अधिक उपयोग; रेलवे

साइडिंग और जेटी; तथा रखरखाव और ऊर्जा संबंधी उपाय (लागत में कम-से-कम 10% की कमी)।

(घ) **टाटा केमिकल्स:** डिजिटल प्रक्रिया नियंत्रण (प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता में 22% की कमी); लागत में कमी का कार्यक्रम; क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करके क्षमता को 0.81 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना; तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी उपाय।

(ङ) **डीसीडब्ल्यू:** उत्पादन में वृद्धि; चूना पत्थर और कार्बोनेटर की उपज में सुधार; तथा अमोनिया, ईंधन और बिजली की खपत में कमी (लागत में लगभग 6% की कमी)।

(ii) ये योजनाएं प्रत्येक कंपनी के लिए विशिष्ट हैं, मात्रात्मक रूप से निर्धारित हैं और आंशिक रूप से कार्यान्वयन के चरण में हैं। ये लागत में कमी करके, क्षमता उपयोग बढ़ाकर और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि करके आयातों से उत्पन्न दबाव के मूल कारण, अर्थात कीमत संबंधी प्रतिस्पर्धा, का समाधान करती हैं। इनका उद्देश्य घरेलू उद्योग को उपाय की अवधि समाप्त होने पर प्राकृतिक सोडा ऐश सहित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है।

(iii) वर्तमान आय के स्तर पर लागत में कमी और नई क्षमता में निवेश को जारी रखना संभव नहीं है। यह उपाय नियोजित निवेशों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करेगा।

ट.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

विधिक ढांचा

101. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार, रक्षोपाय उपाय केवल उतनी सीमा तक लागू किया जाना चाहिए, जितना गंभीर क्षति को रोकने या उसका निवारण करने तथा समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, ऐसा उपाय केवल उतनी अवधि तक लागू किया जाना चाहिए, जितनी इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो।अनुच्छेद 7.4 के अंतर्गत, एक वर्ष से अधिक अवधि तक लागू उपाय को नियमित अंतराल पर क्रमिक रूप से उदार बनाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 7.2 के अनुसार, किसी उपाय की अवधि केवल तभी बढ़ाई जा सकती है, जब अन्य

बातों के साथ-साथ, इस बात के साक्ष्य हों कि उद्योग समायोजन कर रहा है।नियम 5(2)(ख) के अनुसार, आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए गए या नियोजित प्रयासों का विवरण होना आवश्यक है। नियम 9(1)(i) के अनुसार, सिफारिश में समायोजन को सुगम बनाने के पहलू पर विचार किया जाना आवश्यक है।

102. संरक्षोपाय संबंधी करार में समायोजन योजना को बढ़े हुए आयातों, गंभीर क्षति या उसके खतरे अथवा कारणात्मक संबंध के निर्धारण की पूर्वशर्त नहीं बनाया गया है। इसके बजाय, यह योजना इस बात के लिए प्रासंगिक है कि उपाय केवल आवश्यक सीमा तक सीमित है या नहीं, उसकी अवधि और क्रमिक उदारीकरण क्या होना चाहिए तथा बाद में उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। प्राधिकृत अधिकारी ने इन उद्देश्यों के लिए योजना की जांच की है।

103. **खतरे के मामले में प्रासंगिकता:** सिफारिश किया गया उपाय गंभीर क्षति को घटित होने से रोकने के उद्देश्य से (खंड I और ञ), है न कि पहले ही हो चुकी क्षति का निवारण करने के लिए। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को सीमित अवधि प्रदान करना है, ताकि वह अपनी लागत कम कर सके और अपनी क्षमता का उपयोग कर सके, इससे पहले कि खतरे के विश्लेषण में पहचाने गए दबाव, बढ़े हुए स्तर पर आयात, न्यूनतम आयात कीमत की समाप्ति, निर्यातक देशों में अधिशेष क्षमता और वैश्विक कीमतों में गिरावट का पूरा प्रभाव सामने आए। इसलिए, अपेक्षित समायोजन दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन के बजाय लागत में कमी और क्षमता उपयोग में सुधार है, जिसे उक्त अवधि के भीतर हासिल किया जा सकता है।

योजना का आकलन

104. विशिष्टता और मात्रात्मक निर्धारण: प्रत्येक घटक द्वारा प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं:

उत्पादक	प्रमुख उपाय	अपेक्षित प्रभाव	समय-सीमा / स्थिति
निरमा	कोक ब्रिकेट संयंत्र; 20 मेगावाट सौर ऊर्जा; स्थानीय चूना पत्थर; क्षमता उपयोग में वृद्धि	संयुक्त रूप से ₹800-1,150 प्रति मीट्रिक टन की बचत	सौर ऊर्जा: 2026; ब्रिकेट संयंत्र: 2027

उत्पादक	प्रमुख उपाय	अपेक्षित प्रभाव	समय-सीमा / स्थिति
जीएचसीएल	चूना पत्थर का आकार निर्धारण और हैंडलिंग; भट्ठी संचालन; ईंधन, भाप और अमोनिया की खपत में कमी	लागत का 8-9%	
आरएसपीएल	क्षमता विस्तार; स्वयं के उपयोग के लिए नमक उत्पादन सुविधाएं; रेलवे साइडिंग और जेटी; ऊर्जा संबंधी उपाय	लागत में कम-से-कम 10% की कमी	
टाटा कैमिकल्स	डिजिटल प्रक्रिया नियंत्रण; लागत संबंधी कार्यक्रम; क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करके क्षमता 0.81 से बढ़ाकर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन करना; लॉजिस्टिक्स	प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता में 22% की कमी; क्षमता में 0.29 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि	
डीसीडब्ल्यू	उत्पादन में वृद्धि; चूना पत्थर और कार्बोनेटर की उपज में सुधार; अमोनिया, ईंधन और बिजली की खपत में कमी	लागत में लगभग 6% की कमी	

ये उपाय प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट हैं और इनमें से अधिकांश को मात्रात्मक रूप से निर्धारित किया गया है। ये उस दबाव के समाधान के लिए प्रासंगिक हैं, जो इस जांच में आयातों के कारण पाया गया है और जो कीमतों के माध्यम से प्रभाव डालता है। प्रत्येक उपाय का उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, क्षमता उपयोग बढ़ाना या लॉजिस्टिक्स में सुधार करना है।

105. **खतरे के संबंध में पर्याप्तता:** सर्वाधिक हाल की अवधि (एमआरपी) में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 6-10% की बचत *** रुपये/मीट्रिक टन होगी। यह गिरावट वर्ष 2023-24 और एमआरपी के बीच घरेलू उद्योग के कर-पूर्व लाभ प्रति मीट्रिक टन में आई गिरावट के समान स्तर की है, और यह मूल्य एवं लागत के बीच के उस मार्जिन को पर्याप्त रूप से पुनर्स्थापित करेगी जो जांच अवधि के दौरान संकुचित हो गया था। टाटा केमिकल्स और आरएसपीएल द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता, तथा एमआरपी में अप्रयुक्त रही लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का उपयोग, घरेलू उद्योग को प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से बढ़ रहे बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा। प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यदि

इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग को उपाय की समाप्ति पर आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में लाने में सक्षम है।

106. **पहले से जारी उपाय:** हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि कई उपाय पहले से ही जारी थे। संगत प्रश्न यह नहीं है कि कोई उपाय नया है, बल्कि यह है कि क्या घरेलू उद्योग समायोजन के लिए विश्वसनीय कदम उठा रहा है और क्या यह उपाय उन्हें पूरा करने में उद्योग की सहायता करेगा। कोक ब्रिकेट संयंत्र, डीबॉटलनेकिंग और क्षमता विस्तार सहित कई उपायों के लिए उपाय की अवधि के दौरान निवेश की आवश्यकता है। एमआरपी (खंड I) में घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय पूरी अवधि के न्यूनतम स्तर तक कम हो गई थी, और कीमतों में और अधिक गिरावट का सामना कर रहे उद्योग द्वारा इस प्रकार के निवेश को जारी रख पाना असंभव है। कुछ उपायों का नियमित स्वरूप का होना उन्हें अपर्याप्त नहीं बनाता है, क्योंकि यहां वे सीधे उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से लक्षित हैं।

107. **प्राकृतिक सोडा ऐश:** प्राधिकृत अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि भारत में प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, समायोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों के कच्चे माल की नकल करना आवश्यक नहीं है; इसके लिए उपाय की समाप्ति पर उद्योग का आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना आवश्यक है। सिंथेटिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बीच लागत का अंतर पूरी अवधि के दौरान विद्यमान रहा है और खंड ञ में यह पाया गया था कि यह प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी शर्त है जो घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों के प्रति संवेदनशील बनाती है, न कि यह खतरे का कोई पृथक कारण है (पैरा 99(ग))। यह योजना सिंथेटिक प्रक्रिया की लागत को कम करके और लॉजिस्टिक्स में सुधार करके उस संवेदनशीलता का समाधान करती है। घरेलू उद्योग ने जांच की पूरी अवधि के दौरान प्राकृतिक सोडा ऐश सहित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय मांग के लगभग तीन-चौथाई हिस्से की आपूर्ति की है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि जब आयात इस जांच में पाए गए बढ़े हुए स्तरों पर नहीं होते हैं, तब सिंथेटिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।

108. **योजना में कमियां:** प्राधिकृत अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह योजना प्रत्येक घटक के लिए अपेक्षित निवेश या मध्यवर्ती उपलब्धियों को निर्दिष्ट नहीं करती है, और कई उपायों की समय-सीमा नहीं दी गई है। ये कमियां वर्तमान उद्देश्यों के लिए योजना को अपर्याप्त नहीं बनाती हैं, लेकिन वे उस सीमा को सीमित करती हैं जिस हद तक यह एक लंबी अवधि के उपाय को उचित ठहरा सकती है।

109. **अवधि:** उपाय के खतरे संबंधी आधार और योजना के प्रमुख उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से दिनांक दर्ज उपाय वर्ष 2026 और 2027 के लिए निर्धारित हैं, प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि गंभीर क्षति को रोकने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए दो वर्ष की अवधि पर्याप्त है। तदनुसार अवधि को सीमित किया गया है, और अनुच्छेद 7.4 (खंड ढ़) के अनुसार उस अवधि के दौरान उपाय का उत्तरोत्तर उदारीकरण किया जाना है।

110. **निष्कर्ष:** प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग ने समायोजन का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है जो विशिष्ट, काफी हद तक परिमाणित और प्रतिस्पर्धा की उन शर्तों पर लक्षित है जिनके माध्यम से बढ़े हुए आयात गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न करते हैं, तथा दो वर्ष की अवधि के लिए और उत्तरोत्तर उदारीकरण के अध्यधीन सिफारिश किए गए उपाय उस समायोजन को सुगम बनाएगा।

ठ. <u>जनहित</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

(i) **प्रयोक्ता उद्योगों के लिए सोडा ऐश का महत्व:** सोडा ऐश कांच, डिटर्जेंट, सोडियम सिलिकेट और रासायनिक उद्योगों के लिए एक आवश्यक इनपुट है। यह कंटेनर ग्लास की उत्पादन लागत का 15-20% और डिटर्जेंट के संघटन का 30-40% हिस्सा है। डिटर्जेंट विनिर्माताओं के एक एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी जांच की अवधि के बाद से घरेलू सूचीबद्ध मूल्य में 28.6% की वृद्धि हुई है, जिससे डिटर्जेंट की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी, और कई डिटर्जेंट विनिर्माता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं।

(ii) **कमी और कोटा का प्रभाव:** मात्रात्मक प्रतिबंध से कमी, आपूर्ति में देरी और कोटा रेंट की स्थिति उत्पन्न होगी, तथा यह शुल्क की तुलना में प्रयोक्ताओं के लिए अधिक महंगा साबित होगा। चूंकि घरेलू क्षमता का पूर्ण उपयोग हो चुका है, इसलिए प्रयोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के 70-80% की कमी का सामना करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग के अपने आंकड़ों के अनुसार भी, घरेलू उत्पादन और प्रस्तावित कोटा मिलकर मांग की तुलना में कम पड़ेगा।

(iii) **निर्यात हेतु इनपुट:** रक्षोपाय शुल्क के विपरीत, परिमाणात्मक प्रतिबंध निर्यात हेतु माल के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले इनपुट्स के लिए छूट का प्रावधान नहीं करता है।

(iv) **अकार्बनीकरण:** प्राकृतिक सोडा ऐश का कार्बन फुटप्रिंट सिंथेटिक सोडा ऐश की तुलना में कम होता है। इसकी उपलब्धता प्रयोक्ता उद्योगों के अकार्बनीकरण और कार्बन-सीमा उपायों को लागू करने वाले बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करती है।

(v) **पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना:** केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को अधिरोपित नहीं किया, जो इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि सोडा ऐश के आयातों पर आगे प्रतिबंध लगाना जनहित में नहीं है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

(i) **कोई कमी नहीं:** मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है: भारतीय क्षमता 45.43 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि एमआरपी में मांग 45.35 लाख मीट्रिक टन थी (घरेलू उद्योग की गणना के अनुसार; खंड I में निर्धारित एमआरपी में मांग 45,00,479 मीट्रिक टन है)। कोटा आयातों की अनुमति देता है और उनकी कीमत पर कोई शुल्क नहीं जोड़ता है।

(ii) **घरेलू उद्योग के हित:** घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 22,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, और उसने अपनी क्षमता में निवेश किया है तथा इसके विस्तार की योजना बना रहा है।

(iii) **प्रयोक्ता:** कांच उद्योग स्वयं पाटनरोधी शुल्कों द्वारा संरक्षित है। डिटर्जेंट की कीमतें सोडा ऐश की कीमत के अनुरूप नहीं बदली हैं।

ठ.3 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के विचार

111. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा निम्नलिखित इनपुट संप्रेषित किए, जो उसने उद्योग एसोसिएशन से प्राप्त किए थे:

(i) भारत में सोडा ऐश का उत्पादन छह कंपनियों की सात इकाइयों में किया जाता है: डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, निरमा लिमिटेड (इसके सौराष्ट्र केमिकल्स प्रभाग सहित), आरएसपीएल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वर्ष 2024-25 में उनकी क्षमता 45,20,670 मीट्रिक टन और उनका उत्पादन 37,86,453 मीट्रिक टन था।

(ii) प्रस्तावित उपाय आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित करता है और इससे प्रयोक्ता उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के भीतर प्रयोक्ता उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। यह लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन की योजनाबद्ध क्षमता वृद्धि को सुरक्षित करेगा, जिससे एक बुनियादी औद्योगिक रसायन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और रोजगार का सृजन होगा।

ठ.4 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

विधिक कार्यढांचा और दृष्टिकोण

112. रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 3.1 जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि रक्षोपाय लागू करना जनहित में होगा या नहीं। नियम 6(5) यह अपेक्षा करता है कि उत्पाद के प्रयोक्ताओं को यह बताने का अवसर दिया जाए कि क्या यह उपाय जनहित में होगा। अधिनियम की धारा 9क(1) केंद्र सरकार को ऐसे परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है जो वह उचित समझे। इसलिए यह तय करने में जनहित एक विचारणीय बिंदु है कि क्या किसी उपाय की सिफारिश की जानी चाहिए, और किस रूप में तथा किस सीमा तक की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता उद्योगों और उपभोक्ताओं के हितों पर समग्र रूप से विचार किया है।

113. सिफारिश किया गया उपाय गंभीर क्षति को रोकने के लिए तैयार किया गया है जिसके आसन्न होने का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है (खंड झ और ञ), जो कि दो वर्ष की अवधि के लिए, उदारीकरण के अध्यधीन और खंड ट में जाँच किए गए समायोजन के अध्यधीन है। यहां जॉच किया गया प्रश्न यह है कि क्या ऐसा उपाय, अनुशंसित स्तर पर, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर ऐसी लागतें अधिरोपित करेगा जो उस क्षति को रोकने के हित से अधिक हों। इसकी जांच करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने मुख्य रूप से आपूर्ति की उपलब्धता, कीमतों पर प्रभाव, निर्यात करने वाले प्रयोक्ताओं, उपाय के चयन और आपूर्ति के घरेलू स्रोत से जुड़े व्यापक हित पर विचार किया है।

आपूर्ति की उपलब्धता

114. **एमआरपी के स्तर पर आपूर्ति:** कोटा कोई पूर्ण निषेध नहीं है। यह पहले वर्ष में 7,54,992 मीट्रिक टन और दूसरे वर्ष में 7,92,740 मीट्रिक टन के आयात की अनुमति देता है, जो सभी स्रोतों से तथा प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश दोनों के लिए है। खंड ड के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों से होने वाले आयात इसके अतिरिक्त हैं। एमआरपी में मांग के स्तर (45,00,479 मीट्रिक टन) पर शेष 37,45,487 मीट्रिक टन की आपूर्ति भारतीय उत्पादकों द्वारा की जाएगी, जो 45.43 लाख मीट्रिक टन की कुल भारतीय क्षमता का लगभग 82% है (घरेलू उद्योग की 43.63 लाख मीट्रिक टन और अन्य उत्पादक की लगभग 1.8 लाख मीट्रिक टन, जैसा कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में उल्लेख किया है)। घरेलू उद्योग को एमआरपी की तुलना में घरेलू बाजार में अपनी आपूर्ति में लगभग 2.6 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। एमआरपी में उसके पास लगभग 6.7 लाख मीट्रिक टन अप्रयुक्त क्षमता थी, उसने 1.6 लाख मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) का निर्यात किया और 2.4 लाख मीट्रिक टन की मालसूची रखी। यदि निर्यातों को घरेलू बाजार की ओर जाने दिया जाए, तो अपेक्षित क्षमता उपयोग लगभग 85% होगा, जो कि वही स्तर है जो उसने एमआरपी में हासिल किया था; और यदि निर्यातों को यथावत बनाए रखा जाए, तो यह लगभग 88% होगा; प्रथम वर्ष में मालसूची से अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त होगी।

115. उपाय की अवधि के दौरान आपूर्ति: यह उपाय इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगा, जिस समय मांग एमआरपी की तुलना में अधिक होने की संभावना है। यदि मांग लगभग 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती रहती है, तो भारतीय उत्पादकों को उपाय के पहले वर्ष में लगभग 42.1 लाख मीट्रिक टन और दूसरे वर्ष में लगभग 44.2 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान भारतीय क्षमता का लगभग 93% और 97% है। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी स्वीकार करते हैं कि मांग और प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध आपूर्ति के बीच का अंतर सीमित है, विशेष रूप से दूसरे वर्ष में, जब तक कि घरेलू उद्योग द्वारा योजनाबद्ध क्षमता वृद्धि (खंड ट) क्रियान्वित नहीं हो जाती।

विवरण (लाख मी टन)	एमआरपी का स्तर	वर्ष 1 (मांग +5% प्रतिवर्ष)	वर्ष 2 (मांग +5% प्रतिवर्ष)
मांग	45.0	49.6	52.1
कोटा	7.55	7.55	7.93
भारतीय उत्पादकों से अपेक्षित	37.5	42.1	44.2
भारतीय क्षमता का हिस्सा (45.43)	82%	93%	97%

वर्ष 1 और वर्ष 2 इस धारणा पर आधारित हैं कि सर्वाधिक हाल की अवधि से मांग में प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वृद्धि होगी, जिससे कि उपाय के प्रथम वर्ष में मांग लगभग 49.6 लाख मीट्रिक टन होगी (पैरा 143)। इसमें खंड ङ के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों से होने वाले आयात शामिल नहीं हैं।

116. **आपूर्ति का आकलन:** प्रयोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं में 70-80% की कमी का जो अनुमान लगाया गया है, वह आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस धारणा पर आधारित है कि आयात पूरी तरह बंद हो जाएंगे। वे कोटा, खंड ङ के अंतर्गत तथा अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों से होने वाले आयातों, अथवा घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता, निर्यातों और स्टॉक को ध्यान में नहीं रखते हैं। प्रथम वर्ष के कोटे के साथ मिलकर भारतीय क्षमता (लगभग 53.0 लाख मीट्रिक टन) एमआरपी की मांग से अधिक है, और विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बाजार रिपोर्ट में स्वयं यह दर्ज है कि भारत में आयात पहले से ही उस मात्रा से अधिक थे जितनी भारत को आवश्यकता थी (खंड I)। प्राधिकृत अधिकारी यह संज्ञान लेते हैं कि मांग में प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही है और यह मार्जिन सीमित है। इसी कारण से कोटे को उपाय के प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित मांग के संदर्भ में निर्धारित किया गया है और यह दूसरे वर्ष में 5% बढ़ जाता है, तथा अप्रयुक्त कोटे को तिमाही-दर-तिमाही आठवीं तिमाही तक आगे ले जाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ता देशों के बीच उनके उपयोग के आधार पर वितरित किया जाता है (खंड ढ़), घरेलू उद्योग को अपनी आपूर्ति पर त्रैमासिक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी (खंड त), और यदि कमी उत्पन्न होती है तो नियम 15 के अंतर्गत उपाय की समीक्षा की जा सकती है। इन प्रावधानों के साथ, कमी का जोखिम इस उपाय को जनहित के विपरीत नहीं बनाता है।

117. **कोटा रेंट और प्रशासन:** प्राधिकृत अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि कोटा दुर्लभता प्रीमियम और विलंब उत्पन्न कर सकता है। ये प्रभाव कोटे के स्तर और उसके प्रशासन की पद्धति पर निर्भर करते हैं। संस्तुत कोटा उपाय के प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित मांग का लगभग 15% है, और आपूर्तिकर्ता देशों के बीच इसका आबंटन तथा इसका प्रशासन खंड ढ़ में निर्धारित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी ने अप्रयुक्त कोटे को तिमाही-दर-तिमाही आगे ले जाने, उपयोग के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इसके वितरण और आपूर्ति की निगरानी की सिफारिश करते समय प्रयोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखा है।

कीमतों और प्रयोक्ता उद्योगों पर प्रभाव

118. कोटा इसके अंतर्गत होने वाले आयातों के मूल्य पर कोई शुल्क नहीं जोड़ता है। घरेलू कीमतों में कोई भी वृद्धि अनुमत आयातों की मात्रा और भारतीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमित होती है। प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े उनकी लागत में सोडा ऐश के हिस्से को दर्शाते हैं; वे यह नहीं दर्शाते हैं कि प्रतिनिधि वर्षों के स्तर पर कीमतें, या वर्तमान स्तर से एक मध्यम वृद्धि, प्रयोक्ता उद्योगों को अलाभकारी बना देगी। प्रयोक्ताओं के अपने आंकड़ों के आधार पर, सोडा ऐश की कीमत में 10% की वृद्धि से कंटेनर ग्लास की लागत में लगभग 1.5-2% की वृद्धि होगी, क्योंकि एक प्रयोक्ता द्वारा बताए अनुसार सोडा ऐश इसकी उत्पादन लागत का 15-20% है। डिटर्जेंट विनिर्माताओं के एक एसोसिएशन द्वारा बताए अनुसार डिटर्जेंट के संघटन में सोडा ऐश के 30-40% होने, उसके द्वारा गोपनीय रूप से प्रस्तुत डिटर्जेंट की कीमत और एमआरपी में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए, इससे डिटर्जेंट की लागत में लगभग 1-1.5% की वृद्धि होगी। उस एसोसिएशन द्वारा उद्धृत घरेलू सूचीबद्ध कीमत जांच अवधि के बाद वर्ष 2026 से संबंधित हैं, जब कोई उपाय लागू नहीं था, और वे प्रस्तावित उपाय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

119. प्राधिकृत अधिकारी ने डिटर्जेंट उद्योग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति पर विचार किया है। उनका प्रभाव सोडा ऐश की कीमत के माध्यम से पड़ता है; यह उपाय उन तक इसकी पहुंच को प्रभावित नहीं करता है, और उनके उत्पादों पर लागत का प्रभाव, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, मामूली है।

निर्यात करने वाले प्रयोक्ता

120. निर्यात हेतु वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले प्रयोक्ताओं को खंड पी में की गई इस सिफारिश से सुरक्षा प्राप्त होती है कि अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयातों को

कोटे से बाहर अनुमति दी जाए। यह विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 4.14 के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत ऐसे आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट प्राप्त है, और पैरा 4.18(iv) के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुओं का अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयात किया जा सकता है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से अस्वीकृत न किया गया हो। ये वस्तुएं निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त होती हैं और घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं। यह एक प्रयोक्ता द्वारा उद्धृत यूरोपीय एसोसिएशन के सीमा शुल्क कानून में आतंरिक प्रसंस्करण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के भी अनुरूप है, जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं वाणिज्यिक नीति उपायों के अध्यधीन नहीं होती हैं।

अकार्बनीकरण और कार्बन-बॉर्डर उपाय

121. यह उपाय प्राकृतिक सोडा ऐश के आयात को नहीं रोकता है, जो सभी स्रोतों से कोटे के भीतर उपलब्ध बना हुआ है। यूरोपीय एसोसिएशन का कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (सीबीएएम) वर्तमान में सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पर लागू होता है, और 2028 से इसका प्रस्तावित विस्तार इस्पात और एल्युमीनियम से बनी वस्तुओं से संबंधित है; यह कांच या डिटर्जेंट पर लागू नहीं होता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि यह उपाय किसी भी कार्बन-बॉर्डर उपाय के अंतर्गत प्रयोक्ता उद्योगों के निर्यात को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की समायोजन योजना में सौर ऊर्जा का उपयोग तथा ईंधन और ऊर्जा की कम खपत शामिल है (खंड ट)।

उपाय का चयन

122. प्रयोक्ताओं का यह तर्क है कि रक्षोपाय शुल्क उनके लिए कोटा की तुलना में कम खर्चीला होगा। वर्तमान जांच अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत परिमाणात्मक प्रतिबंधों के आवेदन पर शुरू की गई थी। रक्षोपाय शुल्क लगाना सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है, और यह इस जांच के दायरे से बाहर है। उपलब्ध उपाय के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी ने कोटे के स्तर, दूसरे वर्ष में इसमें वृद्धि, अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाने और वितरण, अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयातों के अपवर्जन और आपूर्ति की निगरानी के माध्यम से प्रयोक्ताओं के लिए इसकी लागत को सीमित करने का प्रयास किया है।

पाटनरोधी शुल्क को लागू नहीं किया जाना

123. वर्ष 2025 में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को नहीं लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय एक भिन्न उपाय से संबंधित था, जो एक भिन्न रिकॉर्ड पर चार देशों के उत्पादकों द्वारा किए गए पाटन पर लक्षित था। यह निर्धारित नहीं करता है कि सभी स्रोतों से बढ़े हुए आयातों के कारण होने वाली उस गंभीर क्षति को रोकने का कोई उपाय जनहित में है या नहीं, जिसके आसन्न होने का अब निष्कर्ष निकाला गया है।

घरेलू उद्योग के हित और आपूर्ति की सुरक्षा

124. घरेलू उद्योग ने पूरी जांच अवधि के दौरान भारतीय मांग के लगभग तीन-चौथाई हिस्से की आपूर्ति की, एमआरपी में 4,913 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया, उसने यह उल्लेख किया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 22,000 व्यक्ति नियोजित हैं, और उस क्षमता में निवेश किया है जिसे वह विस्तारित करने की योजना बना रहा है (खंड ट)। इसका निरंतर व्यवहार्यता स्वयं प्रयोक्ता उद्योगों के हित में है। वर्ष 2022-23 में, जब वैश्विक आपूर्ति कम थी, आयातों की पंहुच कीमत (36,059 रुपये/मीट्रिक टन) घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य (*** रुपये/मीट्रिक टन) से अधिक था, और प्रयोक्ता अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को आयातों की तुलना में कम कीमत पर घरेलू उत्पादकों से प्राप्त करने में सक्षम थे। जिस गंभीर क्षति के आसन्न होने का निष्कर्ष निकाला गया है, वह आपूर्ति के उस स्रोत को कमजोर कर देगी। एक ऐसा उपाय जो इसे संरक्षित रखता है, साथ ही मांग के लगभग 15% के आयात की अनुमति देता है, उत्पादकों के साथ-साथ प्रयोक्ताओं के हित में भी कार्य करता है।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के विचार

125. इस उत्पाद के प्रशासनिक मंत्रालय के विचार उपर्युक्त आकलन के अनुरूप हैं। इसके द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बताई गई क्षमता, 45,20,670 मीट्रिक टन, ऊपर प्रयुक्त लगभग 45.43 लाख मीट्रिक टन की भारतीय क्षमता के लगभग है। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी ने केवल घरेलू क्षमता पर भरोसा नहीं किया है; यह उपाय कोटे के भीतर, और अपवर्जित विकासशील देशों से तथा अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत इसके बाहर आयातों को खुला रखता है। यदि आयात खंड I में पाए गए परिमाण और कीमतों पर जारी रहे तो क्षमता में योजनाबद्ध वृद्धि, जिसके संबंध में

विभाग को आपूर्ति और रोजगार सुरक्षित होने की उम्मीद है, जोखिम में पड़ जाएगी। यह सीमित अवधि के एक ऐसे उपाय का समर्थन करता है जो उद्योग को समायोजन के लिए समय प्रदान करता हो।

निष्कर्ष

126. इन विचारों पर समग्रता से विचार करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि खंड एन में निर्धारित स्तर और अवधि के लिए, खंड पी में अनुशंसित अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयातों के अपवर्जन तथा खंड पी में अनुशंसित आपूर्ति की निगरानी के साथ, सिफारिश किए गए परिमाणात्मक प्रतिबंधों को अधिरोपित किया जाना जनहित के प्रतिकूल नहीं है।

<u>ड. विकासशील देश</u>

ड.1 विधिक कार्यढांचा

127. अधिनियम की धारा 9क(1) के परंतुक के अंतर्गत, किसी विकासशील देश के मूल की वस्तु पर परिमाणात्मक प्रतिबंध तब तक नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि उस देश से ऐसी वस्तु के आयात का हिस्सा 3% से अधिक न हो, या, जहां वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों के मूल की हो, जब तक कि 3% से कम आयात हिस्सेदारी वाले प्रत्येक विकासशील देश से कुल आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 9% से अधिक न हो। यह परंतुक रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 को कार्यान्वित करता है। धारा 9क(4)(क) के अंतर्गत, "विकासशील देश" से आशय उस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित देश से है।

128. **लागू सूची:** धारा 9क(4)(क) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित एकमात्र सूची वह है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 31 जनवरी 2013 को अधिसूचित किया गया था, जिसने राजस्व विभाग द्वारा तत्कालीन अधिसूचित सूची को अपनाया था। उस सूची को बाद में दिनांक 5 फरवरी 2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) द्वारा संशोधित किया गया है, और उस संशोधित सूची को 'लो ऐश मेटालर्जिकल कोक' संबंधी जांच परिणामों में लागू किया गया था। प्राधिकृत अधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि केंद्र सरकार उपाय के साथ-साथ धारा 9क(4)(क) के प्रयोजनार्थ इस संशोधित सूची को अधिसूचित करे।

ड.2 विकासशील देशों की हिस्सेदारी

129. **आधार:** हिस्सेदारी का निर्धारण एमआरपी, सर्वाधिक हाल की अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर, मूलता के देश के अनुसार, डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों का उपयोग करके किया गया है। सूचीबद्ध विकासशील देशों की हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

देश	एमआरपी में आयात (मीटन, वार्षिकीकृत)	कुल आयात का हिस्सा	व्यवहार
तुर्की	2,85,292	28.19%	3% से अधिक: अध्यधीन
बुल्गारिया	58,419	5.77%	3% से अधिक: अध्यधीन (ईयू कोटा के भीतर)
केन्या	55,620	5.50%	3% से अधिक: अध्यधीन
ईरान/यूएई (एकल स्रोत के रूप में माना गया)	1,35,893	13.43%	3% से अधिक: अध्यधीन
जार्जिया, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, वियतनाम, रोमानिया	शून्य	शून्य (0.33% पीओआई के दौरान)	अलग-अलग 3% से कम और समग्र रूप से 9%: अपवर्जित
कुल आयात, सभी स्रोत	10,12,024	100%	

बुल्गारिया: जनवरी-सितंबर 2025 में 43,814 मीट्रिक टन वास्तविक आयात, वार्षिकीकृत। रोमानिया सूचीबद्ध है, किंतु जांच अवधि में वहां से कोई आयात नहीं हुआ था। चीन जनवादी गणराज्य अनुबंध में सूचीबद्ध नहीं है; वहां से होने वाले आयात उसकी हिस्सेदारी पर विचार किए बिना इस उपाय के अध्यधीन हैं। ईरान सूचीबद्ध है, किंतु इसे संयुक्त अरब अमीरात, जो कि सूचीबद्ध नहीं है, के साथ मिलाकर एक एकल स्रोत माना गया है (पैरा 133)।

130. **उपाय के अध्यधीन देश:** तुर्की (28.19%), बुल्गारिया (5.77%) और केन्या (5.50%) तथा ईरान/यूएई (13.43%) से होने वाले आयात, सर्वाधिक हाल की अवधि में कुल आयातों के 3% से अधिक हैं। इन स्रोतों से होने वाले आयात इस उपाय के अध्यधीन हैं।

131. **उपाय से बाहर रखे गए देश:** जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, वियतनाम और रोमानिया में से प्रत्येक का आयात में हिस्सा 3% से कम रहा। एमआरपी में उनका सामूहिक हिस्सा शून्य था और पूरी जांच अवधि के दौरान 0.33% था, जो 9% की सीमा से काफी कम है। इन देशों के मूल के आयातों को उपाय से बाहर रखा जाता है। इंडोनेशिया सरकार ने अपवर्जन का अनुरोध किया था; इंडोनेशिया से आयात 135 मीट्रिक टन था, जो पूर्णतः वर्ष 2023-24 में हुआ था, अतः इंडोनेशिया को तदनुसार अपवर्जित किया जाता है। मेक्सिको सरकार ने भी अपवर्जन का अनुरोध किया था। मेक्सिको अनुलग्नक में एक विकासशील देश के रूप में सूचीबद्ध है और जांच अवधि में मेक्सिको से कोई आयात नहीं हुआ था; इसलिए मेक्सिको के मूल के आयात कोटे के अध्यधीन नहीं हैं (खंड पी, स्थिति (v))।

132. **यूरोपीय संघ के सदस्य देश:** विकासशील देशों की सूची में बुल्गारिया और रोमानिया अलग-अलग रूप में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 9.1 "किसी विकासशील देश सदस्य के मूलता" होने वाले उत्पादों पर लागू होता है, और इनमें से प्रत्येक देश डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। इसलिए इन सीमाओं को उनमें से प्रत्येक पर व्यक्तिगत रूप से लागू किया गया है: बुल्गारिया की हिस्सेदारी 3% से अधिक है और वह इसके अध्यधीन है; रोमानिया से कोई आयात नहीं हुआ था और उसे अपवर्जित किया गया है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 5.2(क) के अंतर्गत कोटे के आबंटन के प्रयोजनार्थ, यूरोपीय संघ को एक एकल आपूर्तिकर्ता सदस्य के रूप में माना गया है (खंड ढ़), क्योंकि यह व्यापार नीति में अनन्य अधिकार क्षेत्र वाला एक सीमा शुल्क संघ है और स्वयं डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य है। जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान यूरोपीय एसोसिएशन से होने वाले आयातों में बुल्गारिया की हिस्सेदारी लगभग 96% (45,482 मीट्रिक टन में से 43,814 मीट्रिक टन) थी, और यह यूरोपीय संघ के कोटे के अंतर्गत आती है।

133. **ईरान और यूएई:** ईरान अनुबंध में एक विकासशील देश के रूप में सूचीबद्ध है; जबकि यूएई सूचीबद्ध नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया कि ईरानी मूल का सोडा ऐश यूएई के रास्ते भारत भेजा जाता है, और घरेलू उद्योग ने ऐसी वस्तुओं के सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं जताई (खंड च)। इसी उत्पाद पर पाटनरोधी

जांच में, दिनांक 29 सितंबर 2025 के अंतिम निष्कर्षों में इस साक्ष्य के आधार पर कि यूएई में सोडा ऐश का कोई उत्पादन नहीं होता है, यह पाया गया कि यूएई उद्गम के रूप में घोषित किए गए आयात वास्तव में ईरानी उद्गम के थे, और उनकी जांच ईरान से होने वाले आयातों के साथ मिलाकर की गई थी। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में इन आयातों का मूल देश यूएई दर्ज है, और रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी ईरानी मूलता के आयातों को यूएई मूलता के रूप में घोषित आयातों से अलग करने की अनुमति नहीं देती है। अधिनियम की धारा 9क(1) के परंतुक का उद्देश्य उन विकासशील देशों से आयातों को अपवर्जित करना है जिनकी हिस्सेदारी नगण्य है; इसे इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता कि रिकॉर्ड पर मौजूद आयातों के एक एकल और पर्याप्त प्रवाह के किसी हिस्से को अपवर्जित कर दिया जाए। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने ईरान और यूएई के मूल के होने के रूप में घोषित आयातों को एक एकल स्रोत माना है। एमआरपी में उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 13.43% (1,35,893 मीट्रिक टन, वार्षिकीकृत) थी, जो 3% से काफी अधिक है। ईरान डब्ल्यूटीओ का सदस्य भी नहीं है, और रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 9.1, जो विकासशील देश सदस्यों पर लागू होता है, ईरान से होने वाले आयातों को अपवर्जित करने की अपेक्षा नहीं करता है। तदनुसार, ईरान के मूलता वाले आयातों को अपवर्जित नहीं किया गया है, और ईरान तथा यूएई से होने वाले आयात एक एकल कोटे के अध्यधीन हैं।

ड.3 जॉच परिणाम पर अपवर्जनों का प्रभाव

134. जहां किसी रक्षोपाय उपाय से कतिपय स्रोतों से होने वाले आयातों को अपवर्जित किया जाता है, वहां उपाय के अध्यधीन स्रोतों से होने वाले आयातों को इसके लागू होने की शर्तों को स्वयं पूरा करना आवश्यक होता है, जिसमें अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत किया गया अपवर्जन भी शामिल है। अपवर्जित विकासशील देशों से आयात एमआरपी में शून्य थे और जांच अवधि के दौरान कुल आयातों का मात्र 0.33% थे। उन्हें अपवर्जित करने से उन आंकड़ों में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं होगा जिन पर ये जॉच परिणाम आधारित हैं: आयातों में वृद्धि (खंड छ), गंभीर क्षति का खतरा (खंड ।), कारणात्मक संबंध (खंड ञ) या अनपेक्षित परिस्थितियां, जो तुर्की, रूस और यूएसए से होने वाले आयातों से संबंधित हैं (खंड ज)। अतः प्राधिकृत अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपाय के अध्यधीन स्रोतों से होने वाले आयातों में स्वयं वृद्धि हुई है और ये घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न करते हैं।

ड.4 कार्यान्वयन और निगरानी

135. अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत अपवर्जन को उपाय के प्रारूप में ही प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि उपाय को लागू करने वाली अधिसूचना में अपवर्जित विकासशील देशों का नाम दिया जाए, तथा किसी अपवर्जित देश के मूल के होने के रूप में आयातों को केवल मूलता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही अनुमति दी जाए।

136. अन्यथा शामिल यूरोपीय संघ के भीतर रोमानिया का, तथा अन्य सूचीबद्ध देशों का अपवर्जन, कोटे से बचने के लिए आयातों को एक मार्ग प्रदान कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि केंद्र सरकार और सीमा शुल्क प्राधिकारी अपवर्जित देशों, विशेष रूप से रोमानिया से होने वाले आयातों की निगरानी करें, ताकि कोटे से बचा नहीं जा सके। धारा 9क(1) के परंतुक के अनुसार, किसी देश का अपवर्जन समाप्त हो जाता है यदि आयात में उसकी हिस्सेदारी 3% से अधिक हो जाती है, या अपवर्जित देशों की सामूहिक हिस्सेदारी 9% से अधिक हो जाती है, और इस प्रयोजन के लिए नियम 15 के अंतर्गत उपाय की समीक्षा की जा सकती है।

137. **निष्कर्ष:** तुर्की, बुल्गारिया, केन्या और ईरान (संयुक्त अरब अमीरात सहित) से उद्भूत होने वाले आयात, तथा अनुबंध में गैर-सूचीबद्ध सभी देशों, जिनमें चीन जनवादी गणराज्य, यूएसए और रूस शामिल हैं, से होने वाले आयात इस उपाय के अध्यधीन हैं। इन देशों के अलावा अनुबंध में सूचीबद्ध विकासशील देशों की मूलता वाले आयातों को इस उपाय से अपवर्जित किया जाता है।

ढ़. उपाय का स्वरूप, स्तर और अवधि

ढ़.1 विधिक कार्यढांचा

138. रक्षोपाय उपाय (परिमाणात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 9(1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश में प्रतिबंधों की सीमा और प्रकृति, कोटे का स्तर, आपूर्तिकर्ता देशों के बीच इसका आबंटन और इसके लागू रहने की अवधि का उल्लेख होना अपेक्षित है। नियम 10 के अंतर्गत प्रतिबंध उस सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए जो गंभीर क्षति को रोकने या उसके निवारण तथा समायोजन को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त पाई जाए, जिसे धारा 9क(1) के साथ पढ़ा जाए, जो बढ़े हुए आयातों द्वारा गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न होने पर प्रतिबंध अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5.1 के अंतर्गत, कोई उपाय केवल

उसी सीमा तक लागू किया जा सकता है जो गंभीर क्षति को रोकने या उसका निवारण करने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह उपाय को बढ़े हुए आयातों के कारण होने वाली क्षति या उसके खतरे के समाधान तक ही सीमित करता है।

ढ.2 उपाय का स्वरूप

139. वर्तमान जांच अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत परिमाणात्मक प्रतिबंधों के आवेदन पर शुरू की गई थी। पाया गया खतरा आयातों की मात्रा से उत्पन्न होता है: 2023-24 में आयात लगभग दोगुना हो गया और न्यूनतम आयात कीमत लागू रहने के दौरान भी उसी स्तर पर बना रहा, तथा निर्यातक देशों की अधिशेष क्षमता अतिरिक्त मात्रा के रूप में ही भारत तक पहुंच सकती है (खंड छ, ठ और ञ)। कीमत संबंधी उपाय को पहले ही आजमाया जा चुका है: न्यूनतम आयात कीमत के लागू रहने के दौरान आयात अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। बाध्यता दर के भीतर टैरिफ वृद्धि का मात्रा पर कोई निश्चित या तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा (खंड ज)। परिमाणात्मक प्रतिबंध सीधे उस मात्रा का समाधान करता है। कोटे के भीतर, आयात किसी भी अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रहते हैं, जिससे प्रयोक्ताओं की वैश्विक कीमतों पर प्राकृतिक सोडा ऐश सहित आयातों तक पहुंच बनी रहती है। अनुच्छेद 5.1 यह प्रावधान करता है कि सदस्यों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपायों का चयन करना चाहिए; इस रिकॉर्ड के आधार पर वह उपाय एक परिमाणात्मक प्रतिबंध है।

ढ.3 कोटे का स्तर

140. **अपेक्षा:** नियम 9(1)(ii) और अनुच्छेद 5.1 का दूसरा वाक्य यह प्रावधान करते हैं कि परिमाणात्मक प्रतिबंध आयातों को पिछले तीन प्रतिनिधि वर्षों, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, के आयातों के औसत से कम नहीं करेगा, जब तक कि यह स्पष्ट औचित्य न दिया जाए कि एक भिन्न स्तर आवश्यक है। स्पष्ट औचित्य देने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब कोटा उस औसत से कम पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 5.1 का पहला वाक्य, कि उपाय केवल आवश्यक सीमा तक ही लागू किया जाए, सभी मामलों में लागू होता है।

141. **पक्षकारों के प्रस्ताव:** घरेलू उद्योग और निर्यातकों के एक समूह ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 को प्रतिनिधि वर्ष मानने का प्रस्ताव रखा; उस आधार पर घरेलू उद्योग ने प्रकाशित आयात आंकड़ों के आधार पर संगणित 7,33,525 मीट्रिक टन के कोटे का

प्रस्ताव किया। कुछ प्रयोक्ताओं ने भविष्य की मांग के लिए समायोजित करते हुए वर्ष 2017-18 से 2019-20 (लगभग 8.43 लाख मीट्रिक टन) का प्रस्ताव किया। एक अन्य प्रयोक्ता ने वर्ष 2023-24 के बाद के वर्षों के औसत का प्रस्ताव रखा।

142. **प्रतिनिधि वर्ष:** प्राधिकृत अधिकारी ने 2020-21 से 2022-23 को अपनाया है, जो आयातों में वृद्धि से पूर्व के तीन सबसे हाल के पूर्ण वित्तीय वर्ष हैं। यह दिनांक 29 अप्रैल 2024 के 'लो ऐश मेटालर्जिकल कोक' संबंधी अंतिम जॉच परिणामों में अपनाई गई परिपाटी के अनुरूप है। इसके कारण निम्नानुसार हैं:

(क) वर्ष 2023-24 के बाद के वर्ष खंड छ में पाई गई आयातों में वृद्धि के वर्ष हैं। वे उस स्तर के प्रतिनिधि नहीं हो सकते जिसके आधार पर उस वृद्धि के समाधान हेतु कोई उपाय निर्धारित किया जाना है; उन पर आधारित कोटा वृद्धि और उससे उत्पन्न खतरे का समाधान रहित ही छोड़ देगा।

(ख) वर्ष 2017-18 से 2019-20 जांच अवधि से बाहर हैं और एक भिन्न बाजार को दर्शाते हैं। दिसंबर 2018 और मार्च 2019 तक अधिकांश स्रोतों से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू थे, और भारतीय क्षमता काफी कम थी (खंड छ)।

(ग) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क था कि 2020-21 से 2022-23 कोविड-19 से प्रभावित थे। वर्ष 2020-21 में आयात (6,91,922 मीट्रिक टन) 2016-17 के आयात (6,88,860 मीट्रिक टन) के आस-पास थे। 2021-22 और 2022-23 में कम आयात उच्च वैश्विक कीमतों और घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ मेल खाते हैं, न कि भारतीय मांग में किसी गिरावट के साथ, जो प्रत्येक वर्ष बढ़ी थी। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी इन वर्षों को वृद्धि से पूर्व के आयातों के सामान्य स्तर का प्रतिनिधि मानते हैं।

143. **मांग में वृद्धि हेतु समायोजन:** प्रतिनिधि वर्षों के बाद से भारतीय बाजार के विकास को ध्यान में रखने के लिए, प्रतिनिधि वर्षों के औसत (37,94,639 मीट्रिक टन) से उपाय के प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित मांग तक भारतीय मांग में वृद्धि के अनुपात में आधार में वृद्धि की गई है। एमआरपी में मांग 45,00,479 मीट्रिक टन (वार्षिकीकृत) थी, और जांच अवधि के दौरान भारतीय मांग में लगभग 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई। यह उपाय इस जांच के पूरा होने के बाद इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा, जिससे कि इसके प्रथम वर्ष का मध्य-बिंदु एमआरपी के मध्य-बिंदु के लगभग दो वर्ष बाद पड़ता है। दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष

5% की वृद्धि लागू करने पर, उपाय के प्रथम वर्ष में मांग 49,61,778 मीट्रिक टन (45,00,479 मीट्रिक टन × 1.05 × 1.05) आकलित की गई है। यह जांच अवधि की प्रवृत्ति पर आधारित एक अनुमान है; जांच अवधि के बाद के किसी भी आंकड़े पर भरोसा नहीं किया गया है। तदनुसार आधार में 30.76% की वृद्धि की गई है (49,61,778 ÷ 37,94,639 = 1.3076)। यह भारतीय मांग में आयातों की हिस्सेदारी को प्रतिनिधि वर्षों के इसके स्तर (15%) के लगभग बनाए रखता है।

144. **संगणना:** प्रतिनिधि वर्षों में औसत आयात 5,80,929 मीट्रिक टन था, जिसमें से 3,531 मीट्रिक टन खंड ड के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों के मूल से हुआ था, जिससे ईरान/यूएई सहित उपाय के अध्यधीन स्रोतों से 5,77,398 मीट्रिक टन शेष रहता है। मांग हेतु समायोजन के साथ, देश-वार संगणित और पूर्णांकित प्रथम वर्ष का कोटा 7,54,992 मीट्रिक टन है। यह प्रतिनिधि वर्षों में उपाय के अध्यधीन स्रोतों से औसत आयात से 30.8% अधिक और सभी स्रोतों से औसत आयात से 30.0% अधिक है। इसलिए कोटा पिछले तीन प्रतिनिधि वर्षों के औसत से आयात को कम नहीं करता है, और नियम 9(1)(ii) तथा अनुच्छेद 5.1 के दूसरे वाक्य की शर्तें पूरी होती हैं।

145. **घरेलू उद्योग का प्रस्ताव:** घरेलू उद्योग ने प्रकाशित आयात आंकड़ों के आधार पर संगणित 7,33,525 मीट्रिक टन के कोटे का प्रस्ताव किया था, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के अलावा अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात और मांग दोनों के संबंध में अलग किए गए सौदा-वार आंकड़ों पर पुनर्गणना करने पर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पद्धति से यह 6,88,987 मीट्रिक टन आता है। संस्तुत कोटा, 7,54,992 मीट्रिक टन, दोनों आंकड़ों से अधिक है, क्योंकि यह उपाय के प्रथम वर्ष तक अनुमानित मांग में वृद्धि को ध्यान में रखता है (पैरा 143)। इसलिए यह उपाय घरेलू उद्योग द्वारा मांगे गए उपाय से अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं है।

146. **आवश्यक सीमा तक:** यह कोटा उपाय के प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित मांग के लगभग 15% के आयात की अनुमति देता है, जबकि एमआरपी में यह मांग का 22% था, और इस प्रकार यह एमआरपी में इसके स्तर (10,12,024 मीट्रिक टन, वार्षिकीकृत) से आयातों में लगभग एक-चौथाई की कमी करता है। प्राधिकृत अधिकारी इस कमी को आसन्न पाई गई गंभीर क्षति को रोकने के लिए आवश्यक मानते हैं। प्रतिनिधि वर्षों में, जब आयातों का मांग में लगभग 15% हिस्सा था, घरेलू उद्योग गंभीर क्षति के खतरे में नहीं था; यह खतरा तब उत्पन्न हुआ जब आयातों ने खंड छ

और झ में पाया गया बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया। एक ऐसा कोटा जो बाजार की वृद्धि की गुंजाइश प्रदान करते हुए प्रतिनिधि वर्षों की हिस्सेदारी को पुनर्स्थापित करता है, बढ़े हुए आयातों के कारण उत्पन्न खतरे का समाधान करता है और उससे आगे नहीं जाता है। अन्य कारकों के प्रभाव, जिन्हें बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं माना गया है (खंड ञ), को स्तर निर्धारित करने में ध्यान में नहीं रखा गया है। अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयात, जिन्हें कोटे से बाहर रखा गया है (खंड त), बहुत कम हैं: ऐसे आयातों का हवाला देने वाले एकमात्र प्रयोक्ता ने ऐसे आयातों की सूचना दी जो कुल आयातों का नगण्य हिस्सा हैं, और वे इस आकलन को वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

ढ़.4 कोटे का आबंटन और प्रशासन

147. **आपूर्तिकर्ता देशों के बीच आबंटन:** नियम 9(1)(iii) और अनुच्छेद 5.2(क) के अनुसार, कोटे को उत्पाद की आपूर्ति में पर्याप्त रुचि रखने वाले आपूर्तिकर्ता देशों के बीच प्रतिनिधि अवधि में उपाय के अध्यधीन स्रोतों से उनके आयातों के हिस्से के अनुपात में आबंटित किया गया है, जिसमें छोटे आपूर्तिकर्ताओं को "अन्य" के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है (खंड त, पैरा 159)। यह आबंटन पूरी तरह से प्रतिनिधि अवधि में हिस्सेदारी के आधार पर किया गया है और यह किसी आपूर्तिकर्ता तथा घरेलू उत्पादक के बीच किसी संबंध से प्रभावित नहीं है। अनुच्छेद 5.2(क) पर्याप्त रुचि रखने वाले सदस्यों के साथ सहमत होकर आबंटन का प्रावधान भी करता है, जो उपाय लागू होने से पहले अनुच्छेद 12.3 के अंतर्गत परामर्श में केंद्र सरकार के लिए एक मामला है।

148. **विशिष्ट देशों के कोटे के संबंध में अनुरोध:** प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि जांच अवधि के बाद की घटनाओं के कारण केन्या, ईरान और रूस के कोटे को पुनराबंटित किया जाए। दूसरी ओर, केन्या के एक उत्पादक ने प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया कि केन्या सरकार ने अगले आदेश तक उसे सोडा ऐश का उत्पादन और निर्यात करने से रोक दिया है। उसने अनुरोध किया कि यह रुकावट अस्थायी है, और अनुरोध किया कि केन्या के लिए कोटे को बनाए रखा जाए और अन्य स्रोतों को पुनराबंटित न किया जाए। दोनों अनुरोधों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। अनुच्छेद 5.2(क) किसी भी विशेष कारक, जिसने उत्पाद के व्यापार को प्रभावित किया हो या प्रभावित कर रहा हो, को उचित ध्यान में रखते हुए पिछली प्रतिनिधि अवधि के आधार पर आबंटन का प्रावधान करता है। उद्धृत घटनाएं जांच अवधि के बाद उत्पन्न हुईं, और उपाय की अवधि के दौरान आपूर्ति करने की इन देशों की

क्षमता पर उनके प्रभाव को रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं किया गया है; केन्या के मामले में, काम का रुकना अस्थायी बताया गया है और इसकी अवधि ज्ञात नहीं है। इसलिए, उन्हें प्रतिनिधि शेयरों से विचलन को उचित ठहराने वाले विशेष कारक नहीं पाया गया है, और केन्या सहित प्रत्येक देश का कोटा बनाए रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 12.3 के अंतर्गत परामर्श में उन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। कुछ आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा अपने कोटे का उपयोग करने में असमर्थ होने की चिंता का समाधान, किसी भी स्थिति में, अप्रयुक्त कोटे को अगली तिमाहियों में ले जाने और उपयोग के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इसके वितरण (पैरा 151) द्वारा किया जाता है, जो किसी भी देश के त्रैमासिक अंश को कम नहीं करता है।

149. **अपवर्जन और विशेष कोटे के अनुरोध:** यह उपाय स्रोत पर विचार किए बिना उत्पाद के आयातों पर लागू होता है, जो केवल धारा 9क(1) के परंतुक और अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत विकासशील देशों के अपवर्जन के अध्यधीन है (नियम 11; अनुच्छेद 2.2; खंड ड)। इसलिए यूरोपीय संघ से आयातों को इस आधार पर अपवर्जित करने का एक प्रयोक्ता का अनुरोध कि उनकी कीमतें अधिक थीं, और निर्यातकों के एक समूह का इस आधार पर अनुरोध कि वे आयात क्षतिकारक नहीं थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में, यूरोपीय संघ के लिए कोटा (1,17,179 मीट्रिक टन) एमआरपी में उसके आयात (60,643 मीट्रिक टन, वार्षिकीकृत) से लगभग 93% अधिक है, अतः यह उपाय यूरोपीय संघ से आपूर्ति को उसके वर्तमान स्तर पर प्रतिबंधित नहीं करता है। एक प्रयोक्ता द्वारा उद्धृत क्वार्ट्ज सतह उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के उपाय ने अपने मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत कुछ भागीदारों और विकासशील देशों से आयातों को अपवर्जित किया था; यह ऐसे स्रोत को अपवर्जित करने का कोई आधार प्रदान नहीं करता जो दोनों में से कोई भी नहीं है। महत्वपूर्ण प्रयोक्ताओं के लिए एक आरक्षित कोटे और प्राकृतिक सोडा ऐश के लिए एक अलग कोटे के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जाता है: कोटा आपूर्ति के देश द्वारा आबंटित किया जाता है, सभी प्रयोक्ताओं के लिए खुला है, और सभी स्रोतों से प्राकृतिक सोडा ऐश के आयात की अनुमति देता है।

150. **प्रशासन:** प्रत्येक देश के लिए वार्षिक कोटा प्रत्येक वर्ष में चार त्रैमासिक अंशों (किश्तों) में जारी किया जाएगा, जैसा कि पैरा 160 में निर्धारित है; प्रथम वर्ष की तिमाहियों को तिमाही 1 से 4 और दूसरे वर्ष की तिमाहियों को तिमाही 5 से 8 के रूप में संदर्भित किया गया है। किसी तिमाही के कोटे का कोई भी हिस्सा जो उस तिमाही में उपयोग नहीं किया गया है, अगली तिमाही में आगे ले जाया जाएगा, और इसी तरह तिमाही 8 तक, जिसमें तिमाही 4 से तिमाही 5 तक शामिल है, और केंद्र

सरकार द्वारा पैरा 151 में निर्धारित तरीके से वितरित किया जाएगा; तिमाही 8 के अंत में अप्रयुक्त रहने वाली कोई भी मात्रा व्यपगत हो जाएगी। कुछ प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया कि उपाय के प्रभावी होने से पहले भेजे गए या अनुबंधित माल को छूट दी जाए; घरेलू उद्योग ने इसका विरोध किया। ऐसे माल का आयात कोटे के भीतर किया जा सकता है, और आगे ले जाने के साथ त्रैमासिक किश्तें लचीलापन प्रदान करती हैं। किसी अलग संक्रमणकालीन प्रावधान की सिफारिश नहीं की जाती है। विस्तृत शर्तें, जिसमें किसी त्रैमासिक किश्त से अधिक आयात की गई किसी भी मात्रा को अगली किश्त के विरुद्ध समायोजित करना शामिल है, खंड त की शर्त (i) में निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक देश के कोटे के भीतर लाइसेंसिंग या आयातकों के बीच आबंटन की पद्धति केंद्र सरकार के लिए एक विषय है।

151. **अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाना और वितरण:** कुछ आपूर्तिकर्ता देशों का कोटा आपूर्ति के उनके वर्तमान स्तर से अधिक है: केन्या का कोटा (1,21,847 मीट्रिक टन) एमआरपी में उसके आयात (55,620 मीट्रिक टन, वार्षिकीकृत) के दोगुने से अधिक है, और यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य तथा रूस के कोटे भी एमआरपी में उनके आयातों से अधिक हैं। कुल कोटा गंभीर क्षति को रोकने के लिए आवश्यक स्तर पर निर्धारित किया गया है। एक आपूर्तिकर्ता देश द्वारा अप्रयुक्त छोड़ा गया कोटा आयात को उस स्तर से कम कर देगा और प्रयोक्ताओं के लिए कमी का कारण बन सकता है (खंड ठ)। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि किसी तिमाही के कोटे का कोई भी हिस्सा, जिसमें इसमें आगे लाई गई कोई भी मात्रा शामिल है, जो उस तिमाही के अंत में अप्रयुक्त रहता है, अगली तिमाही में आगे ले जाया जाए, और इसी तरह तिमाही 1 से तिमाही 8 तक जारी रहे। इस प्रकार आगे लाई गई मात्रा को केंद्र सरकार द्वारा उपाय के अध्यधीन आपूर्तिकर्ता देशों के बीच, प्रत्येक देश की त्रैमासिक किश्त के अतिरिक्त, पिछली तिमाही या तिमाहियों में उनके कोटे के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाएगा। तिमाही 8 के अंत में अप्रयुक्त रहने वाली कोई भी मात्रा व्यपगत हो जाएगी। एक तुलनीय तंत्र, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के भीतर अप्रयुक्त मात्रा को अगली तिमाही में स्थानांतरित कर दिया गया था और जिन आपूर्तिकर्ताओं ने अपना आबंटन समाप्त कर दिया था, वे प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिमाही में अवशिष्ट कोटे का उपयोग कर सकते थे, इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ के रक्षोपाय उपाय (कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2019/159) में प्रदान किया गया था। यह तंत्र किसी भी देश के त्रैमासिक अंश को कम नहीं करता है: प्रत्येक देश प्रत्येक तिमाही के भीतर अपने आबंटित हिस्से का पूर्ण उपयोग बनाए रखता है, जो कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5.2(क) और गैट 1994 के अनुच्छेद XIII:2(घ) के संदर्भ में वह निर्धारित अवधि है जिससे वह किश्त संबंधित है।

यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि कुल कोटा प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहे। विस्तृत शर्त खंड त में निर्धारित की गई है। पैरा 161 में शर्तों (i) और (ii) के अंतर्गत त्रैमासिक किश्तें तथा अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाना और वितरण का उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को अपनी मात्रा को सुचारू रूप से विनियमित करने की अनुमति देना है, ताकि प्रयोक्ताओं, आयातकों और निर्यातकों को कोई अनुचित कठिनाई न हो। यदि आवश्यक हो, तो संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा परिमाणात्मक प्रतिबंधों को प्रशासित करने के लिए और तौर-तरीके अधिसूचित किए जा सकते हैं।

ढ़.5 अवधि और उत्तरोत्तर उदारीकरण

152. **अवधि:** घरेलू उद्योग ने चार वर्षों के लिए उपाय का अनुरोध किया, जो नियम 13 के अंतर्गत अधिकतम प्रारंभिक अवधि है। हितबद्ध पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध में इसके एक वर्ष से अधिक नहीं होने का अनुरोध किया गया था। नियम 13(1) और अनुच्छेद 7.1 के अनुसार उपाय केवल उतनी अवधि के लिए लागू किया जाना चाहिए जो गंभीर क्षति को रोकने या उसका निवारण करने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो। घरेलू उद्योग की समायोजन योजना के मुख्य उपाय 2026 और 2027 के लिए निर्धारित हैं, जिसमें निरमा की 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना (2026) और कोक ब्रिकेट संयंत्र (2027) शामिल हैं, जबकि अन्य कार्यान्वयन के अधीन हैं (खंड ट)। वर्ष 2026 के अंत में अधिसूचना की तारीख से लागू होने वाला एक वर्ष का उपाय 2027 के लिए निर्धारित समायोजन उपायों के पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, और पहले से जारी उपायों से लागत में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। चार वर्षों का उपाय उस उद्योग में गंभीर क्षति के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक होगा जो लाभदायक बना हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी दो वर्ष की अवधि को आवश्यक और पर्याप्त मानते हैं, और इसकी अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के लिए उपाय की सिफारिश करते हैं (नियम 12 और 13)।

153. **उत्तरोत्तर उदारीकरण:** चूंकि अवधि एक वर्ष से अधिक है, नियम 14 और अनुच्छेद 7.4 के अनुसार उपाय को नियमित अंतरालों पर उत्तरोत्तर उदार बनाया जाना आवश्यक है। दोनों में से कोई भी दर निर्धारित नहीं करता है। दूसरे वर्ष के लिए कोटे में 5% की वृद्धि करके इसे 7,92,740 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जो जांच अवधि के दौरान भारतीय मांग की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि (लगभग 5%) के निकट है। निर्यातकों के एक समूह ने लगभग 7% प्रति वर्ष की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जो

ढाई वर्षों में होने वाली 18.60% की मांग वृद्धि से निकाला गया था। वह वृद्धि 2020-21 से 2022-23 के औसत से चलती है, जिसका मध्य-बिंदु 2021-22 में पड़ता है, एमआरपी तक, जो लगभग साढ़े तीन साल की अवधि है, जिससे लगभग 5% प्रति वर्ष प्राप्त होता है।

154. **समीक्षा:** नियम 15 के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर उपाय को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं, जिसमें आपूर्ति की कमी के साक्ष्य पर (खंड ठ), समायोजन की प्रगति पर (खंड ट), या खंड ड के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों से आरंभिक सीमा से अधिक आयातों में वृद्धि होने पर समीक्षा शामिल है।

<u>ण. निष्कर्ष</u>

155. उपर्युक्त जांच के आधार पर, तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकृत अधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

(i) **बढ़े हुए आयात:** विचाराधीन उत्पाद का भारत में समग्र रूप में और घरेलू उत्पादन के सापेक्ष, दोनों ही प्रकार से बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में आयात में 89% की वृद्धि हुई और तब से यह उसी स्तर पर बना हुआ है, और यह वृद्धि हाल की, अचानक, तीव्र तथा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है।

(ii) **अप्रत्याशित परिस्थितियां और गैट दायित्वों का प्रभाव:** आयातों में वृद्धि अनपेक्षित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुई: रूस-यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप यूरोप में मांग में संकुचन तथा यूरोप को रूसी आपूर्ति का लगभग समाप्त होना, एवं मेक्सिको को घटते निर्यात के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में नई क्षमता का प्रारंभ होना। यह गैट 1994 के अंतर्गत भारत द्वारा लिए गए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप भी हुआ, जिसमें अनुच्छेद II के अंतर्गत इसकी टैरिफ रियायतें और अनुच्छेद XI:1 के अंतर्गत परिमाणात्मक प्रतिबंधों का निषेध शामिल है (खंड ज)।

(iii) **गंभीर क्षति:** साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है,और गंभीर क्षति का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू

उद्योग की स्थिति में 2022-23 से लगातार गिरावट आई है, और जांच अवधि के अंत में यह एक कमजोर स्थिति में था।

(iv) **गंभीर क्षति का खतरा:** बढ़े हुए आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न करते हैं। घरेलू उद्योग की स्थिति, बढ़े हुए स्तर पर आयातों के जारी रहने, न्यूनतम आयात कीमत की समाप्ति, निर्यातक देशों में अधिशेष क्षमता और विश्व कीमतों में गिरावट को देखते हुए तथ्यों के आधार पर गंभीर क्षति स्पष्ट रूप से आसन्न है।

(v) **कारणात्मक संबंध:** बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारण और प्रभाव का एक वास्तविक और पर्याप्त संबंध विद्यमान है। अन्य कारकों के प्रभावों को अलग और पृथक किया गया है, और उनके कारण हुई क्षति के लिए बढ़े हुए आयातों को कारण नहीं माना गया है।

(vi) **विकासशील देश:** खंड ड में पहचाने गए विकासशील देशों के मूल के आयात, जिनमें से प्रत्येक का आयात 3% से कम है और सामूहिक रूप से 9% से कम है, उपाय से अपवर्जित हैं। उपाय के अध्यधीन स्रोतों से होने वाले आयात अपने आप में बढ़े हैं और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न करते हैं (खंड ड)।

(vii) **समायोजन:** घरेलू उद्योग ने समायोजन का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है जो विशिष्ट, काफी हद तक परिमाणित और प्रतिस्पर्धा की उन शर्तों पर लक्षित है जिनके माध्यम से बढ़े हुए आयात गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न करते हैं, और संस्तुत उपाय उस समायोजन को सुगम बनाएगा (खंड ट)।

(viii) **जनहित:** खंड त में सिफारिश की गई अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत आयातों के अपवर्जन और अनुशंसित निगरानी के साथ, संस्तुत परिमाणात्मक प्रतिबंधों को लागू करना जनहित के विपरीत नहीं है (खंड ठ)। उत्पाद के प्रशासनिक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भी बताया है कि इस उपाय से प्रयोक्ता उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ix) **उपाय:** परिमाणात्मक प्रतिबंध उपाय का उपयुक्त स्वरूप है। गंभीर क्षति को रोकने और समायोजन को सुगम बनाने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनिधि अवधि के आधार पर आपूर्तिकर्ता देशों के बीच आबंटित पहले वर्ष में

7,54,992 मीट्रिक टन और दूसरे वर्ष में 7,92,740 मीट्रिक टन का कोटा आवश्यक है, और यह उस सीमा से अधिक नहीं है (खंड ढ़)।

156. तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी यह पाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का भारत में इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(1), रक्षोपाय उपाय (परिमाणात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता है, तथा परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने की शर्तें पूरी होती हैं।

157. अत: प्राधिकृत अधिकारी विचाराधीन उत्पाद के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हैं, जैसा कि खंड त में निर्धारित है।

<u>त. सिफारिश</u>

158. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तथा नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(1) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति से बचाने और इसके समायोजन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नीचे वर्णित विचाराधीन उत्पाद के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध के रूप में रक्षोपाय लागू करने की सिफारिश करते हैं (नियम 12 और 13):

विचाराधीन उत्पाद: सभी रूपों (हल्का और सघन) में और सभी प्रकार (प्राकृतिक और सिंथेटिक) का "डाईसोडियम कार्बोनेट है, जिसे आमतौर पर सोडा ऐश (एनए2सीओ3) के रूप में भी जाना जाता है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 2836 20 के अंतर्गत आता है।" सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस उपाय के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

159. आयातों को निम्नलिखित देश-वार वार्षिक कोटे के भीतर अनुमति दी जाएगी, जिसे वर्ष 2020-21 से 2022-23 में उपाय के अध्यधीन स्रोतों से उनके आयातों के हिस्से के अनुपात में आपूर्तिकर्ता देशों के बीच आबंटित किया गया है (खंड ढ़)। वर्ष 2 के लिए कोटा उत्तरोत्तर उदारीकरण (नियम 14) के माध्यम से प्रत्येक देश के लिए 5% बढ़ाया गया वर्ष 1 का कोटा है, जिसे निकटतम टन में पूर्णांकित किया गया है:

देश	वर्ष 1 (मी.टन)	वर्ष 2 (मी.टन)	कुल (मी.टन)
यूएसए	1,59,388	1,67,357	3,26,745
तुर्की	1,28,697	1,35,132	2,63,829
ईरान/यूएई	1,10,948	1,16,495	2,27,443
रूस	70,289	73,803	1,44,092
यूरोपीय संघ	1,17,179	1,23,038	2,40,217
केन्या	1,21,847	1,27,939	2,49,786
चीन जन गण	46,487	48,811	95,298
अन्य	157	165	322
कुल	**7,54,992**	**7,92,740**	**15,47,732**

ईरान/यूएई: ईरान में या संयुक्त अरब अमीरात की मूलता वाले आयात (खंड ड). *यूरोपीय संघ: शर्त (iv) देखें.*

160. देश-वार कोटा को निम्नलिखित तिमाही वार खंडों में आबंटित किया जाएगा, तिमाही 1 से 1 वर्ष 1 में और तिमाही 5 से 8 वर्ष 2 में होंगी :

देश	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	वर्ष 1 कुल
यूएसए	39,847	39,847	39,847	39,847	1,59,388
तुर्की	32,174	32,174	32,174	32,175	1,28,697
ईरान/यूएई	27,737	27,737	27,737	27,737	1,10,948
रूस	17,572	17,572	17,572	17,573	70,289
यूरोपीय संघ	29,294	29,294	29,294	29,297	1,17,179

देश	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	वर्ष 1 कुल
केन्या	30,461	30,461	30,461	30,464	1,21,847
चीन जन गण	11,621	11,621	11,621	11,624	46,487
अन्य	39	39	39	40	157
कुल	**1,88,745**	**1,88,745**	**1,88,745**	**1,88,757**	**7,54,992**

वर्ष 1 (मी.टन). तिमाही 4 में पूर्णांक बनाने का अंतर शामिल है।

देश	तिमाही 5	तिमाही 6	तिमाही 7	तिमाही 8	वर्ष 2 कुल
यूएसए	41,839	41,839	41,839	41,840	1,67,357
तुर्की	33,783	33,783	33,783	33,783	1,35,132
ईरान/यूएई	29,123	29,123	29,123	29,126	1,16,495
रूस	18,450	18,450	18,450	18,453	73,803
यूरोपीय संघ	30,759	30,759	30,759	30,761	1,23,038
केन्या	31,984	31,984	31,984	31,987	1,27,939
चीन जन गण	12,202	12,202	12,202	12,205	48,811
अन्य	41	41	41	42	165
कुल	**1,98,181**	**1,98,181**	**1,98,181**	**1,98,197**	**7,92,740**

वर्ष 2 (मीट्रिक टन) । तिमाही 8 में पूर्णांकन का अंतर शामिल है।

161. निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(i) **त्रैमासिक किश्तें:** प्रत्येक देश का वार्षिक कोटा पैरा 160 की तालिकाओं में विनिर्दिष्ट अनुसार चार त्रैमासिक किश्तों में आबंटित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष की

अंतिम तिमाही में पूर्णांकन का अंतर शामिल होगा। प्रत्येक देश के कोटे पर अलग-अलग निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(क) किसी भी तिमाही में किसी देश से होने वाला उस तिमाही के लिए उसके कोटे, शर्त (ii) के अंतर्गत उस तिमाही के लिए उसे आगे लाई गई अथवा वितरित की गई किसी मात्रा, तथा अगली तिमाही के लिए उसके कोटे के योग से अधिक नहीं होगा।

(ख) किसी तिमाही के लिए किसी देश के कोटे से अधिक आयात की गई किसी भी मात्रा को अगली तिमाही के लिए उसके कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

(ग) किसी तिमाही का कोई भी अप्रयुक्त कोटा शर्त (ii) के अनुसार अगली तिमाही में आगे ले जाएगा जाएगा।

(घ) तिमाही 4 में, किसी देश से होने वाला आयात उस तिमाही के लिए उसके कोटे तथा उसे आगे लाई गई अथवा वितरित की गई किसी भी मात्रा के योग से अधिक नहीं होगा, और वर्ष 2 के कोटे के किसी भी हिस्से का उपयोग वर्ष 1 में नहीं किया जाएगा। तथापि, तिमाही 4 का अप्रयुक्त कोटा शर्त (ii) के अनुसार तिमाही 5 में आगे ले जाया जाएगा।

(ङ) तिमाही 8 में, किसी देश से होने वाला आयात उस तिमाही के लिए उसके कोटे तथा उसे आगे लाई गई अथवा वितरित की गई किसी भी मात्रा के योग से अधिक नहीं होगा। तिमाही 8 की समाप्ति के बाद कोटे के विरुद्ध किसी भी आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस प्रयोजनार्थ, "वर्ष 1" से तात्पर्य इस उपाय को लागू करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने की अवधि से है, "वर्ष 2" से तात्पर्य परवर्ती बारह महीनों से है, और "तिमाही" से तात्पर्य तीन महीने की प्रत्येक उत्तरोत्तर अवधि से है, जिसमें तिमाही 1 से 4 वर्ष 1 में तथा तिमाही 5 से 8 वर्ष 2 में आती हैं। वस्तु को उसी तिमाही में आयातित माना जाएगा जिसमें उसके लिए प्रवेश बिल जमा किया गया हो।

(ii) **अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाना और वितरण:** किसी तिमाही के कोटे का कोई भी हिस्सा, जिसमें इसमें आगे लाई गई कोई भी मात्रा शामिल है, जो उस तिमाही के अंत में अप्रयुक्त रहता है, अगली तिमाही में आगे ले जाया जाएगा, और इसी तरह तिमाही 1 से लेकर तिमाही 8 तक जारी रहेगा। इस प्रकार आगे लाई गई मात्रा को केंद्र सरकार द्वारा इस उपाय के अध्यधीन आपूर्तिकर्ता देशों के बीच (शर्त (v) के अंतर्गत अपवर्जित विकासशील देशों के अलावा), प्रत्येक देश की त्रैमासिक किश्त के अतिरिक्त, पिछली तिमाही या तिमाहियों में उनके कोटे के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाएगा। इस वितरण से किसी भी देश की त्रैमासिक किश्त कम नहीं होगी। तिमाही 8 के अंत में अप्रयुक्त रहने वाली कोई भी मात्रा व्यपगत हो जाएगी।

(iii) **पत्तन और मूलता:** कोटे की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम करने के लिए केवल ईडीआई के माध्यम से ही आयात की अनुमति होगी, और इसे मूलता के देश के कोटे के तहत गिना जाएगा। आवश्यकतानुसार आगे के तौर-तरीके केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं।

(iv) **देशों का समूहीकरण:** ''यूरोपीय संघ'' में रोमानिया (जो शर्त (v) के अंतर्गत अपवर्जित है) को छोड़कर बुल्गारिया सहित यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश शामिल हैं।

(V) **विकासशील देश:** तुर्की, केन्या, बुल्गारिया और ईरान के अलावा अनुबंध में सूचीबद्ध विकासशील देशों के मूल से आने वाले आयात तब तक कोटे के अध्यधीन नहीं होंगे जब तक कि भारत में उस वस्तु के कुल आयात में उनकी हिस्सेदारी व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत के भीतर रहती है (धारा 9क (1) का परंतुक; रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 9.1)। इसमें जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, वियतनाम और रोमानिया से होने वाले आयात शामिल हैं (खंड ड)। किसी अपवर्जित देश के मूल से आने वाली वस्तु के रूप में आयात की अनुमति केवल उद्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। इन देशों से होने वाले आयातों की केन्द्र सरकार और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी, और यदि किसी देश की हिस्सेदारी अथवा सामूहिक

हिस्सेदारी इन सीमाओं से अधिक हो जाती है, तो उस देश का अपवर्जन समाप्त हो जाएगा।

(vi) **अग्रिम प्राधिकार:** विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 4.18(iv) के अनुसार, प्रत्यक्ष भौतिक निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत होने वाले आयातों की गणना निर्यात दायित्व की पूर्ति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचित की जाए, कोटे के तहत नहीं की जाएगी।

(vii) **सहमति द्वारा आबंटन:** प्रत्येक वर्ष के कुल कोटे के भीतर, रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.3 के अंतर्गत परामर्श के उपरांत, वस्तुओं की आपूर्ति में पर्याप्त रूचि रखने वाले सदस्यों के साथ सहमति केन्द्र सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ता देशों के बीच आबंटन को संशोधित किया जा सकता है (अनुच्छेद 5;2 (क))।

(viii) **आपूर्ति की निगरानी:** केन्द्र सरकार के कोटे के उपयोग की निगरानी करेगी। आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और नियम 15 के अंतर्गत किसी भी समीक्षा के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग उपाय की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में केन्द्र सरकार को अपने उत्पादन, घरेलू प्रेषण, निर्यात और मालसूची की जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(ix) **डब्ल्यूटीओ अधिसूचना और विचार-विमर्श:** उपाय लागू किए जाने से पहले, केंद्र सरकार रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.1(ख) और (ग) के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ की रक्षोपाय समिति को इन जॉच परिणामों को अधिसूचित कर सकती है और अनुच्छेद 12.3 के संदर्भ में उत्पाद के निर्यातक के रूप में पर्याप्त रुचि रखने वाले सदस्यों के साथ पूर्व सलाह-परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकती है।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 04-11-2026 12:08:42

अमिताभ कुमार
प्राधिकृत अधिकारी

अनुबंध

विकासशील देशों की सूची (अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 05.02.2016)

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1	अफ़ग़ानिस्तान	45	ग्रेनाडा	89	पनामा
2	अल्बानिया	46	ग्वाटेमाला	90	पापुआ न्यू गिनी
3	अल्जीरिया	47	गिनी	91	पैराग्वे
4	अंगोला	48	गिनी-बिसाऊ	92	पेरू
5	आर्मेनिया	49	गुयाना	93	फ़िलीपींस
6	अज़रबैजान	50	हैती	94	मोल्दोवा गणराज्य
7	बांग्लादेश	51	होंडुरास	95	रोमानिया
8	बेलारूस	52	इंडोनेशिया	96	रवांडा
9	बेलीज़	53	ईरान (इस्लामी गणराज्य)	97	सेंट लूसिया
10	बेनिन	54	इराक	98	सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
11	भूटान	55	जमैका	99	समोआ
12	बोलीविया (बहुराष्ट्रीय राज्य)	56	जॉर्डन	100	साओ टोमे और प्रिंसिपे
13	बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	57	कज़ाखस्तान	101	सेनेगल
14	बोत्सवाना	58	केन्या	102	सर्बिया
15	ब्राज़ील	59	किरिबाती	103	सिएरा लियोन
16	बुल्गारिया	60	किर्गिज़स्तान	104	सोलोमन द्वीपसमूह
17	बुर्किना फ़ासो	61	लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	105	सोमालिया
18	बुरुंडी	62	लेबनान	106	दक्षिण अफ्रीका
19	काबो वर्डे	63	लेसोथो	107	दक्षिण सूडान
20	कंबोडिया	64	लाइबेरिया	108	श्रीलंका
21	कैमरून	65	लीबिया	109	सूडान
22	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	66	मेडागास्कर	110	सूरीनाम
23	चाड	67	मलावी	111	स्वाज़ीलैंड
24	कोलंबिया	68	मलेशिया	112	सीरियाई अरब गणराज्य
25	कोमोरोस	69	मालदीव	113	ताजिकिस्तान
26	कांगो	70	माली	114	थाईलैंड
27	कोस्टा रिका	71	मार्शल द्वीपसमूह	115	पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य मैसेडोनिया

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
28	कोट डी आइवर	72	मॉरिटानिया	116	तिमोर-लेस्ते
29	क्यूबा	73	मॉरीशस	117	टोगो
30	कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	74	मैक्सिको	118	टोंगा
31	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	75	माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)	119	ट्यूनीशिया
32	जिबूती	76	मंगोलिया	120	तुर्की
33	डोमिनिका	77	मोंटेनेग्रो	121	तुर्कमेनिस्तान
34	डोमिनिकन गणराज्य	78	मोरक्को	122	तुवालु
35	इक्वाडोर	79	मोज़ाम्बिक	123	युगांडा
36	मिस्र	80	म्यांमार	124	यूक्रेन
37	अल सल्वाडोर	81	नामीबिया	125	संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया
38	इरिट्रिया	82	नेपाल	126	उज़्बेकिस्तान
39	इथियोपिया	83	निकारागुआ	127	वानुअतु
40	फ़िजी	84	नाइजर	128	वियतनाम
41	गैबॉन	85	नाइजीरिया	129	यमन
42	गाम्बिया	86	पाकिस्तान	130	ज़ाम्बिया
43	जॉर्जिया	87	पलाऊ	131	ज़िम्बाब्वे
44	घाना	88	फ़िलिस्तीन		